



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त  
पर प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार  
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 2  
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त  
पर प्रतिवेदन**

**झारखण्ड सरकार  
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 2  
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)**



## विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
<b>अध्याय 1: अवलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.3	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा	1.5	15
कुल देनदारियाँ	1.6	16
<b>अध्याय 2: राज्य का वित्त</b>		
वर्ष 2022-23 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	28
संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	30
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	30
राजस्व व्यय	2.4.1	32
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	34
पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	41
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	2.4.6	44
व्यय की प्राथमिकता	2.4.7	45
वस्तु शीर्ष-वार व्यय	2.4.8	46
लोक लेखा	2.5	46
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	47
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	47
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	50
लोक दायित्व प्रबंधन	2.5.4	53

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और अदायगी	2.6	56
राजकोषीय घाटा और ऋण संधारणीयता	2.6.1	58
उधार निधि की उपयोगिता	2.6.2	63
प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)	2.6.3	64
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	64
निष्कर्ष	2.8	66
अनुशंसाएँ	2.9	67
<b>अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन</b>		
बजट प्रक्रिया	3.1	69
विनियोग लेखे	3.2	73
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	80
व्यय का वेग	3.4	84
अनुदान संख्या 19 - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	85
अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया	3.6	89
निष्कर्ष	3.7	98
अनुशंसाएँ	3.8	99
<b>अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार</b>		
ऑफ-बजट उधार	4.1	101
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधि	4.2	101
स्थानीय निकाय निधि जमा	4.3	103
उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.4	104
अनुदान संख्या 48 में अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	4.5	106
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	108
डी.सी. विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण	4.7	111
स्थानीय निधियों की जमा	4.8	112
व्यक्तिगत जमा खाता	4.9	112
लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.10	113
उचंत एवं ऋण, जमा और प्रेषण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.11	114
विभागीय आँकड़ों का मिलान	4.12	115

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
नकद शेष का मिलान	4.13	115
लेखा मानकों का अनुपालन	4.14	116
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.15	117
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.16	119
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	4.17	120
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	120
निष्कर्ष	4.19	120
अनुशंसाएँ	4.20	121

### परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड की रूपरेखा	123
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप	124
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	124
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2023-24 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	125
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	128
परिशिष्ट 2.3	31.03.2024 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	132
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	133
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	136
परिशिष्ट 3.3	वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	137
परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक)	140
परिशिष्ट 3.5	मार्च 2024 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की प्रत्यर्पित राशि	142

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.6	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	144
परिशिष्ट 3.7	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	145
परिशिष्ट 3.8	व्यय का वेग	155
परिशिष्ट 3.9	मार्च 2024 के अंत में निधियों का अभ्यर्पण	156
परिशिष्ट 3.10	व्यय का वेग (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)	157
परिशिष्ट 3.11	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	159
परिशिष्ट 3.12	सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न किया जाना	160
परिशिष्ट 3.13	व्यय का वेग (नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग))	161
परिशिष्ट 3.14	तीन वर्ष से अधिक समय तक पी.एल. खातों में रखी गई राशि (नमूना-जाँच की गई योजनाओं में)	164
परिशिष्ट 4.1	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	167
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द		170

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

**अध्याय 1** राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/घाटा, राजकोषीय आधिक्य/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ को समाहित करता है।

**अध्याय 2 एवं 3** क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्त एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के उपरांत प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को समाहित करता है। आवश्यकतानुसार झारखण्ड सरकार से जानकारीयाँ प्राप्त की गयी हैं।

**अध्याय 4** 'लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार' पर अवलोकन प्रस्तुत करता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन, कार्यप्रणाली और निर्देशों की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेन-देन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कंपनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।



---

## कार्यकारी सारांश

---



---

## कार्यकारी सारांश

---

### प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन एवं लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट उद्देश्यों के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

---

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) (मौजूदा कीमतों पर) 10.40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से 2019-20 में ₹ 3,10,305 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 4,61,010 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 10.54 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. से 2019-20 में ₹ 94,765 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,41,499 करोड़ हो गया।

2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. में 10.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 9.57 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022-23 में 19.23 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.07 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। झारखण्ड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) पिछले वर्ष से 19.58 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,908 करोड़ से ₹ 1,01,537 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2022-23 से 14.99 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष 2022-23 की तुलना में 17.04 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए ₹ 13,563.59 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 11,252.08 करोड़ हो गया। उसी अवधि के लिए राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹ 4,616.73 करोड़ से 37.15 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 6,331.76 करोड़ हो गया।

### **प्राप्तियाँ एवं व्यय**

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं हस्तांतरण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते के व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) भी शामिल हैं।

2019-20 से 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियाँ 10.76 प्रतिशत सीएजीआर के साथ ₹ 58,417 करोड़ से बढ़कर ₹ 87,929 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 9,642 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,524 करोड़ हो गईं। केंद्र सरकार से हस्तांतरण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 19 प्रतिशत से बढ़ा। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार के सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 में 21.06 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 10.40 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,266.71 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्वों के भुगतान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा तंत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। शुद्ध रूप से 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 56,457 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 18.19 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 76,676 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 16.63 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (76 से 85 प्रतिशत) बन गया, जो 7.95 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. से बढ़ रहा था।

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा/अधिशेष होता है। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 0.63 प्रतिशत) से चालू वर्ष में बढ़कर ₹ 11,252 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.44 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने केवल पूँजीगत लेखा पर ₹ 20,570 करोड़ मात्र खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 20.26 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 6,554 करोड़ की वृद्धि के कारण 2023-24 में पूँजीगत व्यय से जी.एस.डी.पी. अनुपात 4.46 प्रतिशत था, जबकि राज्य के कुल बजट (₹ 1,41,499 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14.54 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹ 8,035 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.59 प्रतिशत) से घटकर 2023-24 में ₹ 6,332 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 1.37 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के तहत, प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला प्रभार होता है तथा इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 (43 प्रतिशत) और 2023-2024 (41 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 41-44 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 6.92 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. पर बढ़ा अर्थात् 2019-20 में ₹ 24,095 करोड़ से 2023-24 में ₹ 31,487 करोड़ तक बढ़ा {2022-23 (₹ 28,893 करोड़) की तुलना में 8.98 प्रतिशत की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच अनम्य व्यय में उतार-चढ़ाव हुआ। अनम्य व्यय 2022-23 में ₹ 8,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 10,071 करोड़ हो गया, जिसमें 25.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, अनम्य व्यय ₹ 7,254 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,071 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 41,558 करोड़; राजस्व व्यय का 54 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजीगत निर्माण के लिए कम लचीलापन छोड़ती है।

#### *सब्सिडी पर व्यय*

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की राशि 2019-20 में ₹ 4,275 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 5,653 करोड़ हो गई, जो 2023-24 में घटकर ₹ 4,831 करोड़ हो गई। सब्सिडी 2019-20 में कुल राजस्व व्यय का 7.57 प्रतिशत और 2023-24 में 6.30 प्रतिशत थी। 2023-24 के दौरान बिजली पर सब्सिडी (₹ 2300 करोड़) कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (48 प्रतिशत) थी।

#### *आकस्मिक देयताएं*

2023-24 में, सरकार ने ₹ 4,998.38 करोड़ के उधार के विरुद्ध गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान, कोई गारंटी लागू नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) का प्रत्यावर्तन अधिसूचित किया था। ओपीएस के कार्यान्वयन के कारण आसन्न वित्तीय बोज़ को भी राज्य की ऋण स्थिरता का आकलन करते समय संगणित किया जाना चाहिए।

#### *राजकोषीय संधारणीयता*

राजकोषीय संधारणीयता की जांच मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों जैसे कि घाटे, ऋण का स्तर और देनदारियां, ऑफ-बजट उधार, गारंटी, सब्सिडी आदि के कारण प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय की तुलना का

संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं तथा अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले, रक्षित निधियों में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों में स्थानांतरण, इत्यादि भी शामिल है।

#### *एफ.आर.बी.एम. आवश्यकताएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन*

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में ऋण और पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी शामिल हैं। 2023-24 में, राज्य के पास राजस्व अधिशेष 2.44 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.00 प्रतिशत की सीमा की तुलना में 1.37 प्रतिशत था और 30.60 प्रतिशत की सीमा की तुलना में ऋण 27.68 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, राज्य सरकार की बकाया देनदारियाँ 2019-20 में ₹ 94,406.60 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,27,608.51 करोड़ हो गई। राज्य का कुल ऋण-जीएसडीपी अनुपात जो 2019-20 में 30.42 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.23 प्रतिशत हो गया था, यह 2021-22 से घटता रहा और 2023-24 में पाँच साल के निचले स्तर 27.68 प्रतिशत पर पहुँच गया।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, और डोमार गैप उस अवधि के दौरान नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक वृद्धि का संकेत था। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार गैप सकारात्मक था जो स्थिर आर्थिक स्थितियों को इंगित करता है जिससे लोक बचत की ओर अग्रसर हुआ। नवीनतम जीएसडीपी श्रृंखला के अनुसार, 2021-22 के दौरान, 2020-21 (कोविड वर्ष) के निम्न आधार के कारण वास्तविक आर्थिक प्रगति उच्चतम (12.02 प्रतिशत) था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार अंतर (9.20 प्रतिशत) रहा।

#### **बजट प्रदर्शन**

##### *समग्र व्यय परिणाम*

बजटीय इरादे और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अधिशेष और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.48 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.51 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के

बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और पांच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

#### *व्यय संरचना परिणाम*

बजट प्रदर्शन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में कितना योगदान दिया है। यह उपाय अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता को इंगित करता है। राजस्व अनुभाग में, आरई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 24.99 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, आरई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 18.13 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में 0 और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 19 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 57 मामलों में ₹ 13,499.10 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया था।

*यह देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं हुआ था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रक्रिया की आवश्यकता है।*

#### **लेखों और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता**

लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन वस्तुओं, लेन-देन और घटनाओं को शामिल करती है जो अनुपालन में अंतर, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह खातों और वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों जैसे कि सरकारी खातों के बाहर रखा धन, देनदारियों का गैर या कम भुगतान तथा लेनदेन और डेटा अंतर का गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

#### *अनुदान/विनियोजन से अधिक का नियमितीकरण*

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोजन पर अधिकता का नियमितीकरण प्राप्त करना होता है। यह देखा गया कि 2023-24 में, एक विनियोग के तहत ₹ 268.02 करोड़ का

अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक 10 अनुदानों से संबंधित ₹ 3,778.41 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी नियमित किया जाना शेष है।

#### *आईजीएस का अनुपालन*

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आईजीएस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण और आईजीएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन किया।

#### *पी.डी. खातों का प्रचालन*

झारखण्ड में, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पीडी खाते खोले गए। ये सभी खाते चालू हैं और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,368.79 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 1,187.22 करोड़ की राशि जोड़ी गई थी। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशियों में से, वर्ष के दौरान ₹ 346.31 करोड़ का वितरण किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 3,209.70 करोड़ शेष रहा।

#### *एकल नोडल एजेंसी को निधि*

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उनके ट्रेजरी खातों में 2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,439.24 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से में से ₹ 6,545.59 करोड़ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 8,477.76 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित किया। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। सी.जी.ए./एस.एन.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 6,276.70 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

#### *सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र*

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,33,161.50 करोड़ के 47,367 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने से धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है।

#### *ए.सी. विपत्र के विरुद्ध डी.सी. विपत्र*

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिकता (ए.सी.) विपत्र के माध्यम से निकाली गई अग्रिम राशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिकता (डी.सी.) विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता

के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 4,891.72 करोड़ के 18,011 ए.सी. विपत्र डी.सी. विपत्र प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे। निकाले गए अग्रिमों का समायोजन न करना अपव्यय/गबन/दुष्कृत आदि की संभावना को बढ़ाता है।

*प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन, विचलन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समय पर जमा न करना; ए.सी. विपत्र के विरुद्ध डी.सी. विपत्र जमा न करना; आई.जी.ए.एस.-2 एवं आई.जी.ए.एस.-3 का अनुपालन न करना; सरकारी खातों से बाहर शेष धनराशि; और एसएनए से व्यय के विवरण प्रस्तुत नहीं करने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।*



---

**अध्याय-1**

**अवलोकन**

---



## अध्याय 1

### अवलोकन

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 29.76 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह देश का 16<sup>वाँ</sup> सबसे बड़ा राज्य है तथा राज्य में 24 जिले हैं।

झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। वृहत खनिज संसाधन कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताँबा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। मार्च 2023 तक राज्य में वृहत खनिजों के 121 खदानें, लघु खनिजों के 589 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या विगत 10 वर्षों में 15.25 प्रतिशत से बढ़ा जो वर्ष 2014 में 3.47 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2024 में चार करोड़ हो गई। 2024 में राज्य का जनसंख्या घनत्व 501.32 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था जो राष्ट्रीय औसत 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.40 प्रतिशत थी।

#### 1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी.एस.डी.पी. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समय सीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

जी.एस.डी.पी. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दर्शाती हैं।

उपलब्ध नई श्रृंखला के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के जी.एस.डी.पी. आँकड़ों में बदलाव हुआ है। तदनुसार, विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित प्रासंगिक वर्षों के लिए प्रासंगिक तालिकाओं में प्रतिशत/अनुपात में बदलाव आया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए देश की जी.डी.पी. की तुलना में झारखण्ड की जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि और जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रीय वृद्धि के रुझान **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: जी.डी.पी. की तुलना में जी.एस.डी.पी. में रुझान  
(वर्तमान मूल्य पर)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>भारत</b>					
जी.डी.पी. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
जी.वी.ए.	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
पिछले वर्ष की तुलना में जी.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में जी.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.02	-0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
<b>झारखण्ड</b>					
जी.एस.डी.पी. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
जी.एस.वी.ए.	2,83,196	2,75,196	3,48,511	3,74,904	4,10,294
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.51	-4.40	26.79	10.96	10.46
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.57	-2.82	26.64	7.57	9.44
प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. (₹ में)	82,276	77,561	97,035	1,06,310	1,15,960


स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) ₹ 4,61,010 करोड़ था और मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में जी.डी.पी. ₹ 2,95,35,667 करोड़ थी। इसके अलावे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ₹ 1,15,960 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. ₹ 2,11,725 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. में वृद्धि (9.08 प्रतिशत) उसी वर्ष के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. में वृद्धि (8.64 प्रतिशत) से अधिक थी। जैसा कि तालिका 1.1 से देखा जा सकता है, झारखण्ड की जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। हालाँकि, 2023-24 के दौरान वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग अपरिवर्तित रही।

सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का उपयोग भारत सरकार तथा आई.एम.एफ. और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जी.वी.ए. को जी.डी.पी. की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जहाँ तक निवल करों के उपचार का सवाल है, दोनों पैमाने अलग-अलग हैं। इसलिए, किसी नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप निर्माण के लिए जी.वी.ए. और सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) आँकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए जी.एस.डी.पी. और जी.एस.वी.ए. के रुझान चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1: जी.एस.डी.पी. बनाम जी.एस.वी.ए. का वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24)




स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

### 1.1.2 जी.एस.डी.पी. में क्षेत्र-वार योगदान

चार्ट 1.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जी.एस.डी.पी. में क्षेत्र-वार योगदान को दर्शाता है। 2023-24 के दौरान, जी.एस.डी.पी. में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र था एवं उसके बाद सेवा क्षेत्र था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान उच्चतम था जो वर्ष 2023-24 के दौरान गिरकर 8.50 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 1.2: जी.एस.डी.पी. में क्षेत्र-वार वृद्धि



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी में सभी क्षेत्रों का योगदान काफी बढ़ गया, जिसका कारण 2020-21 (कोविड वर्ष) का कम आधार था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान कम हुआ, जबकि कृषि क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.एफ.ए.आर.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे को वार्षिक रूप से संकलित करते हैं, जो कोषागारों, कार्यालयों और ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक तथा सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से तैयार किए जाते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बजट के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े;
- जी.एस.डी.पी. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग के अनुशंसाओं, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के साथ दिनांक 28 मई 2024 को प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया। दिनांक 22 अगस्त 2024 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को उत्तर/टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार (6 दिसंबर 2024) को भेजा गया था, जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

### 1.3 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

#### 1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अदायगी से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का अदायगी इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा दत्तमत होता है।

#### 2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

#### 3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे- अल्प बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, रक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उंचत शीर्ष (अंतिम बुकिंग लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष है) शामिल होते हैं। लोक लेखा में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

#### बजट दस्तावेज

**वार्षिक वित्तीय विवरण:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज का गठन करता है। आगे, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम इत्यादि और
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल हैं।


सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है, जैसा नीचे दर्शाया गया है।

	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच* में मानकीकृत	कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	अनुदान अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत-शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/क्रियाकलाप	वस्तु-शीर्ष: वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंकीय)

\*मुख्य और लघु शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजीगत, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ, 2 और 3 राजस्व व्यय इत्यादि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। सरकारी खातों की संरचना का चित्रात्मक वर्णन चार्ट 1.3 में दिया गया है। वित्त लेखे के ब्यौरे परिशिष्ट 1.1 भाग ख एवं ग में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखे की संरचना



**लोक ऋण एवं लोक दायित्व:** इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन.एस.एस.एफ.) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण आदि शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 और 6004-लोक ऋण विचारणीय है।

आगे, लोक लेखा के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधि आदि, "रक्षित निधि" और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेन-देन ऐसे होते हैं जहाँ सरकार प्राप्त निधि को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि वसूलने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत "प्रेषण" और "उचंत" से संबंधित लेन-देन में केवल समायोजन शीर्ष शामिल है जैसा कि विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच अंतरण एवं कोषागारों और मुद्रा कोष के बीच नकदी का प्रेषण।

इस प्रतिवेदन में 'लोक दायित्व' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि' तथा 'रक्षित निधि और जमा एवं अग्रिम' के लेन-देन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देन को शामिल किया गया है।

**बजटीय प्रक्रिया**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, राज्य की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत है।

**1.3.1 वित्त का आशुचित्र**

**तालिका 1.2** वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आँकड़ों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्त परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है।

**तालिका 1.2: बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक वित्त परिणाम**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट आकलन)	2023-24 (वास्तविक)	बजट आकलन से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	56,521.63	64,639.29	65,357.12	101.11	14.18
(i)	स्वयं कर राजस्व	25,117.51	30,860.00	28,004.77	90.75	6.07
(ii)	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	31,404.12	33,779.29	37,352.35	110.58	8.10
2	गैर-कर राजस्व	12,830.05	17,259.44	13,425.12	77.78	2.91
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	10,893.54	16,438.42	9,146.26	55.64	1.98
<b>4</b>	<b>राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>80,245.22</b>	<b>98,337.15</b>	<b>87,928.50</b>	<b>89.42</b>	<b>19.07</b>
5	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	46.41	80.85	7,276.70	9,000.25	1.58
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ऋण एवं अन्य देनदारियाँ <sup>०</sup>	4,616.73 <sup>०</sup>	11,674.57	6,331.76*	54.24	1.37
<b>8</b>	<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)</b>	<b>4,663.14</b>	<b>11,755.42</b>	<b>13,608.46</b>	<b>115.76</b>	<b>2.95</b>
<b>9</b>	<b>कुल प्राप्तियाँ (4+8)</b>	<b>84,908.36</b>	<b>1,10,092.57</b>	<b>1,01,536.96</b>	<b>92.23</b>	<b>22.02</b>
10	राजस्व व्यय	66,681.63	84,676.00	76,676.42	90.55	16.63
11	ब्याज भुगतान <sup>१</sup>	6,238.29	6,787.09	6,838.95	100.76	1.48
12	पूँजीगत व्यय	14,015.59	21,248.47	20,569.69	96.81	4.46
13	ऋण एवं अग्रिम	4,211.14	4,168.10	4,290.85	102.94	0.93
<b>14</b>	<b>कुल व्यय (10+12+13)</b>	<b>84,908.36</b>	<b>1,10,092.57</b>	<b>1,01,536.96</b>	<b>92.23</b>	<b>22.02</b>

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट आकलन)	2023-24 (वास्तविक)	बजट आकलन से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
15	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+) (4-10)	13,563.59	13,661.15	11,252.08	82.37	2.44
16	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) ((4+5+6)-14)	-4,616.73	-11,674.57	-6,331.76	54.24	-1.37
17	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)	1,621.56	-4,887.48	507.19	-10.38	0.11

स्रोत: वित्त लेखे

\$ उधार और अन्य देनदारियां: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियां- संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंत रोकड़ का निवल शेष

& पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 2,964.32 करोड़ शामिल हैं।

\* पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2023 -24 के दौरान प्राप्त ₹ 4,580.61 करोड़ शामिल हैं।

# क्र.सं. 10 पर दिखाए गए राजस्व व्यय में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ 9.57 प्रतिशत बढ़ी जबकि यह बजट अनुमान की तुलना में 10.58 प्रतिशत से कम रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि 14.99 प्रतिशत थी। हालाँकि, यह बजट अनुमान से ₹ 7,999.58 करोड़ कम थी। आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 11,252.08 करोड़ का राजस्व अधिशेष था।

जी.एस.टी मुआवजा, जी.एस.टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को राजस्व प्राप्त के रूप में ₹ 165.63 करोड़ के जी.एस.टी मुआवजे की प्राप्ति हुई।

तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व और पूँजीगत लेखाओं पर प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्ति के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2019-20	58,417	56,457	96.64	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27
2021-22	69,722	62,778	90.04	11,132	9,377	84.23
2022-23	80,245	66,682	83.10	9,189	14,016	152.53
2023-24	87,929	76,676	87.20	15,524	20,570	132.50

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत पिछले वर्ष (83.10 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ा (87.20 प्रतिशत)।
- जबकि 2023-24 में पूँजीगत प्राप्तियाँ और व्यय दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2022-23

में 152.53 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 132.50 प्रतिशत हो गया।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 'परिवहन' (₹ 1,822 करोड़ से), 'जलापूर्ति और स्वच्छता' (₹ 1,528 करोड़ से), 'ग्रामीण विकास' (₹ 1,295 करोड़ से) और 'ऊर्जा' (₹ 1,452 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' (₹ 265 करोड़ से) पर कम व्यय से हुई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय, ₹ 21,248 करोड़ के बजट प्रावधान से कम था।
- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से ऋण की अव्ययित शेष राशि की वसूली के कारण 2023-24 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

### 1.3.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्त देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे और रक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति तालिका 1.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ				परिसंपत्तियाँ					
	2022-23	2023-24	वृद्धि प्रतिशत		2022-23	2023-24	वृद्धि प्रतिशत		
<b>समेकित निधि</b>									
क	आंतरिक ऋण	73,580.43	70,658.82	-3.97	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,19,410.18	1,39,979.87	17.23
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11,363.95	16,148.68	42.10	ख	ऋण एवं अग्रिम	28,513.21	25,527.35	-10.47
<b>आकस्मिक निधि</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>लोक लेखा</b>									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,016.98	1,557.43	53.14	क	अग्रिम	17.66	0.00	-100.00
ख	जमा	26,955.09	30,847.92	14.44	ख	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
ग	रक्षित निधियाँ	6,535.66	10,666.62	63.21	ग	उचंत एवं विविध	0.00	0.00	0.00
घ	प्रेषण	76.55	48.08	-37.19	घ	नकद शेष (कर्णांकित निधि में निवेश सहित)	6,682.68	10,735.61	60.65
ङ	उचंत एवं विविध	412.70	380.83	-7.72	ङ	राजस्व लेखा में घाटा	-	-	-
	व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	34,182.37	45,434.45	32.92					
<b>कुल</b>		<b>1,54,623.73</b>	<b>1,76,242.83</b>	<b>13.98</b>	<b>कुल</b>	<b>1,54,623.73</b>	<b>1,76,242.83</b>	<b>13.98</b>	

स्रोत: वित्त लेखें

#### 1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व एकत्र करने से अधिक व्यय करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे अनेक मापदंड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तो सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को एक प्रवाह माना जाता है जो ऋण के स्टॉक में जुड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संग्रहण होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण में योगदान देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में बाँड जारी करके उधार लेता है, लेकिन करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके उस बाण्ड का भुगतान बहुत बाद में करने का निर्णय ले सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधार निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर “बोझ” के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सरकारी घाटा अगर उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होती है और इसलिए अधिक बचत होती है। ऐसे में, सरकार और उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सकता है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। जब तक उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है, तब इस ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य का जी.डी.पी.) की वृद्धि से आँकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, रुझान मुख्यतः जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। इसे कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2007 पारित किया था, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करके और मध्यम अवधि के ढाँचे में पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करना था। इस संदर्भ में, अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तरों के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राज्य के राजकोषीय समेकन पर भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, नवम्बर 2021 में झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में संशोधन किया गया।

नवंबर 2021 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित जीएसडीपी के 4 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक कम करना था। बिजली क्षेत्र में सुधारों के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित जीएसडीपी के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत तक कम किया जाना था।

#### 1.4.1 राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान उपलब्धियाँ तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा/(-) अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	शून्य				
	वास्तविक	1,960	-3,114	6,944	13,564	11,252
	प्राप्ति	✓	✗	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा/(-) अधिशेष (+) (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता के रूप में)	लक्ष्य(प्रतिशत) तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए 5 प्रतिशत, 2021-22 के लिए 4 प्रतिशत, 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत एवं 2023-24 के लिए 3 प्रतिशत)	-3.00	-5.00	-4.00	-3.50	-3.00
	वास्तविक	8,035 (-2.59)	14,911 (-5.03)	2,604 (-0.69)	4,617 (-1.11)	6,332 (-1.37)
	प्राप्ति	✓	✗	✓	✓	✓
जी.एस.डी.पी. से कुल बकाया देयताओ का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.10	27.00	33.00	33.15	30.60
	वास्तविक	30.42	36.23 <sup>#</sup>	29.51 <sup>#</sup>	28.38	27.68
	प्राप्ति	✗	✗	✓	✓	✓

<sup>#</sup>इसमें जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के एवज में भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य में राजस्व अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा भी निर्धारित लक्ष्य से कम था। जी.एस.डी.पी. से बकाया देयता का अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी. में निर्धारित मानदंडों को पार कर गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान यह लक्ष्य के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा निर्धारित लक्ष्य और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्य के सापेक्ष में जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों की उपलब्धियां तालिका 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका: 1.6: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में लक्ष्य बनाम उपलब्धियाँ

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2023-24			वास्तविक (लेखापरीक्षा के पश्चात)
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	वास्तविक	
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+)	शून्य	शून्य	2.44	2.40
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष (+)	-3.00	-3.00	-1.37	-1.41
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	37.40	30.60	27.68	27.72

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी को निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी. में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किए गए अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के सापेक्ष में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनी	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2023-24)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	30,860	28,005	-9.25
2	गैर-कर राजस्व	17,260	13,425	-22.22
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	33,779	37,352	10.58
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	16,438	9,146	-44.36
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,14,776	87,929	-23.39
6	राजस्व व्यय	84,676	76,677	-9.45
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (5-6)	13,661	11,252	-17.64
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	-11,675	-6,332	-45.76
9	देनदारी/ जी.एस.डी.पी. अनुपात (प्रतिशत)	27.00	27.68	2.52
10	वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.70	10.46	20.23

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, मुख्य रूप से राज्य द्वारा अनुमानित गैर-कर राजस्व का कम संग्रह तथा भारत सरकार से सहायता-अनुदान की कम प्राप्तियाँ के कारण राज्य की राजस्व प्राप्ति एम.टी.एफ.पी लक्ष्य से कम रही।


### 1.4.2 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः 2019-24 की अवधि में जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष घाटे के मापदंडों और प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड की प्रवृत्ति



चार्ट 1.5: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



राज्य अपने प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों और अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 6,944 का राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष

2023-24 में बढ़कर ₹ 11,252 करोड़ हो गया। हालांकि, राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,604 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 6,332 करोड़ (जी.एस.डी.पी का 1.37 प्रतिशत) हो गया, बावजूद इसके वह वित्त आयोग तथा राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 3,682 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 507 करोड़ हो गया।

### 1.5 लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों, जैसे घाटा, देनदारियों की सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए गणना की गई राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय और ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन के रूप में गलत वर्गीकरण से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, हास निधि और प्रत्याभूति मोचन निधि आदि में कम योगदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूँजी परिव्यय और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में समीक्षा के बाद घाटे का विश्लेषण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
(₹ करोड़ में)			
2023-24 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के कम/गैर-अंतरण	93.91	93.91	2.5.3
2023-24 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	94.46	94.46	2.5.2
<b>कुल</b>	<b>188.37</b>	<b>188.37</b>	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

जैसा कि तालिका 1.8 से देखा जा सकता है कि चालू वर्ष में राजस्व अधिशेष में ₹ 188.37 करोड़ अत्योक्ति हुई और राजकोषीय घाटा में ₹ 188.37 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस प्रकार, यदि उपर्युक्त मदों को ध्यान में रखा जाए, तो राज्य का वास्तविक राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 11,252.08 करोड़ और ₹ 6,331.76 करोड़ के बजाय ₹ 11,063.71 करोड़ और ₹ 6,520.13 करोड़ होगा।

## 1.6 कुल देनदारियाँ

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अनुसार, कुल देनदारियों का अर्थ राज्य के समेकित निधि और लोक लेखा के तहत देनदारियाँ हैं। बकाया ऋण/ देनदारियों को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: 31 मार्च 2024 तक बकाया देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार ऋण एवं अन्य देनदारियाँ	राशि (₹ करोड़ में)
<b>आंतरिक ऋण (क)</b>	<b>70,658.82</b>
ब्याज सहित बाजार ऋण	53,862.67
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड	3,892.05
अन्य संस्थानों आदि से ऋण	8,389.86
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	4,478.43
अन्य ऋण	35.79
<b>केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)</b>	<b>16,148.67</b>
गैर-योजना ऋण	7.09
राज्य योजनाओं के लिए ऋण	1,178.94
अन्य	14,962.64
<b>लोक लेखा पर देनदारियाँ (ग)</b>	<b>39,788.10</b>
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,557.43
जमा एवं अग्रिम	30,847.92
रक्षित निधि	8,395.66
<b>कुल (क+ख+ग)</b>	<b>1,27,608.51</b>

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, राज्य की बकाया देनदारियों में प्रमुख योगदानकर्ता 'आंतरिक ऋण' के तहत ब्याज वाले बाजार ऋण (₹ 53,862.67 करोड़) और लोक खाते के तहत 'जमा और अग्रिम' (₹ 30,847.92 करोड़) थे।

---

## अध्याय-2

### राज्य का वित्त

---



## अध्याय 2

### राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, राज्य की ऋण संधारणीयता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों के समग्र रुझानों के बारे में राज्य के वित्त लेखों तथा जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से जानकारी के आधार पर चर्चा करता है।

#### 2.1 वर्ष 2022-23 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन प्रत्येक संकेतकों का उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 9.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियों में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 18.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 16.04 प्रतिशत की कमी हुई</li></ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ राजस्व व्यय में 14.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 41.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li></ul>
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 9.79 प्रतिशत की कमी हुई</li><li>✓ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 7,230.29 करोड़ की वृद्धि हुई</li></ul>
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ पूँजीगत व्यय में 46.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 26.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 63.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li></ul>
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 1.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में ₹ 7,230.29 करोड़ की वृद्धि हुई</li></ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 9.79 प्रतिशत की कमी हुई</li><li>✓ लोक ऋण की अदायगी में 5.13 प्रतिशत की कमी हुई</li></ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 52.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li><li>✓ लोक लेखा के संवितरण में 41.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li></ul>
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ वर्ष 2023-24 के दौरान नकद शेष में ₹ 4,052.93 करोड़ (60.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई</li></ul>

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


तालिका 2.2 वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना 2022-23 से करती है। विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2: 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण  
(₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में आरंभिक नकद शेष	149.37	91.07	-58.30
	राजस्व प्राप्तियाँ	80,245.22	87,928.50	7683.28
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	46.41	7,276.70	7,230.29
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	2,412.84	4,290.90	-549.71
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	2,145.59	4,290.90	2,145.31
	<b>कुल</b>	<b>84,999.43</b>	<b>1,01,450.30</b>	<b>16,450.87</b>
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	66,681.63	76,676.42	9,994.79
	पूँजीगत व्यय	14,015.59	20,569.69	6,554.10
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	4,211.14	4,290.85	79.71
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	91.07	-86.66	-177.73
<b>कुल</b>	<b>84,999.43</b>	<b>1,01,450.30</b>	<b>16,450.87</b>	

चार्ट 2.1 वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण दर्शाता है।

चार्ट 2.1: 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



## 2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (इससे निर्मित संवितरण का निवल) में उपलब्ध निधियों का भी प्रयोग सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु किया जाता है।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।


राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक चार्ट 2.2 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.2: 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



### 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों के प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है जो केन्द्र सरकार से प्राप्तियों तथा राज्य सरकार के स्वयं की प्राप्तियों में विभाजित होता है।

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, जी.एस.डी.पी. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	58,417	56,150	69,722	80,245	87,929
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.03	-3.88	24.17	15.09	9.57
स्वयं कर राजस्व	16,771	16,880	21,290	25,118	28,005
स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर	13.69	0.65	26.12	17.98	11.49
गैर-कर राजस्व	8,750	7,564	10,031	12,830	13,425
गैर-कर राजस्व की वृद्धि दर	5.96	-13.55	32.61	27.91	4.64
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व) (प्रतिशत)	10.91	-4.22	28.13	21.16	9.18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.51	-4.40	26.79	10.96	10.46
रा.प्रा./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	18.83	18.93	18.54	19.23	19.07
<b>उत्प्लावकता अनुपात<sup>1</sup></b>					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	2.67	*	0.90	1.38	0.92
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	7.22	*	1.05	1.93	0.88
स्वयं का कर राजस्व के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	0.29	#	0.93	0.84	0.83

जी.एस.डी.पी. आँकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

\* चूँकि जी.एस.डी.पी. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता परिकलित नहीं किया गया।

# चूँकि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक थी, उत्प्लावकता परिकलित नहीं किया गया।


यद्यपि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 80,245 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 87,929 करोड़ हो गईं, लेकिन उनकी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.09 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9.57 प्रतिशत रह गई।

जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य की राजस्व और स्वयं के राजस्व


<sup>1</sup> उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को दर्शाता है।

की उत्प्लावकता में कमी राज्य की राजस्व प्राप्तियों और स्वयं के राजस्व की कम वृद्धि दर के कारण हुई, जबकि जीएसडीपी की वृद्धि दर स्थिर रही।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ



इसके अलावा, जैसा कि तालिका 2.3 में दिखाया गया है, 2023-24 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व में 9.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी के संग्रह में ₹ 974 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 678 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत संग्रह में ₹ 561 करोड़, वानिकी और वन्यजीवन के तहत ₹ 178 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों में ₹ 149 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।


## राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं गैर-कर स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

### क. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, पेट्रोलियम और शराब पर बिक्री कर, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत् कर और शुल्क आदि शामिल हैं। चार्ट 2.5 राज्य के कर राजस्व में वृद्धि को दर्शाता है और तालिका 2.4 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान स्वयं कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,996	4,301	5,213	6,271	6,949	
एस. जी. एस. टी.	8,418	7,931	9,557	11,374	12,348	
राज्य उत्पाद	2,009	1,821	1,807	2,057	2,376	
वाहन कर	1,129	976	1,263	1,574	1,756	
मूद्रांक एवं निबंधन शुल्क	560	708	987	1,108	1,468	
भू-राजस्व	338	873	1,621	1,557	1,666	
विद्युत् पर कर एवं शुल्क	236	195	792	1,132	1,395	
अन्य	85	75	50	45	47	
<b>कुल</b>	<b>16,771</b>	<b>16,880</b>	<b>21,290</b>	<b>25,118</b>	<b>28,005</b>	

स्रोत: वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर में एक से 26 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं कर राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (11 प्रतिशत) और एसजीएसटी (9 प्रतिशत) का अधिक संग्रह था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एस.जी.एस.टी. का वास्तविक संग्रह (₹ 12,348 करोड़) बजट अनुमान (₹ 14,000 करोड़) से कम था।

### **जीएसटी प्राप्तियों का लेखापरीक्षा**

झारखण्ड एक मॉडल-II राज्य है और जनवरी 2021 से, आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक कर मंडल के दायरे में लेखापरीक्षा दल को बैक-एंड सिस्टम तक उपयोगकर्ता-आईडी आधारित पहुंच प्रदान की गई है। सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग से लेखापरीक्षा के लिए समर्पित यूजर- आईडी आधारित पहुंच प्रदान करने का अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2024)।

### **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)**

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए जून 2022 में समाप्त होने वाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाएगा। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

2023-24 के दौरान, झारखण्ड को अप्रैल 2021 से जून 2022 की अवधि से संबंधित जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के मुआवजे के लिए ₹ 165.63 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

### **राजस्व का बकाया तथा अनुमान में बकाया का विश्लेषण**

राजस्व का बकाया सरकार को मिलने वाले राजस्व की देरी से प्राप्ति को दर्शाता है। इसी तरह, मूल्यांकन का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2024 तक राजस्व संग्रह में बकाया राशि ₹ 84.72 करोड़ (उत्पाद शुल्क एवं निषेध विभाग) थी, जिसमें से ₹ 38.91 करोड़ पांच साल से अधिक समय से बकाया थी। विभाग में कुल बकाया राशि में से ₹ 7.72 करोड़ न्यायालयों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में रुके हुए थे। जबकि यह सूचित किया गया कि भूमि राजस्व विभाग में कोई बकाया नहीं था, दिसंबर 2024 तक अन्य विभागों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

## ख. गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व (एन.टी.आर.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

2023-24 के दौरान एकत्रित गैर-कर राजस्व ₹ 13,425 करोड़ था और यह वर्ष के लिए ₹ 17,259 करोड़ के बजट अनुमान से काफी कम था। 2019-20 से 2023-24 के दौरान एकत्रित घटक-वार गैर-कर राजस्व तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान संग्रहित गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	310	81	96	282	431	
लाभांश एवं लाभ	0	15	0	0	0	
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	8,440	7,468	9,935	12,548	12,994	
(क) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,461	5,012	7,535	10,036	10,597	
(ख) शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	469	166	128	6	5	
(ग) शहरी विकास	529	80	263	102	138	
(घ) वृहद सिंचाई	424	32	79	71	125	
(ङ) जन आपूर्ति	420	137	132	36	113	
(च) विविध सामान्य सेवाएं	140	171	483	1,172	413	
(छ) वन एवं वन्यजीव	18	328	656	638	816	
(ज) अन्य	979	1,542	659	487	787	
<b>कुल</b>	<b>8,750</b>	<b>7,564</b>	<b>10,031</b>	<b>12,830</b>	<b>13,425</b>	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व की हिस्सेदारी 13.47 से 15.99 प्रतिशत के बीच थी। यह 2022-23 में 15.99 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 15.27 प्रतिशत हो गया। गैर-कर राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग था जो पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में ₹ 561 करोड़ से बढ़ा। 2023-24 के दौरान विविध सामान्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट (759 करोड़ से) देखी गई।

## ग. केन्द्र सरकार से अंतरण

2023-24 के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से राज्य को हस्तांतरण राज्य के कुल गैर-ऋण राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक था। स्वयं राजस्व के संग्रह में गिरावट के कारण 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार से गैर-ऋण प्राप्तियों के हस्तांतरण का अनुपात उच्चतम (62 प्रतिशत) था। 2023-24 के दौरान यह अनुपात 48.84 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: केन्द्र सरकार से राज्य को अंतरण



जैसा कि चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर केंद्र सरकार से राज्य को करों का हस्तांतरण 2014-15 में ₹ 9,487 करोड़ से लगातार बढ़कर 2023-24 में ₹ 37,352 करोड़ हो गया।

### केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटक-वार प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	5,844	5,863	8,367	8,874	11,336
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	0	0	0	0	0
निगम कर	7,021	5,944	7,139	10,529	11,212
निगम कर के अलावा आयकर	5,502	6,093	8,693	10,279	12,948
सीमा शुल्क	1,305	1,050	2,060	1,235	1,309
संघ उत्पाद शुल्क	908	663	1,089	387	495
सेवा कर	0	85	356	49	7
अन्य कर <sup>2</sup>	13	14	31	51	45
<b>केन्द्रीय कर अंतरण</b>	<b>20,593</b>	<b>19,712</b>	<b>27,735</b>	<b>31,404</b>	<b>37,352</b>
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	-14	-4	41	13	19
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	35	35	40	39	42

<sup>2</sup> संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2023-24 में केंद्रीय कर अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,948 करोड़ की वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण सी.जी.एस.टी. तथा निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों के हस्तांतरण में वृद्धि थी।

### भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतम (33.21 प्रतिशत) थी जो 2023-24 में नकारात्मक 16.04 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान कमी मुख्य रूप से जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे की कम प्राप्तियों (₹ 1,899 करोड़ से) के कारण हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	7,339.05	6,838.85	6,577.16	6,871.79	6,266.71
वित्त आयोग अनुदान	3,154.60	2,990.50	2,198.30	1,826.59	2,378.28
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,236.71	1,689.00	699.30	1,271.00	1,300.00
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	586.39	733.50	600.20	441.94	166.00
अन्य (एस.डी.आर.एफ., एस.डी.एम.एफ., स्वास्थ्य अनुदान सहित)	331.50	568.00	898.80	113.65	912.28
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,809.01	2,164.06	1,891.40	2,195.16	501.27
राज्य सड़कों के लिए अनुदान	137.67	78.77	40.79	81.56	192.64
जीएसटी के क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई	1,531.82	1,958.32	1,525.63	2,064.64	165.63
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	111.66	102.78	122.64	48.96	143
अन्य	27.86	24.19	202.34	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>12,302.66</b>	<b>11,993.41</b>	<b>10,666.86</b>	<b>10,893.54</b>	<b>9,146.26</b>
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	33.21	-2.51	-11.06	2.13	-16.04
राजस्व प्राप्तियों से सहायता अनुदान की प्रतिशतता	21.06	21.36	15.30	13.58	10.40

स्रोत: वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 के दौरान भारत सरकार से राज्य को सहायता अनुदान ₹ 9,146.26 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच रहा और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में उनका प्रतिशत 10.40 से 21.36 प्रतिशत के बीच रहा। इस अवधि के दौरान सहायता अनुदान की वृद्धि (-) 16.04 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच दोलित रही।

**एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.)**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) को लागू करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) नामित करना आवश्यक है। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एकल नोडल खाता खोलेगी। आगे, नई प्रक्रिया के अनुसार यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) द्वारा अव्ययित राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए।

राज्य सरकार को अपने ट्रेजरी खातों में 2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,439.24 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,545.59 करोड़<sup>3</sup> और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 8,477.76 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिए। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सी.जी.ए./एस.एन.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 6,276.70 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

**पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (15<sup>वें</sup> एफ.सी.)**

15<sup>वें</sup> वित्त आयोग की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

<sup>3</sup> पिछले वर्ष का शेष सम्मिलित करते हुए

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15 <sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा निर्गमन				राज्य सरकार द्वारा निर्गमन (केन्द्रीय निर्गमन सहित)			
		2021-22	2022-23	2023-24	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
<b>स्थानीय निकाय</b>									
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,585.00	699.32	1,271.00	1,300.00	3,270.30	772.76	1,462.57	2,278.59	4,513.92
(क) सामान्य आधारभूत अनुदान	2,634.00	699.30	883.10	261.40	1,843.80	772.76	1,462.57	2,278.59	4,513.92
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	3,951.00	0.00	387.90	1038.60	1,426.50				
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	3,367.00	600.20	441.94	166.00	1,208.14	1,042.33	1,266.41	940.51	3,249.25
(क) सामान्य आधारभूत अनुदान	819.60	0.00	116.40	0.00	116.40	1,042.33	1,266.41	940.51	3,249.25
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	2,547.40	600.20	325.54	166.00	1,091.74				
स्वास्थ्य अनुदान	2,370.00	444.40	0.05	435.48	879.93	438.49	4.41	425.46	868.36
स्थानीय निकायों के लिए कुल	12,322.00	1,743.90	1,712.99	1,901.48	5,358.37	2,253.58	2,733.39	3,644.56	8,631.53
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि*	4,182.00	454.40	0.00	476.80	931.20	605.60	0.00	1012.92	1618.52
कुल योग	16,504.00	2,198.30	1,712.99	2,378.28	6,289.57	2,859.18	2,733.39	4,657.48	10,250.05

\*कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

केंद्र सरकार ने 2021-22 और 2023-24 के दौरान यू.एल.बी. और पी.आर.आई. के लिए 2021-26 की अवधि के लिए 15<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 12,322.00 करोड़ के मुकाबले ₹ 5,358.37 करोड़ जारी किए। आगे, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य द्वारा यू.एल.बी. और पी.आर.आई. को जारी कुल ₹ 3,644.56 करोड़ में केंद्र सरकार से ₹ 1,901.48 करोड़ प्राप्त हुए।

### 2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2019-24 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत प्राप्तियाँ	9,642.31	13,595.36	11,131.62	9,188.71	15,523.83
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49.19	48.78	1,291.73	46.41	7276.70
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,361.72	10,801.76	5,592.79	2,412.84	1,863.12
आंतरिक ऋण	5,109.14	8,411.43	2,581.42	(-957.88)	(-2,921.61)
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.17	64.63	-69.31	(-137.11)	(-205.01)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	252.44	2,390.33*	3,011.37*	3,370.72 <sup>#</sup>	4,784.73 <sup>#</sup>
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	137.66	846.89	25.98	11.93	41.95
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.93	41.21	(-) 27.36	(-)7.09	(-)9.79
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.66	(-)0.83	2,548.07	(-)96.41	15,579.16
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.51	(-)4.40	26.79	10.96	10.46
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.83	41.00	(-)18.12	(-)17.45	68.94

स्रोत: वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट

\* जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण को शामिल करते हुए (वर्ष 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़)

<sup>#</sup> इसमें 2022-23 और 2023-24 में पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त क्रमशः ₹ 2,964.32 करोड़ और ₹ 4,580.61 करोड़ की विशेष सहायता शामिल है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2019-20 से 2023-24 के दौरान (-)18.12 प्रतिशत और 68.94 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। हालाँकि, 2023-24 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गईं, जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में भारत सरकार के ऋणों की अधिक प्राप्तियाँ (₹ 1,616.29 करोड़ से) थीं।

ऋण और अग्रिमों की उल्लेखनीय वसूली के कारण 2023-24 के दौरान गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2022-23 में ₹ 46.41 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,276.70 करोड़ हो गई। वसूली में मुख्य रूप से जेबीवीएनएल द्वारा ₹ 7,230.80 करोड़ (वार्षिक विकास कार्यक्रम और पीएसयू से बिजली खरीद के बकाये के भुगतान से ₹ 1,094.44 करोड़ और पिछले वर्षों में सरकार द्वारा प्रदान की गई उदय योजना से ₹ 6,136.36 करोड़) की अप्रयुक्त शेष राशि का अभ्यर्पण शामिल था।

### केंद्रीय ऋणों को बड़े खाते में डालना

13<sup>वें</sup> वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2010 तक केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को माफ कर दिया था (फरवरी 2012)। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) और इसके कार्यान्वयन से किए गए मूलधन और ब्याज के अतिरिक्त अदायगी को वित्त मंत्रालय को भविष्य की अदायगी के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी थी। झारखण्ड सरकार ने ₹ 5.73 करोड़ (मूलधन: ₹ 2.50 करोड़ और ब्याज: ₹ 3.23 करोड़) का अतिरिक्त अदायगी किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 3.51 करोड़ का समायोजन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।

### 2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्वयं के कर और गैर-कर स्रोत शामिल हैं। बजट/एम.टी.एफ.पी. में किए गए अनुमानों और 2023-24 के लिए 15<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुमानों के संबंध में संसाधनों का संग्रहण तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2023-24 हेतु कर एवं गैर-कर अनुमान के सापेक्ष प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	15 <sup>वें</sup> वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक	एम.टी.एफ.पी. अनुमान के सापेक्ष वास्तविक विचलन की प्रतिशतता
स्वयं-कर राजस्व	30,860.00	18,235.00	28,004.76	-9.25
गैर-कर राजस्व	17,259.44	10,667.00	13,425.14	-22.22

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, स्वयं कर और गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रह 15<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एम.टी.एफ.पी. अनुमानों से कम था।

### 2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो।

#### व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ दर्शाते हैं।


तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टी.ई.)	66,501	71,110	73,618	84,908	1,01,537
राजस्व व्यय (आर.ई.)	56,457	59,264	62,778	66,681	76,676
पूँजीगत व्यय (सी.ई.)	9,879	8,466	9,377	14,016	20,570
ऋण एवं अग्रिम (एल. एंड ए.)	165	3,380	1,463	4,211	4,291
<b>जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता के रूप में</b>					
कुल व्यय/ जी.एस.डी.पी.	21.40	24.00	19.57	20.34	22.02
राजस्व व्यय/ जी.एस.डी.पी.	18.19	19.98	16.69	15.98	16.63
पूँजीगत व्यय/ जी.एस.डी.पी.	3.18	2.85	2.49	3.36	4.46
ऋण एवं अग्रिम/ जी.एस.डी.पी.	0.05	1.14	0.39	1.01	0.93


जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है, 2023-24 के दौरान जी.एस.डी.पी. के लिए राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का अनुपात 2022-23 के दौरान के अनुपात की तुलना में बढ़ा है। 2023-24 के दौरान जी.एस.डी.पी. के लिए कुल व्यय तथा ऋण और अग्रिम अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। पूँजीगत व्यय में ₹ 6,554 करोड़ की वृद्धि के कारण पूँजीगत व्यय से जी.एस.डी.पी. अनुपात 2022-23 में 3.36 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 4.46 प्रतिशत हो गया। राज्य के कुल बजट (₹ 1,41,499 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14.54 प्रतिशत रहा।

चार्ट 2.7: कुल व्यय - गतिविधियों के अनुसार व्यय



चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2019-20 से 2022-23 के दौरान लगातार बढ़ा, लेकिन 2023-24 के दौरान घट गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत अंक बढ़ा जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2022-23 और 2023-24 में पिछले वर्षों की तुलना में दो प्रतिशत अंक कम हुआ।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - इसके घटकों के हिस्सेदारी का रुझान



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

#### 2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के मौजूदा स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है।

समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा कुल व्यय बनाम जी.एस.डी.पी. एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात को तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

यह देखा गया कि जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय (आरई) 2022-23 में 15.98 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 16.63 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.12: राजस्व व्यय – आधारभूत मापदंड


(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टी.ई.)	66,501	71,110	73,618	84,908	1,01,537
राजस्व व्यय (आर.ई.)	56,457	59,264	62,778	66,681	76,676
आर.ई. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.51	4.97	5.93	6.22	14.99
टी.ई. के प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय	84.90	83.34	85.28	78.53	75.52
आर.ई./ जी.एस.डी.पी.(प्रतिशत)	18.19	19.98	16.69	15.98	16.63
आर.आर. के प्रतिशतता के रूप में आर.ई.	96.64	105.55	90.04	83.10	87.20

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 के दौरान कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



2023-24 के दौरान ₹ 76,676.42 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से, ₹ 36,536.69 करोड़ स्थापना पर और ₹ 40,139.73 करोड़ राज्य और केंद्रीय योजनाओं पर व्यय किए गए। इसके अलावा, राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा (37 प्रतिशत) सामाजिक सेवाओं के बाद आर्थिक सेवाओं (29 प्रतिशत) पर व्यय किया गया।

राजस्व व्यय की वृद्धि 2022-23 में उल्लेखनीय रूप से 6.22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 14.99 प्रतिशत हो गई, हालांकि कुल व्यय से इसका प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत कम रहा। 2023-24 के दौरान बजट अनुमान (₹ 84,676 करोड़) की तुलना में ₹ 8,000 करोड़ राजस्व व्यय कम रहा।

### राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन उल्लेखनीय विचलन तालिका 2.13 में वर्णित है।

तालिका 2.13: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान  
प्रमुख घटकों पर राजस्व व्यय में विचलन

लेखे के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2049- ब्याज भुगतान	6,238.29	6,838.95	600.66
2055- पुलिस	5,932.65	6,154.49	221.84
2071- पेंशन	7,803.17	9,014.47	1,211.30
2202- सामान्य शिक्षा	11,166.76	11,410.92	244.16
2217- नगर विकास	1,945.13	1,231.51	-713.62
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,486.89	5,481.85	-5.04
2236- पोषण	357.67	685.28	327.61
2401- फसल कृषि-कर्म	909.17	753.53	-155.64
2505- ग्रामीण रोजगार	2,881.84	1,901.73	-980.11
2801- विद्युत	3,239.96	8,995.50	5,755.54
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,256.42	3,660.14	1,403.72
3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	492.66	71.39	-421.27

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के घटकों, जैसे कि फसल कृषि-कर्म, नगर विकास, ग्रामीण रोजगार और सचिवालय आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है।

फसल कृषि-कर्म पर राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से खाद्य फसलों पर कम व्यय के कारण हुई। नगर विकास पर कम व्यय मुख्य रूप से स्थानीय निकाय निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों आदि, नगर पालिकाओं/नगर निगमों और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को कम सहायता के कारण हुआ। ग्रामीण रोजगार पर कम व्यय मुख्य रूप से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना पर कम व्यय के कारण हुआ।

विद्युत पर अधिक व्यय मुख्य रूप से जेबीवीएनएल को अधिक सहायता के कारण हुआ।

#### 2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला भार होता है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास व्यय के लिए कम लचीलापन देती है।

उपर्युक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं, जिन्हें सामान्यतः बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनशील लेन-देन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण)
- आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएँ - समेकित हास निधि (सी.एस.एफ.), गारंटी मोचन निधि (जी.आर.एफ.), राज्य आपदा शमन निधि/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.एम.एफ./एस.डी.आर.एफ.) आदि में योगदान
- आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के अंदर प्रतिपूर्ति राशि
- उपकर को रक्षित निधि/अन्य निकायों में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक हैं
- प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सी.एस.एस. हिस्से का शेयर योगदान - राज्य के हिस्से की राशि एस.एन.ए. को हस्तांतरित की जाएगी/ राज्य द्वारा व्यय की जाएगी
- ब्याज वाली निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में - ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय तथा उसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	12,782	12,837	13,929	14,852	15,634
पेंशन पर व्यय	6,005	6,797	7,614	7,803	9,014
ब्याज भुगतान	5,308	5,790	6,286	6,238	6,839
<b>कुल</b>	<b>24,095</b>	<b>25,424</b>	<b>27,829</b>	<b>28,893</b>	<b>31,487</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) के प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	21.88	22.86	19.98	18.51	17.78

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेंशन पर व्यय	10.28	12.11	10.92	9.72	10.25
ब्याज भुगतान	9.09	10.31	9.02	7.77	7.78
<b>कुल</b>	<b>41.25</b>	<b>45.28</b>	<b>39.91</b>	<b>36.01</b>	<b>35.81</b>
<b>अनम्य व्यय के घटक</b>					
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	उपलब्ध नहीं				
आरक्षित निधि में योगदान	55	244	151	0	158
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
आरक्षित निधि/अन्य निकायों को उपकर का स्थानांतरण	0	0	0	154	154
प्राप्त केंद्रीय निधियों के विरुद्ध सी.एस.एस. के हिस्से का योगदान	6,957	7,972	7,278	7,421	8,652
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान	241	478	480	425	1,107
<b>कुल</b>	<b>7,254</b>	<b>8,694</b>	<b>7,910</b>	<b>8,000</b>	<b>10,071</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	22.64	21.66	22.19	22.27	20.39
पेंशन पर व्यय	10.64	11.47	12.13	11.70	11.76
ब्याज भुगतान	9.40	9.77	10.01	9.35	8.92
<b>कुल</b>	<b>42.68</b>	<b>42.90</b>	<b>44.33</b>	<b>43.33</b>	<b>41.06</b>

2022-23 में 43.33 प्रतिशत की तुलना में, 2023-24 के दौरान, वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन कुल मिलाकर राजस्व व्यय का 41.06 प्रतिशत था, जबकि 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में इसका हिस्सा 36.01 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में कम होकर 35.81 प्रतिशत तक हो गया।

### **ब्याज अदायगी**

2023-24 में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 2022-23 में (-)0.76 प्रतिशत के मुकाबले 9.63 प्रतिशत रही। राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2022-23 (7.77 प्रतिशत) की तुलना में 2023-24 (7.78 प्रतिशत) के दौरान लगभग समान रहा।

### **पेंशन भुगतान**

झारखण्ड सरकार ने 2023-24 के दौरान अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में ₹ 9,014.47 करोड़ (नियोक्ता के योगदान के रूप में एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित ₹ 7.66 करोड़ सहित) का भुगतान किया। नियोक्ता के योगदान (₹ 9,014.47 करोड़) सहित कुल पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ क्रमशः राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 10.25 प्रतिशत और 11.76 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए कुल वेतन एवं मजदूरी की तुलना में कुल पेंशन भुगतान का प्रतिशत 57.47 प्रतिशत था।

### **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व**

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) में रखा गया है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके विरुद्ध 1 अप्रैल 2019 से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

झारखण्ड सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) में वापसी की अधिसूचना जारी कर दी है। कुल कर्मचारियों में से 1,14,462 ने ओ.पी.एस., 76 ने एन.पी.एस. और 1,024 ने कोई विकल्प नहीं चुना है। चूंकि, अधिकांश कर्मचारियों ने ओ.पी.एस. को चुना है, इसलिए एन.एस.डी.एल. में नियोक्ता का योगदान 2022-23 में ₹ 400.85 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 7.66 करोड़ हो गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने सार्वजनिक खाते में कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ₹ 4.61 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 4.28 करोड़ एनएसडीएल के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किए। वर्ष के दौरान ₹ 0.33 करोड़ के अल्प अंतरण को ₹ 78.94 करोड़ के आरंभिक शेष के साथ जोड़ा गया जिससे वर्ष 2023-24 के अंत में सार्वजनिक खाते (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) में ₹ 79.27 करोड़ का अंत शेष हुआ।

### **अनम्य व्यय**

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, अनम्य व्यय के घटक जिनमें रक्षित निधि में योगदान, सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर का हस्तांतरण, प्राप्त केंद्रीय निधियों के विरुद्ध सी.एस.एस. का अंशदान और ब्याज देने वाली निधियों पर शामिल ब्याज में ₹ 7,254 करोड़ से ₹ 10,071 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव आया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव आया। इसके अलावा, पिछले वर्ष (₹ 8,000 करोड़) की तुलना में, 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 10,071 करोड़) 25.89 प्रतिशत बढ़ा।

### **सब्सिडी**

जैसा कि तालिका 2.15 में दिए गए विवरण में देखा जा सकता है, 2023-24 के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, सब्सिडी 2022-23 में 5.09 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 5.49 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, सब्सिडी 2022-23 में 6.13 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 6.30 प्रतिशत हो गई।

तालिका 2.15: 2019-20 से 2023-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	4,275	3,208	5,653	4,087	4,831
आर.आर. के प्रतिशतता के रूप में	7.32	5.71	8.11	5.09	5.49
आर.आई. के प्रतिशतता के रूप में	7.57	5.41	9.00	6.13	6.30

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, सब्सिडी में मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत (₹ 410 करोड़ से) और 3456-जन आपूर्ति (₹ 322 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान, विद्युत और जन आपूर्ति के लिए दी गई कुल सब्सिडी क्रमशः ₹ 2,300 करोड़ और ₹ 1689 करोड़ थी।

### स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी है। विवरण तालिका 2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>(क) स्थानीय निकाय</b>					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,505.45	1,930.03	1,042.33	1,266.41	940.50
पंचायती राज संस्थान	2,497.70	1,771.20	772.76	1,462.57	2,278.59
<b>कुल (क)</b>	<b>4,003.15</b>	<b>3,701.23</b>	<b>1,815.09</b>	<b>2,728.98</b>	<b>3,219.09</b>
<b>(ख) अन्य</b>					
विश्वविद्यालय	1,265.29	1,771.17	1,807.60	2,393.67	2,423.63
विकास प्राधिकरण	10,771.73	8,283.26	8,751.59	8,033.52	7,154.86
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1,753.28	2,119.77	2,469.66	1,000.70	2,867.77
अन्य संस्थान	1,398.01	4,202.24	4,786.01	8,037.18	14,372.85
<b>कुल (ख)</b>	<b>15,188.31</b>	<b>16,376.44</b>	<b>17,814.86</b>	<b>19,465.07</b>	<b>26,819.11</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>19,191.46</b>	<b>20,077.67</b>	<b>19,629.95</b>	<b>22,194.05</b>	<b>30,038.20</b>
वेतन के लिए सहायता अनुदान	1,386.79	2,871.82	2,914.63	3,253.09	3,600.27
गैर-वेतन के लिए सहायता अनुदान	10,725.29	10,835.98	11,356.68	12,889.08	17,888.63
पूँजी परिसंपत्तियों के परिनिर्माण के लिए सहायता अनुदान	7,079.39	6,369.87	5,358.63	6,051.88	8,549.30
वस्तुओं के रूप में सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई				
राजस्व व्यय	56,457	59,264	62,778	66,681	76,676
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	33.99	33.88	31.27	33.28	39.18

वर्ष 2023-24 के दौरान, यूएलबी को वित्तीय सहायता में ₹ 325.90 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम अनुदान प्रदान किया जाना (₹ 243.97 करोड़ से) है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान की अधिक प्राप्ति (₹ 204.23 करोड़ से) और मनरेगा श्रमिकों को अनुदान (₹ 187.66 करोड़ से) के कारण पीआरआई को वित्तीय सहायता में ₹ 816.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वर्ष 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वेतन और गैर-वेतन उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता का हिस्सा 31.27 प्रतिशत और 39.18 प्रतिशत के बीच उत्प्लावित होता रहा।

### **राज्य वित्त आयोग की सिफारिश**

संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर स्थानीय निकायों (एल.बी.) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों, फीस आदि के वितरण, करों, शुल्कों, फीस आदि के निर्धारण, स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

राज्य सरकार ने जनवरी 2004 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान चार राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) गठित किए। पहले एसएफसी की सिफारिशें केवल शहरी स्थानीय निकायों के लिए थीं। दिसंबर 2009 और अप्रैल 2015 में गठित दूसरे और तीसरे एसएफसी ने राज्य सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं सौंपी। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए किसी भी एसएफसी द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में चौथे एसएफसी के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन एसएफसी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी और चौथे एसएफसी का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया। पांचवें एसएफसी का गठन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 526 दिनांक 23 फरवरी 2024 के तहत अगले पांच वर्षों के लिए यानी 27 जनवरी 2029 तक किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्वायत्त निकायों को सौंपे/साझा न किए गए करों के बदले में पहले एस.एफ.सी. ने 2009-10 में प्रति व्यक्ति ₹ 375 की दर से “कोर म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोविजन ग्रांट” अगले चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ के प्रावधान की सिफारिश की थी। हालांकि, न तो शहरी स्वायत्त निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और न ही एस.एफ.सी. द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आबंटन का सिद्धांत निर्धारित किया गया।


प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया तथा यह निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2013) कि कर्मचारियों के वेतन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 40 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की सैरातों<sup>4</sup> को भी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया, ताकि वे स्वयं अपना राजस्व अर्जित कर सकें। इसके अलावा, प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं (यू.आई.डी.पी.) के लिए झारखण्ड शहरी विकास कोष बनाया गया तथा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान इसका बजटीय प्रावधान किया। हालांकि, निधियों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किया गया। 2018-19 के बाद राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

### 2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (सी.ई.) मुख्य रूप से सड़क, भवन आदि जैसी अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। केंद्र और राज्य दोनों में पूँजीगत व्यय बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ऑफ-बजट से पूरा किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले पाँच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक राज्य में पूँजीगत व्यय का रुझान चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup> सैरात का तात्पर्य नगर परिसंपत्तियों जैसे सार्वजनिक स्थल, बाजार, तालाब आदि से राजस्व कि प्राप्ति से है

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



### पूँजीगत व्यय में मुख्य बदलाव

वर्ष 2020-21 में पूँजीगत व्यय ₹ 8,466 करोड़ से लगातार बढ़कर 2023-24 में ₹ 20,570 करोड़ हो गया। 2023-24 के दौरान, पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर अधिक व्यय (63.94 प्रतिशत) के कारण बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 26.68 प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2023-24 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में ₹ 1,393 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'जलापूर्ति, स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय' (₹ 1,627 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि थी, जिसकी भरपाई 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' पर पूँजीगत परिव्यय' (₹ 265 करोड़) पर कम व्यय से हुई।

इसी प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 5,065 करोड़ बढ़ गया। 2023-24 के दौरान बढ़ोतरी मुख्य रूप से परिवहन (₹ 1,854 करोड़ से) और विद्युत (₹ 1,452 करोड़ से) के कारण हुई।

हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का कुल पूँजीगत व्यय (₹ 20,570 करोड़ से) बजट प्रावधान (₹ 679 करोड़ से) से कम था। 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान पूँजीगत परिव्यय के घटकों में बड़े बदलाव तालिका 2.17 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.17: 2022-23 के तुलना में 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि(+)/ कमी (-)
<b>पूँजीगत परिव्यय</b>			
4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	1,011.79	747.28	-264.51
4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,840.08	3467.14	1,627.06
4217-शहरी विकास	721.66	584.49	-137.17
4225-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. तथा अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण	848.34	877.73	29.39
4402-मृदा एवं जल संरक्षण	456.15	458.84	2.69
4425-सहकारिता	116.04	379.45	263.41
4515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,219.58	3514	1,294.42
4701-मध्यम सिंचाई	714.76	968.31	253.55
4702-लघु सिंचाई	257.78	222.6	-35.18
4801-विद्युत परियोजना	153.96	1605.78	1,451.82
5054-सड़क एवं पुल	3352.85	5206.8	1,853.95

#### 2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

झारखण्ड में कुल 32 में से 17 कंपनियों से प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, छः कंपनियों<sup>5</sup> की निवल परिसंपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गयी थी, क्योंकि उनका संचयी निवल परिसंपत्ति 31 मार्च 2024 को (-) ₹ 13,287.27 करोड़ था। 31 मार्च 2024 को इन एस.पी.एस.ई. का संचयी हानि ₹ 17,868.68 करोड़ था।

आगे, उनके लेखाओं के अनुसार, तीन कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2023-24 के दौरान उनकी हानि ₹ 3,944.48 करोड़ थी। हानि में चल रही इन कंपनियों में से दो कंपनियों (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड) को सरकार से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4,227.75 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ।

यह भी देखा गया कि इन 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 33,355.42 करोड़ था, जिसमें से 31 मार्च 2024 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 30,795.58 करोड़ था।

<sup>5</sup> झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 12,065.75 करोड़), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (- ₹ 1137.64 करोड़), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (- ₹ 33.20 करोड़), झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (- ₹ 2.99 करोड़), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 16.36 करोड़) और करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 31.34 करोड़)

### सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2024 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य के गठन के बाद से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों<sup>6</sup> (आरआरबी) (₹ 46.41 करोड़), 22 सरकारी कंपनियों/निगमों (₹ 3,807.14 करोड़) और 22 सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 289.09 करोड़) में ₹ 4,142.64 करोड़ का निवेश किया था। हालांकि, 2016-17 के दौरान राज्य के पीएसयू खातों और संस्वीकृत्यादेशों के सत्यापन से पता चला कि सरकारी खातों ने 2000-2016 के दौरान नौ कंपनियों/निगमों में ₹ 124.54 करोड़ का निवेश कम दिखाया था, जिसका कारण गलत बजटीय वर्गीकरण था, अर्थात् उचित लघु शीर्ष के तहत निवेश के लिए प्रावधान नहीं करना और इक्विटी में निवेश के बजाय शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाना था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21 के अंत में चार कंपनियों के संबंध में ₹ 65 करोड़<sup>7</sup> की राशि के निवेश के आंकड़ों का मिलान और सुधार किया। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष के अंत में पांच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़<sup>8</sup> का निवेश अभी भी असमायोजित है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 22 कम्पनियों/निगमों तथा 22 सहकारी बैंकों एवं समितियों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निवेश पर प्रतिफल का विवरण तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	447.95	1,111.65	2,250.22	2,483.36	4,142.64
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.34	6.13	5.76	5.50	5.77
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	-6.34	-4.78	-5.76	-5.50	-5.77

स्रोत: वित्त लेखे

<sup>6</sup> राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची (₹19.05 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका (₹8.40 करोड़)

<sup>7</sup> झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम: ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम: ₹ 10 करोड़ तथा झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड: - ₹ 15 करोड़।

<sup>8</sup> ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण: ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड: ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास एवं अधिप्राप्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड: ₹ 8.40 करोड़ तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जनापूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़

अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान इक्विटी के रूप में ₹ 1,659.28<sup>9</sup> करोड़ का निवेश किया।

पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में 14 नवंबर 2000 तक किए गए निवेश को अभी तक उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।

#### 2.4.5 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम

तालिका 2.18 में दर्शाए गए संस्थाओं में इक्विटी निवेशों के अलावे राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं और अपने कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2024 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.19 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 2.19: 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रदत्त और वसूली गई ऋण की मात्रा  
(₹ करोड़ में)

प्रदत्त तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	20,729.99	20,846.24	24,177.23	24,348.48	28,513.21
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	165.43	3,379.77	1,462.98	4,211.14	4,290.85
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	49.19	48.78	1,291.73	46.41	7,276.70
बकाया ऋण का अंत शेष	20,846.23	24,177.23	24,348.48	28,513.21	25,527.36
निवल जोड़	116.24	3,330.99	171.25	4,164.73	-2,985.85
प्राप्त ब्याज	38.91	22.62	35.88	70.55	16.62
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.19	0.11	0.15	0.29	0.07
सरकार के बकाया उधार पर भुगतान किया गया ब्याज दर	6.34	6.13	5.76	5.50	5.77
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.34	6.13	5.76	5.21	5.70

टिप्पणी- लेखों को पूर्णांकित करने के कारण 2020-21 में प्रारंभिक शेष ₹ 0.01 करोड़ से बढ़ गया

मार्च 2024 के अंत में कुल बकाया ऋणों (₹ 25,527 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्य रूप से बिजली कंपनियों (₹ 24,515 करोड़) और जलापूर्ति और स्वच्छता (₹ 294 करोड़), आवास (₹ 74 करोड़) और शहरी विकास (₹ 453 करोड़) के पास बकाया था।

वर्ष के दौरान दिए गए ऋण ₹ 4,290.85 करोड़ हैं, जिनमें से विद्युत कंपनियों को ₹ 4,227.75 करोड़ संवितरित किए गए थे। जेबीभीएनएल द्वारा वसूली में मुख्य रूप से ₹ 7,230.80 करोड़ (वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा पीएसयू से विद्युत खरीद का बकाया भुगतान से ₹ 1,094.44 करोड़ और पिछले वर्षों में सरकार द्वारा प्रदान

<sup>9</sup> झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड: ₹ 66.78 करोड़; सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड: ₹ 48.00 करोड़; जनजातीय सहकारी विकास निगम: ₹ 0.50 करोड़; झारखण्ड मध्य रेलवे परियोजना: ₹ 5.00 करोड़ तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,539.00 करोड़।

की गई 'उदय' योजना से ₹ 6,136.36 करोड़) की अप्रयुक्त शेष राशि का अभ्यर्पण शामिल है।

मार्च 2024 के अंत में ऋणी संस्थाओं की बकाया राशि ₹ 4,095.22 करोड़ (मूलधन: ₹ 2,059.87 करोड़ और ब्याज: ₹ 2,035.35 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण, पूँजीगत व्यय के स्थान पर राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में कम आँकी गई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में विभिन्न कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों को ₹ 7,222.18 करोड़ तक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्यों बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

#### 2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि के अवरुद्ध होने से, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रहना पड़ता है। पुनः, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अपूर्ण परियोजनाओं (भौतिक स्थिति 90 प्रतिशत तक) से संबंधित वर्षवार और विभागवार जानकारी, जिन्हें 31 मार्च 2024 को या उससे पहले पूरा किया जाना था, क्रमशः तालिका 2.20 और तालिका 2.21 में दी गई है।

तालिका 2.20: 31 मार्च 2024 तक अधूरी परियोजनाओं का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2024 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2019 तक	31	524.42	330.76	0	0
2020	34	1,213.09	761.49	0	0
2021	18	869.55	545.05	0	0
2022	20	2,352.10	1,126.07	0	0
2023	65	693.89	373.94	0	0
<b>कुल</b>	<b>168</b>	<b>5,653.05</b>	<b>3,137.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

तालिका 2.21: 31 मार्च 2024 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित राशि	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	बढ़ी राशि
सड़क निर्माण विभाग	61	2,399.07	1,380.71	0	0
ग्रामीण विकास विभाग	15	80.45	52.28	0	0
जल संसाधन विभाग	41	2,841.93	1,526.94	0	0
ग्रामीण कार्य विभाग	34	90.62	53.74	0	0
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	13	218.05	115.19	0	0
भवन निर्माण विभाग	4	22.93	8.45	0	0
<b>कुल</b>	<b>168</b>	<b>5,653.05</b>	<b>3,137.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

स्रोत: राज्य सरकार के वित्त लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹ 3,137.31 करोड़ व्यय के बावजूद ₹ 5,653.05 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 168 परियोजनाएँ अधूरी थीं। ये परियोजनाएँ पूर्ण होने के लक्ष्य वर्ष से एक से 12 वर्ष तक विलंबित थीं। चूंकि विभागों ने संशोधित लागत का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए इसे वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया, इसलिए इन परियोजनाओं पर लागत वृद्धि का पता नहीं लगाया जा सका।

#### 2.4.7 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) को कम माना जाता है, यदि इस पर आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है। राज्य के व्यय की प्राथमिकता तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	सी.ई./टी.ई.	एस.एस.ई./टी.ई.	ई.एस.ई./टी.ई.	डी.ई./टी.ई.	शिक्षा/टी.ई.	स्वास्थ्य/ टी.ई.
सामान्य श्रेणी के राज्य (2018-19)	15.58	36.60	30.65	67.24	14.76	5.07
झारखण्ड (2018-19)	19.41	32.51	38.06	70.56	12.95	5.41
सामान्य श्रेणी के राज्य (2023-24)	16.50	37.92	30.01	67.93	14.36	5.71
झारखण्ड (2023-24)	24.48	34.81	39.00	73.81	12.24	5.44

जैसा कि तालिका 2.22 से देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान, कुल व्यय (टीई) में आर्थिक क्षेत्र व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात बढ़ गया, जबकि


टीई के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात लगभग उतना ही बना रहा जितना 2018-19 के दौरान था।

इसके अलावा, 2023-24 के दौरान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों के अलावा राज्य के कुल व्यय में क्षेत्रीय व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से अधिक था।

#### 2.4.8 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वित्त लेखे प्रायः लघु शीर्ष स्तर तक के लेन-देन को दर्शाता है। हालाँकि, वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक का विवरण दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** प्रमुख वस्तुओं पर राजस्व व्यय के विषय/उद्देश्य की हिस्सेदारी दिखाता है।

**चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)**



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा (48 प्रतिशत) वेतन, पेंशन, ब्याज और सस्बिडी पर व्यय द्वारा उपभोग किया गया था। राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया गया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा विकासात्मक प्राधिकरणों (₹ 2,584.33 करोड़) और कार्यकारी अभियंता, डी.डब्ल्यू.एंड एस. प्रमंडल, राँची पश्चिमी (₹ 3,144.14 करोड़) को प्रदान किया गया।

#### 2.5 लोक लेखा

प्राप्तियाँ और संवितरण के कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार

एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: 31 मार्च 2024 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-)1,216.86	(-)1,194.40	(-)1,001.19	(-)1,016.98	(-)1,557.44
J. आरक्षित निधि	(क) ब्याज सहित रक्षित निधि	(-)5,948.02	(-)6,320.39	(-)5,904.48	(-)5,131.79	(-)7,995.66
	(ख) ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)39.55	(-)25.33	(-)24.15	(-)78.94	(-)79.27
	(ख) ब्याज रहित जमा	(-)21,065.20	(-)24,331.45	(-)23,585.14	(-)26,876.14	(-)30,768.65
	(ग) अग्रिम	7.15	19.67	19.67	17.66	0.00
L. उचंत एवं विविध	(ख) उचंत	(-)91.29	(-)146.35	(-)119.25	(-)414.30	(-)382.43
	(ग) अन्य लेखे	3,117.62	2,855.90	4,519.46	5,187.74	8,151.32
	(घ) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ङ) विविध	0.00	1.60	1.60	1.60	1.60
M. प्रेषण	(क) मनीऑर्डर एवं अन्य प्रेषण	(-)114.25	(-)133.68	(-)125.38	(-)87.35	(-)53.36
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन खाता	31.95	7.23	12.74	10.81	5.27
<b>कुल</b>		<b>(-)25,318.45</b>	<b>(-)29,267.20</b>	<b>(-)26,206.12</b>	<b>(-)28,387.69</b>	<b>(-)32,678.62</b>

नोट: (+) डेबिट शेष एवं (-) क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं

2023-24 के दौरान शीर्ष 8448- स्थानीय निधि की जमा राशि के अंतर्गत अन्य निधियों के रूप में जमा के तहत जमा व अग्रिम (₹ 2,581.94 करोड़ से) में वृद्धि के कारण क्रेडिट शेष में वृद्धि हुई।

### 2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए रक्षित निधियाँ बनाई जाती हैं। इन निधियों को राज्य की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में दो ब्याज देने वाली रक्षित निधियाँ थीं (1) राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) और (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि। एसडीआरएमएफ में दो निधियाँ शामिल हैं (i) राज्य आपदा मोचन निधि और (ii) राज्य आपदा शमन निधि।

31 मार्च 2024 तक ब्याज वाली रक्षित निधियों का अंतिम शेष (₹ 8,395.66 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 5,531.79 करोड़) की तुलना में काफी अधिक था, जिसका मुख्य कारण ₹ 1,390 करोड़ (राज्य का हिस्सा+केंद्र का हिस्सा) एसडीआरएमएफ में

स्थानांतरित होना था। पिछले वर्ष केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए एसडीआरएफ में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई। इसके अलावा, 'राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निधि' से ₹ 1,262.55 करोड़ की प्राप्ति ने भी रक्षित निधि के अंतिम शेष को बढ़ाने में योगदान दिया।

### **राज्य आपदा मोचन निधि**

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हिस्से के साथ-साथ अपने हिस्से को एस.डी.आर.एफ. के लोक लेखा में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई. की ओवरड्राफ्ट नियमावली के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट लागू दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना चाहिए। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने (जुलाई 2019) में कहा कि वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था लेकिन 2012-13 के बाद कोई निवेश नहीं किया गया।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को ओवरड्राफ्ट पर देय ब्याज (8.5 प्रतिशत) की दर से गैर-निवेशित शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक था, जिसे फंड के कॉर्पस में ही जोड़ा जाना था। इसके निर्माण के बाद से, एसडीआरएफ पर 2011-24 की अवधि के लिए लागू ब्याज दरों पर ₹ 1,098.66 करोड़ का ब्याज बनता है, जिसमें से पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 703.70 करोड़ राज्य द्वारा 2023-24 के दौरान फंड में स्थानांतरित कर दिए गए थे। ₹ 394.96 करोड़ के भुगतान नहीं किए गए ब्याज में से, अकेले 2023-24 के लिए ब्याज की राशि ₹ 94.46 करोड़ थी। 2023-24 से संबंधित ₹ 94.46 करोड़ के ब्याज का हस्तांतरण न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष में अतियोक्ति हुई और राजकोषीय घाटे न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक निधि में ₹ 2,786.36 करोड़ की गैर-निवेशित शेष राशि केवल खाता प्रविष्टियाँ हैं और वास्तविक नकद शेष राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इस तरह का अदत्त ब्याज राज्य की बेहिसाब देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

**तालिका 2.24** एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.24: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- आनुग्रहिक राहत	1.65
	113- घर के मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए राहत	0.75
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	1.02
<b>उप-योग</b>		<b>3.42</b>
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 05- राज्य आपदा मोचन निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-एस.डी.आर.एफ.	635.20
	901- कटौती - राज्य आपदा मोचन निधि से मिली राशि	41.52
<b>उप-योग</b>		<b>593.68</b>
2245-प्राकृतिक आपदा पर राहत 80- सामान्य	101- आपदा तैयारी के प्रशिक्षण का केंद्र	0.70
	102- प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, आपदा प्रवृत्त क्षेत्रों में आकस्मिक योजना इत्यादि	37.79
<b>उप-योग</b>		<b>37.79</b>
<b>कुल योग</b>		<b>634.89</b>

उपरोक्त के अलावा, 2022-23 के दौरान चक्रवाती तूफान “यास” के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 200 करोड़ को उसी वित्तीय वर्ष में एसडीआरएफ में स्थानांतरित और शामिल कर दिया गया।

### राज्य आपदा शमन निधि

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का गठन किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) / राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत आने वाली आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से संबंधित है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में एक अधिसूचना के माध्यम से एसडीएमएफ का गठन किया। केंद्र और राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में कोष में योगदान करना आवश्यक है। हालांकि, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष '8121-130- राज्य आपदा शमन निधि' के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है। नतीजतन, राज्य सरकार ने इस निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त ₹113.60 करोड़ की राशि और इसके अनुरूप राज्य का हिस्सा ₹ 37.80 करोड़ शामिल है। 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को इस मद में केंद्र सरकार से हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

### **राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि**

क्षतिपूरक वनीकरण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम, 2018 के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशि को पहले मुख्य शीर्ष '8336-सिविल जमा' के नीचे लघु शीर्ष '103-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना आवश्यक है। इसके बाद, 90 प्रतिशत राशि को मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' के नीचे लघु शीर्ष '129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि' में स्थानांतरित किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत राशि को मुख्य शीर्ष '8336-सिविल जमा-11 झारखण्ड' के अंतर्गत लघु शीर्ष '102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करके मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

इसके अलावा, तदर्थ प्राधिकरण (एकमुश्त उपाय) से राज्य के हिस्से का 90 प्रतिशत प्राप्त होने पर, इसे मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य रक्षित निधि' के अंतर्गत लघु शीर्ष '129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि' में भी जमा किया जाएगा।

एस.सी.ए.एफ. में प्रारम्भिक शेष ₹ 4,020.53 करोड़ थी, 2023-24 के दौरान प्राप्ति ₹ 1,397.24 करोड़ थी। वर्ष के दौरान राज्य द्वारा वहन किया गया व्यय ₹ 208.46 करोड़ था, जिससे 31 मार्च 2024 तक एस.सी.ए.एफ. में ₹ 5,209.31 करोड़ का शेष रह गया।

चूंकि एस.सी.ए.एफ. एक ब्याज देने वाली रक्षित निधि है, इसलिए सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना करके ₹ 134.69 करोड़ का ब्याज चुकाया (₹ 4,020.53 करोड़ के प्रारंभिक शेष पर 3.35 प्रतिशत)।

### **2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि**

मार्च 2023 के अंत में ब्याज रहित रक्षित निधियों में ₹ 1,003.87 करोड़ का अंत शेष, मार्च 2024 के अंत में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹ 2,270.95 करोड़ हो गया, जिसका कारण 'ब्याज रहित रक्षित निधियों' में ₹ 1,267.08 करोड़ का हस्तांतरण है जो निम्नलिखित उप-कंडिका में विस्तृत रूप से वर्णित है।

#### **समेकित हास निधि**

12<sup>वें</sup> वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि के कारण देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना (2016-17) की है।

झारखण्ड सरकार ने 2016-17 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखे) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत राज्य सरकार की समेकित हास निधि (कुल आंतरिक ऋण और लोक लेखे) में योगदान कर सकते हैं।

वर्ष 2023-24 में सरकार ने हास निधि में ₹ 567.00 करोड़ हस्तांतरित किए थे, जो ₹ 1,003.87 के प्रारम्भिक शेष में जुड़कर मार्च 2024 के अंत में ₹ 1,570.87 करोड़ का अंत शेष हो गया। निधि में शेष में दिखाई गई पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा (2020-21 में ₹ 303.87 करोड़, 2021-22 में ₹ 200.00 करोड़, 2022-23 में ₹ 500.00 करोड़, 2023-24 में ₹ 567.00 करोड़) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश की गई थी।

### **प्रत्याभूति मोचन निधि**

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र में अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकता है, जो समय-समय पर उसके विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाएं तथा ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे सकता है, जो निर्धारित की जाएं।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'राज्य सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बांडों और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूतियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था और लाभार्थियों द्वारा इसका आह्वान किया गया था। हालांकि, निधि का गठन नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राज्य द्वारा ₹ 4,998.38 करोड़ की प्रत्याभूति दी गई थी।

### **श्रम उपकर**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्रित राशि झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित की जानी थी।

वित्त लेखा के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 93.34 करोड़ एकत्र किए, जिससे 2008-24 की अवधि के दौरान सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले ठेकेदारों से सरकार द्वारा उपकर के रूप में कुल ₹ 826.34 करोड़ का संग्रहण हुआ। तालिका 2.25 सरकार द्वारा एकत्रित और झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित श्रम उपकर को दर्शाती है।

**तालिका 2.25: सरकार द्वारा एकत्र किए गए और बोर्ड को हस्तांतरित किए गए श्रम उपकर**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2016-17 तक	312.90	4.83*	513.51
2017-18	80.77	-	

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2018-19	79.81	-	
2019-20	76.70	-	
2020-21	59.15	-	
2021-22	54.86	-	
2022-23	68.81	154.00	
2023-24	93.34	154.00	
<b>कुल</b>	<b>826.34</b>	<b>312.83</b>	<b>513.51</b>

\* बी.ओ.सी.डब्ल्यू. से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिशोधित

झारखण्ड बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड ने 2023-24 तक के लिए अपने खाते तैयार किए थे। मार्च 2024 तक राज्य सरकार ने कुल ₹ 826.34 करोड़ के संग्रह में से केवल ₹ 312.83 करोड़ ही बोर्ड को हस्तांतरित किए। नतीजतन, राज्य सरकार की देनदारी उस सीमा तक बढ़ गई।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 2023-24 तक के लिए प्राप्तियों और निधियों के उपयोग का विवरण तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि और उसकी उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा दी गई राशि	बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त उपकर	कुल प्राप्तियाँ	योजनाओं <sup>10</sup> पर बोर्ड द्वारा व्यय राशि	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुप्रयुक्त शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	4.83*	252.16	256.99	104.08	1.66	105.74	151.25
2016-17	0.00	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0.00	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0.00	90.19	90.19	59.19	0.89	60.08	30.10
2019-20	0.00	120.00	120.00	75.78	0.83	76.61	43.40
2020-21	0.00	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
2021-22	0.00	124.31	124.31	101.64	2.23	103.87	20.44
2022-23	154.00	371.92	525.92	94.26	1.98	96.24	429.68
2023-24	154.00	400.07	554.07	53.64	5.92	59.56	494.51
<b>कुल</b>	<b>312.83</b>	<b>1,674.57</b>	<b>1,987.40</b>	<b>679.86</b>	<b>17.30</b>	<b>697.16</b>	<b>1,290.24</b>

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

\* बी.ओ.सी.डब्ल्यू. से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिशोधित

2009-10 से 2023-24 की अवधि के दौरान, बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 679.86 करोड़, जबकि स्थापना पर ₹ 17.30 करोड़ व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धनराशि का केवल 35.08 प्रतिशत ही उपयोग किया।

<sup>10</sup> झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण दिनांक 14.11.2024 के अनुसार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 16 योजनाएं चल रही हैं।

### अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार

वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि उपकर के रूप में ₹ 0.57 करोड़ एकत्र किए जिससे 2008-24 की अवधि के दौरान कुल ₹ 185.30 करोड़ का संग्रह हुआ। हालाँकि, मार्च 2024 तक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि (मुख्य शीर्ष '8448-101 जिला निधि) में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी।


इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड (श्रम उपकर: ₹ 93.34 करोड़) और जिला परिषदों (भूमि उपकर: ₹ 0.57 करोड़) को हस्तांतरित किया जाने वाला कुल उपकर ₹ 93.91 करोड़ था। इसके हस्तांतरण नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

### 2.5.4 लोक दायित्व प्रबंधन

सार्वजनिक दायित्व का प्रबंधन, सरकार के दायित्व के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, ताकि आवश्यक धनराशि जुटाई जा सके, जोखिम और लागत संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तथा सरकार द्वारा अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणा के माध्यम से निर्धारित किए गए किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए राज्य की बकाया देनदारी और जी.एस.डी.पी. में उसका प्रतिशत चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 तक राज्य की देनदारियों और परिसंपत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: बकाया लोक ऋण और जी.एस.डी.पी. में इसका प्रतिशत



नोट: बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

### 2.5.4.1 दायित्व विवरणिका: घटक

राज्य सरकार की कुल देनदारियों में आम तौर पर राज्य का आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, इत्यादि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम और लोक लेखा दायित्व शामिल होती हैं।

2019-24 के दौरान लोक दायित्वों और लोक लेखा दायित्वों के तहत प्राप्तियों और अदायगी के कारण निधि की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: घटक-वार दायित्व प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>कुल बकाया दायित्व (क+ख)</b>	<b>94,406.60</b>	<b>1,09,184.99<sup>#</sup></b>	<b>1,13,482.47<sup>#</sup></b>	<b>1,18,448.22</b>	<b>1,27,608.51</b>
क. लोक दायित्व	66,136.98	76,938.35	82,531.53	84,944.37	86,807.49
(i) आंतरिक ऋण	63,545.46	71,956.90	74,538.31	73,580.43	70,658.82
(ii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,591.52	4,981.45	7,993.22	11,363.94	16,148.67
ख. लोक लेखा का दायित्व	28,269.62	32,246.24	30,950.94	33,503.85	40,801.02
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,216.85	1,194.40	1,001.19	1,016.98	1,557.44
ब्याज सहित रक्षित निधि	5,948.03	6,720.39	6,340.46	5,531.78	8,395.66
ब्याज सहित जमा	39.55	25.33	24.15	78.94	79.27
ब्याज रहित जमा	21,065.19	24,306.12	23,585.14	26,876.15	30,768.65
ग. गैर-बजटीय उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	12.68	15.65	3.94	4.38	7.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
कुल उत्तरदायित्व /जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	30.42	36.23*	29.51*	28.38	27.68
<b>उधार एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)</b>					
कुल प्राप्तियाँ	30,980.35	32,562.62	25,623.42	31,856.35	44,607.36
कुल अदायगी	20,356.68	17,784.23	21,325.90	26,890.62	35,447.09
ब्याज भुगतान	5,307.71	5,790.00	6,286.05	6,238.29	6,838.95
निवल निधि की उपलब्धता	5,315.96	8,988.39	(-), 1,988.53	(-), 1,272.56	2,321.32
अदायगी/प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	82.84	72.40	107.76	103.99	94.80

<sup>#</sup> बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

\* कुल बकाया/जी.एस.डी.पी. अनुपात में जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।


बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय देनदारियों का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता में 2019-20 से 2023-24 के दौरान (-) ₹ 1,988.53 करोड़ और ₹ 8,988.39 करोड़ के बीच में व्यापक उतार-चढ़ाव हुआ। यह 2022-23 में नकारात्मक 1,272.56 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में


₹ 2,321.32 करोड़ हो गया। 2023-24 के दौरान निधि की उपलब्धता में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की तथा तथा लोक लेखा में अधिक प्राप्ति के कारण था।

2023-24 के दौरान, लोक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 2022-23 में 24.33 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 40.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक ऋण और ब्याज सहित अन्य देनदारियों के भुगतान में पिछले वर्ष (19.98 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में 27.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि लोक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत भुगतान की तुलना में प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए इसका शुद्ध प्रभाव राज्य के पास उधार ली गई धनराशि की अधिक उपलब्धता के रूप में सामने आया। 2023-24 के दौरान घटकवार बकाया देयता प्रवृत्तियों को चार्ट 2.13 में दिखाया गया है, जबकि चार्ट 2.14 2019-24 के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण बनाम चुकाए गए ऋण को दर्शाता है।

चार्ट 2.13: 2023-24 के अंत में कुल बकाया दायित्वों का ब्यौरा



चार्ट 2.14: आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान



2019-24 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.28: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

व्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>राजकोषीय घाटा के अवयव</b>					
1 राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	1,960	-3,114	6,944	13,564	11,252
2 निवल पूँजीगत व्यय	-9,879	-8,466	9,377	14,016	20,570
3 निवल ऋण व अग्रिम	-116	-3,331	171	4,165	-2,986
<b>राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप</b>					
1 बाजार से उधार	5,656	8,900	3,746	400	-1,950
2 भारत सरकार से ऋण	252	2,390	3,012	3,372	4,785
3 एन.एस.एस.एफ. द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-769	-769	-770	-769	-769
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	222	281	-395	-588	-202
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	6	-23	-193	16	540
6 जमा एवं अग्रिम	1,238	3,215	-722	3,346	3,910
7 उचंत एवं विविध	97	53	-27	295	-32
8 प्रेषण	-17	44	-14	-36	-28
9 रक्षित निधि	4,018	772	-380	-809	2,864
10 कर्णांकित कोष में निवेश	0.00	304	200	500	1,267
11 कुल घाटा	10,703	15,167	4,457	5,727	10,385
12 नकद शेष में वृद्धि/कमी	-2,668	-256	-1,853	-1,110	-4,053
13 सकल राजकोषीय घाटा	8,035	14,911	2,604	4,617	6,332
<b>नोट:</b> ₹ 188.37 करोड़ से राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई, जैसा कि कंडिका 1.5 में दर्शाया गया है।					

तालिका 2.28 से देखा जा सकता है कि राज्य के पास 2023-24 के दौरान ₹ 11,252 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जो दर्शाता है कि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा (₹ 20,570 करोड़) राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था। इसलिए, उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजीगत परिव्यय और राज्य के संस्थानों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने पर किया गया, जिससे ₹ 6,332 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।

2023-24 के दौरान, ₹ 6,332 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से भारत सरकार के ऋण (₹ 4,785 करोड़) तथा जमा और अग्रिम (₹ 3,910 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।


## 2.6 लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और अदायगी

लोक ऋण परिपक्वता और अदायगी की रूपरेखा, लोक ऋण अदायगी या ऋण-शोधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.29: राज्य के ऋण अदायगी की परिपक्वता की रूपरेखा

अदायगी की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	लोक ऋण के सापेक्ष प्रतिशतता
0-2	13,671.39	16
2-5	17,729.45	20
5-10	24,834.99	29
10 और अधिक	30,571.66	35
<b>कुल</b>	<b>86,807.49</b>	<b>100</b>

चार्ट 2.15: लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



जैसा कि तालिका 2.29 और चार्ट 2.15 से देखा जा सकता है, सार्वजनिक ऋणों की परिपक्वता के कारण मोचन दबाव अगले दस वर्षों में प्रति वर्ष लगभग ₹ 5,000 करोड़ से ₹ 6,000 करोड़ होगा। हालाँकि, राज्य के नए उधारों के मामले में यह बदल जाएगा।

आगे, राज्य के अगले 10 वर्षों के लिए ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान के विश्लेषण ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों में दिए गए गणना के आधार पर एक मिश्रित रुझान दिखाया, जैसा कि तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: राज्य की अगले दस वर्षों में लोक ऋण अदायगी की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अदायगी	ब्याज	कुल
2023-24	6,384	5,718	12,102
2024-25	4,616	5,972	10,588
2025-26	6,654	5,862	12,517
2026-27	6,941	5,607	12,548
2027-28	6,504	5,350	11,854
2028-29	4,318	5,145	9,463
2029-30	6,780	5,120	11,900
2030-31	4,707	4,912	9,619
2031-32	5,727	4,875	10,602
2032-33	3,989	4,765	8,754

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

जैसा कि तालिका 2.30 से देखा जा सकता है, वर्तमान ऋण देयता के अनुसार राज्य के लोक ऋण मोचन की परिपक्वता रूपरेखा 2023-24 से 2032-33 के दौरान लगभग एक समान रहेगी। वर्तमान देयता के अनुसार, अगले 10 वर्षों के दौरान मूलधन और ब्याज की कुल अदायगी ₹ 8,754 करोड़ से ₹ 12,548 करोड़ के बीच होगी। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर मूलधन और ब्याज का भुगतान संधारणीय होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य द्वारा नए उधार लेने की स्थिति में बदल सकता है।

## 2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण संधारणीयता

### 2.6.1.1 एफ.आर.बी.एम. संकेतकों पर आधारित ऋण संधारणीयता विश्लेषण

राजकोषीय संधारणीयता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात के संदर्भ में और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण संधारणीयता को परिभाषित किया। वित्त आयोग (एफ.सी.) ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन की सिफारिश की और जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिए सीमाएं प्रदान कीं। झारखण्ड सरकार ने अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में अपने राजकोषीय घाटे को अनुमानित जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखने का फैसला किया। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के मद्देनजर, बजट के साथ प्रस्तुत एम.टी.एफ.पी. विवरण में हर साल जी.एस.डी.पी. प्रतिशत में ऋण स्टॉक के लक्ष्य दिए गए थे।

एफ.एफ.सी. लक्ष्यों और एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों के संबंध में ऋण स्टॉक की स्थिति तालिका 2.31 में दर्शाई गई थी।

तालिका 2.31: ऋण संधारणीयता - एफ.आर.बी.एम. सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		जी.एस.डी.पी. से बकाया देनदारियाँ (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य		एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य		एफ.सी.सी. लक्ष्य	वास्तविक
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक		
2019-20	3.00	2.59	27.10	30.42	8.08	9.09
2020-21	5.00*	5.03	27.00	36.23 <sup>#</sup>	-	10.31
2021-22	4.00*	0.69	33.00	29.51 <sup>#</sup>	-	9.02
2022-23	3.50	1.11	33.15	28.38	-	7.77
2023-24	3.00	1.37	30.60	27.68	-	7.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.सी. प्रतिवेदन

नोट: जैसा कि कंडिका 1.5 में वर्णित है, राजकोषीय घाटा ₹ 188.37 करोड़ से कम बताया गया है।

<sup>#</sup> इसमें 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किए गए थे।

\* एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में, राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2020-21 तथा 2021-22 के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत से बढ़ गया था।

तालिका 2.31 से देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्यों के भीतर बनाए रखने में सक्षम रही। ऋण से जी.एस.डी.पी. अनुपात 2021-22 से 2023-24 में लक्ष्य के भीतर था। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के अनुपात (ब्याज भुगतान का भार) के लिए लक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 7.78 प्रतिशत था।

### 2.6.1.2 ऋण संधारणीयता संकेतक

ऋण संधारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों और डोमार दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

(क) ऋण संधारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 2.32 और चार्ट 2.16 में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: ऋण संधारणीयता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋण संधारणीयता संकेतक	Y1 (2019-20)	Y2 (2020-21)	Y3 (2021-22)	Y4 (2022-23)	Y5 (2023-24)
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	94,406.60	107,495.99	110,998.06	118,448.22	127,608.51
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.68	13.86	3.26	6.71	7.73
3	जीएसडीपी (नोमिनल संदर्भ में)	310,305.36	296,664.00	376,126.69	417,361.14	461,010.45
4	सांकेतिक जी.एस.डी.पी. वृद्धि (प्रतिशत)	1.51	-4.40	26.79	10.96	10.46
5	समग्र ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	30.42	36.23	29.51	28.38	27.68
6	लोक ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा	66,136.99	76,938.74	82,531.54	84,944.38	86,807.49
6क	0-2 वर्ष	4,293.99	8,007.24	9,835.50	11,270.52	13,671.39
6ख	2-5 वर्ष	16,222.16	18,020.08	19,960.88	17,762.84	17,729.45
6ग	5-10 वर्ष	27,549.96	26,098.33	23,257.64	27,624.62	24,834.99
6घ	10 वर्ष से अधिक	18,070.88	24,813.09	29,477.52	28,286.40	30,571.66
7	सकल उधारी की अदायगी (प्रतिशत में)	82.84	72.40	107.76	103.99	96.07
8	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	17.16	27.60	-7.76	-3.99	3.93
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	5,307.71	5,790.48	6,286.05	6,238.29	6,838.95
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.73	7.41	7.35	7.06	7.56
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.09	10.31	9.02	7.77	7.78
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	1,960.51	-3,113.86	6,943.94	13,563.59	11,252.08
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पी.आर.बी.)	7,268.22	2,676.62	13,229.99	19,801.88	18,091.03
14	प्राथमिक शेष (पी.बी.)	-2,726.87	-9,119.52	3,682.05	1,621.29	507.19
15	पी.बी./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	-0.88	-3.07	0.98	0.39	0.11
16	समग्र ऋण पर ब्याज दर और प्रभावी ब्याज दर के बीच का अंतर	-7.55	-7.31	-7.20	-6.79	-7.50

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. स.	ऋण संधारणीयता संकेतक	Y1 (2019-20)	Y2 (2020-21)	Y3 (2021-22)	Y4 (2022-23)	Y5 (2023-24)
17	तरलता प्रबंधन (आर.बी.आई. के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (कई अवसरों पर)	16	शून्य	16	शून्य	शून्य
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)	-7,292.46	-18,909.64	20,818.82	5,081.44	3,179.01
19	<b>डोमार मानदंड</b>					
क.	जी.एस.डी.पी. (स्थिर रूप से)	231,755.39	219,483.31	245,855.59	265,121.43	285,070.00
ख.	वास्तविक वृद्धि (स्थिर रूप से)	1.08	-5.30	12.02	7.84	7.52
ग.	सी.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	4.14	5.32	4.51	6.14	5.73
घ.	प्रभावी ब्याज दर	7.73	7.41	7.35	7.06	7.56
ड.	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	3.59	2.09	2.84	0.92	1.83
च.	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-2.51	-7.39	9.18	6.92	5.69

स्रोत: वित्त लेखे

समय देयताओं या समय ऋण में लोक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम सहित) और सार्वजनिक खाता देयता (ब्याज और गैर-ब्याज वाले रक्षित निधि और जमा सहित) सहित अन्य देनदारियां शामिल हैं। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ और ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य द्वारा चुकाया नहीं जाना है।

पी.आर.बी.: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहाँ (-) पी.आर.बी. का अर्थ प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

पी.बी.: कुल प्राप्तियां (निवल ऋण) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहाँ (-) पी.बी. का अर्थ प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान/[(पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित दायित्वों को छोड़कर)]}

तरलता प्रबंधन: विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत प्राप्त राशि

क्वांटम स्प्रेड: ब्याज स्प्रेड\*ऋण

आर.ओ.आई.: निवेश पर प्रतिफल

गिरते हुए ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। साथ ही, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक घाटा क्वांटम प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात अंततः गिर जाएगा। तालिका 2.32 से यह देखा जा सकता है कि:

- 2019-2024 के दौरान कुल देयता से जीएसडीपी अनुपात द्वारा मापा गया राज्य का ऋण भार 27.68 प्रतिशत से 36.23 प्रतिशत के बीच रहा। इसमें लगातार वृद्धि देखी गई और यह 2018-19 में 27.40 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.42 प्रतिशत और 2020-21 में 36.23 प्रतिशत हो गया। महामारी से उबरने के परिणामस्वरूप, राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, जिससे महामारी के बाद के वर्षों में राज्य के ऋण बोझ में लगातार सुधार हुआ। दो साल के राजकोषीय तनाव के बाद, राज्य के

वित्त में सुधार के संकेत दिखे, जिससे उधार आवश्यकताओं में कमी आई, जैसा कि राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय कमी से स्पष्ट है। राज्य का राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात पांच साल के उच्चतम स्तर 2020-21 में 5.03 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 0.69 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया और 2021-2024 के दौरान महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रहा। राज्य का ऋण भार जो 2019-20 में 30.42 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.23 प्रतिशत हो गया था, 2021-22 से कम होता रहा और 2023-24 में पांच साल के निचले स्तर 27.68 प्रतिशत पर पहुंच गया। 2021-22 से समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट को मुख्य रूप से पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा बनाए गए लगातार सकारात्मक प्राथमिक संतुलन के फलस्वरूप माना जा सकता है। सामान्य वृद्धि के विपरीत, प्रभावी ब्याज दर काफी हद तक मुद्रास्फीति से प्रेरित थी जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित महामारी के बाद की अवधि (2021-24) में ऊपरी सहनशीलता बैंडविड्थ (4-6 प्रतिशत) के आस-पास रही थी, जो दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को कम रखने में मदद की ताकि वास्तविक रूप से वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) को अनुकूल रखा जा सके।

- राज्य के ऋण भार में परिवर्तन पर जीआईडी और प्राथमिक शेष के योगदान को विघटित करने से पता चलता है कि प्रतिकूल जीआईडी और नकारात्मक प्राथमिक शेष दोनों ने 2019-20 और 2020-21 में समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि में योगदान दिया। गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, जीआईडी और प्राथमिक शेष दोनों, जो 2020-21 तक नकारात्मक क्षेत्र में थे, अनुकूल हो गए, जिससे 2021-22 से समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात में लगातार गिरावट आई।
- डोमर मानदंड दर्शाते हैं कि 2019-20 और 2020-21 में उधार लेने की लागत को कवर करने के लिए विकास पर्याप्त मजबूत नहीं था, जिससे इन वर्षों में जीआईडी प्रतिकूल हो गई। हालांकि, आर्थिक सुधार के संकेतों के बाद, राज्य ने आधार प्रभाव के कारण 2021-22 में 12.02 प्रतिशत की पांच साल की उच्च वास्तविक वृद्धि देखी, जबकि 2.84 प्रतिशत की वास्तविक ब्याज दर 2022-23 और 2023-24 में वास्तविक ब्याज दर से ऊपर रही।
- महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़ दिया जाए तो राज्य का ऋण भार समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात के आधार पर मापा गया, जो राज्य के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहा। राज्य ने 2019-24 के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ के भीतर अपने ऋण भार को बनाए रखने में भी कामयाबी हासिल की।

(ख) ई. डी. डोमार [डोमार, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण संधारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमार मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को संधारणीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों के स्टॉक को चुकाने में सक्षम है और ऋण जीएसडीपी अनुपात अनियंत्रित स्तर तक नहीं बढ़ता है। डोमार मॉडल लोक ऋण के विश्लेषण के लिए मॉडलों में से एक है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक है तो ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर रहने की संभावना है। तालिका 2.33 डोमार संधारणीयता की स्थिति दर्शाती है:

तालिका 2.33: डोमार मॉडल के तहत ऋण संधारणीयता मानदंड

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), डोमार गैप कहा जाता है	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर रहना चाहिए	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अनिर्धारित स्थिति

डोमार विश्लेषण को झारखण्ड के सन्दर्भ में लागू करने से पता चला कि राजकोषीय दायित्वों को स्थिर स्तर पर रहना चाहिए, जैसा कि तालिका 2.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.34: 2019-24 के दौरान राज्य के ऋण स्टॉक की संधारणीयता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	अभ्युक्ति
	(प्रतिशत में)			(₹ प्रतिशत में)	
2019-20	1.08	3.59	-2.51	(-) 2,727	जैसा कि जी-आर<0 और एस <0; जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2020-21	-5.30	2.08	-7.38	(-) 9,120	
2021-22	12.02	2.82	9.20	3,682	जैसाकि जी-आर >0 और एस >0; जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
2022-23	7.84	0.79	7.05	1,621	
2023-24	7.52	1.53	5.99	507	

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	अभ्युक्ति
	(प्रतिशत में)			(₹ प्रतिशत में)	
वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक जी.एस.डी.पी. (अर्थात् स्थिर कीमतों पर) के लिए की गई है। वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय दायित्वों पर मुद्रास्फीति घटाकर औसत ब्याज दर के रूप में की जाती है। औसत मुद्रास्फीति सी.एस.ओ., सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त की गई है।					

जैसा कि तालिका 2.34 में दर्शाया गया है, 2019-20 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, और इस अवधि के दौरान डोमार गैप नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक प्रगति का संकेत था। 2021-22 से 2023-24 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार गैप सकारात्मक था जो लोक बचत के लिए स्थिर आर्थिक स्थितियों का संकेत देता है। नवीनतम जीएसडीपी श्रृंखला के अनुसार, 2021-22 के दौरान, वास्तविक आर्थिक विकास उच्चतम (12.02 प्रतिशत) रहा, जिसका कारण 2020-21 (कोविड वर्ष) का निम्न आधार था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार गैप (9.20 प्रतिशत) हुआ।

### 2.6.2 उधार निधि की उपयोगिता

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उधार ली गई निधि का उपयोग वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए संधारणीय नहीं है। उधार निधि की उपयोगिता तालिका 2.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल उधार	9,593.12	13,546.58	9,839.87	9,142.30	8,247.13
2	पूर्व उधार की अदायगी (मूलधन)	4,231.40	2,744.82	4,247.08	6,729.46	6,384.02
3	निवल पूँजीगत व्यय	9,878.71	8,465.66	9,376.90	14,015.59	20,569.69
4	निवल ऋण व अग्रिम	116.24	3,330.99	17.25	4,164.73	-2,985.85
5	निवल उपलब्ध उधार से प्राप्त राजस्व व्यय का हिस्सा (1-2-3-4)	-4,633.23	-994.89	-3,801.36	-15,767.48	-15,720.73
6	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	5,066.29	5,312.44	5,805.62	5,813.08	5,718.27

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य ने 2023-24 के दौरान पहले के उधारों के विरुद्ध ₹ 6,384.02 करोड़ का पुनर्भुगतान किया, जिसकी पूर्ति वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष से की गई, जिससे पूँजीगत व्यय और राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों के लिए उधार ली गई धनराशि की अधिक उपलब्धता हुई। लोक ऋण द्वारा कवर नहीं किए गए पूँजीगत व्यय के हिस्से को सार्वजनिक खाता शेष से पूरा किया गया।

### 2.6.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएँ)

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई राज्य, भारत के क्षेत्र में अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, उधार ले सकता है, जो समय-समय पर उसके विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाएं तथा ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे सकता है, जो निर्धारित की जाएं। प्रत्याभूति देनदारियाँ हैं जो लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, राज्य की समेकित निधि पर निर्भर करती हैं।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि गठित की और न ही कोई नीति बनाई है। हालाँकि, वित्त विभाग के द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार, 2023-24 तक ऊर्जा कंपनियों को ₹ 2,378.23 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम को ₹ 2,463 करोड़ की प्रत्याभूति दी गई है।

सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.एस.ई.बी.) के पक्ष में फरवरी 2013 में ₹ 157.15 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था, जो जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समायोजन हेतु अभी तक लंबित था। तालिका 2.36 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ दर्शाता है।

तालिका 2.36: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज सहित प्रत्याभूति की बकाया राशि	607.15	607.15	607.15	4,998.38	4,998.38

स्रोत: वित्त लेखे

### 2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम राशि से कम हो जाती है, तो समय-समय पर साधारण अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू.एम.ए.)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्ल्यू.एम.ए.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को आर.बी.आई. द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया (17 अप्रैल 2020 से ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में घटकर 31 मार्च 2022 से ₹ 1,067 करोड़ हो गई)। 2023-24 के दौरान सीमा अपरिवर्तित रही।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

राज्य सरकार, भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोषागार विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेशों

से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

**तालिका 2.37** वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान सामान्य नकदी शेष और उसके निवेश का तुलनात्मक विवरण दर्शाती है तथा **तालिका 2.38** वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान नकदी शेष निवेश खाते (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.37: नकद शेष और इसका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2024 को अन्त शेष
<b>क. सामान्य नकद शेष</b>		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा	91.07	-86.66
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-संचरण-स्थानीय	0	0
<b>उप-योग</b>	<b>91.07</b>	<b>-86.66</b>
नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	5,149.41	8,114.26
<b>कुल (क)</b>	<b>5,240.48</b>	<b>8,027.60</b>
<b>ख. अन्य नकद शेष एवं निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी	38.17	36.90
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णाकित निधि में निवेश	1,403.87	2,670.95
<b>कुल (ख)</b>	<b>1,442.20</b>	<b>2,708.01</b>
<b>कुल (क + ख)</b>	<b>6,682.68</b>	<b>10,735.61</b>
<b>ब्याज प्राप्ति</b>	<b>91.14</b>	<b>97.12</b>

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2024 तक नकद शेष निवेश खाते में शेष राशि ₹ 8,114.26 करोड़ थी तथा 2023-24 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 97.12 करोड़ था। 2023-24 के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने 2012-13 में एसडीआरएफ के कर्णाकित निधि से ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद एसडीआरएफ से कोई राशि निवेश नहीं की गई, जिससे कोष में ₹ 2,786.36 करोड़ की शेष राशि बची, जिस पर राज्य सरकार एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। राज्य ने 31 मार्च 2024 तक हास निधि में ₹ 1,570.87 करोड़ हस्तांतरित किए और पूरी राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश की, जिसमें से ₹ 567.00 करोड़ का हस्तांतरित एवं निवेश 2023-24 में किए गए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन मोचन निधि से ₹ 700.08 करोड़ का निवेश भी किया है।

तालिका 2.38: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	(-)259.42	58.59
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	60.21
2022-23	4,480.63	5,149.41	668.78	91.14
2023-24	5,149.41	8,114.26	2,964.85	97.12

31 मार्च 2024 तक खातों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 86.66 करोड़ (क्रेडिट)} और आरबीआई द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों {(₹ 46.16 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 40.50 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आरबीआई, राँची के साथ मिलान और आवश्यक सुधार के लिए उठाया गया है।

चार्ट 2.16 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकद शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है।

चार्ट 2.16: बाजार ऋण (निवल) एवं नकद शेष की प्रवृत्ति



वर्ष 2023-24 के दौरान, पहले के उधारों की अदायगी (₹ 2,950 करोड़) की तुलना में बाजार ऋण के रूप में उधारी न्यूनतम (₹ 1,000 करोड़) थी, इस प्रकार, शुद्ध बाजार ऋण ऋणात्मक (₹ 1,950 करोड़) थे, जो उस सीमा तक ऋण में कमी को दर्शाता है। राज्य का नकद शेष भी वर्ष 2022-23 में ₹ 6,682.68 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹ 10,734.61 करोड़ हो गया।

## 2.8 निष्कर्ष

राज्य ने झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दी गई समय सीमा से काफी पहले ही अपने राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2020-21 को छोड़कर, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। 2020-21 को छोड़कर जब राजकोषीय घाटा लक्ष्य से थोड़ा अधिक था, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के भीतर था।

2023-24 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय, कुल व्यय का 75.52 प्रतिशत था। 2022-23 में ₹ 14,016 करोड़ के मुकाबले, 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 20,570 करोड़ था।

राज्य के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35 प्रतिशत हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं का हिस्सा इन वर्षों के दौरान क्रमशः 33 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में 2022-23 और 2023-24 में दो प्रतिशत अंक प्रत्येक वर्ष में कम हुआ।

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले राज्य के वित्त लेखों के अनुसार, सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से ₹ 4,142.64 करोड़ (सरकारी कंपनियों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं में) का निवेश किया है। अपने निवेश पर कोई रिटर्न न मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान इक्विटी के रूप में ग्रामीण बैंक, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समितियों में ₹ 1,659.28 करोड़ का निवेश किया।

राज्य की कुल देनदारियाँ 2022-23 में ₹ 1,18,448 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,27,609 करोड़ हो गईं। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं का अनुपात एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 30.60 प्रतिशत के विरुद्ध 27.68 प्रतिशत थी। बिहार और झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार राज्य की राजकोषीय देयताओं का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।

सरकार ने ब्याज के रूप में ₹ 703.70 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दिए हैं, जिससे ₹ 394.96 करोड़ की शेष राशि बची है, जिसमें 2023-24 के लिए ₹ 94.46 करोड़ शामिल हैं। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ है।

सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 567 करोड़ हस्तांतरित किए। सरकारी विभागों ने एकत्रित उपकर को संबंधित बोर्डों को हस्तांतरित नहीं किया।

## 2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेश को युक्तिसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋण पर रिटर्न सरकारी उधार लागत के अनुरूप हो।
- राज्य सरकार श्रम उपकर का पूरा हस्तांतरण यथाशीघ्र श्रम कल्याण बोर्ड को सुनिश्चित करे, ताकि बोर्ड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।



---

**अध्याय-3**  
**बजटीय प्रबंधन**

---



## अध्याय 3

### बजटीय प्रबंधन

#### परिचय

यह अध्याय पूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है, साथ ही यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किए जाते हैं अथवा नहीं। इस अध्याय में टिप्पणियाँ विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान-वार विनियोगों का विवरण तथा आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।

#### 3.1 बजट प्रक्रिया

बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। बजट प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र के जारी होने (सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितंबर में) के साथ शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल हैं। इसमें एकरूपता बनाए रखने के लिए अनुमानों को तैयार करने के लिए नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। किसी राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नीचे चित्र में दिखाया गया है:





तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		निवल बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(i) राजस्व	94,490.76	8,822.80	69,905.10	7,586.31	24,585.66	1,236.49
(ii) पूँजीगत	27,112.27	0.00	20,588.22	0.00	6,524.05	0.00
(iii) ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन	4,442.06	6630.90	4,290.80	6,384.01	151.26	246.89
<b>कुल</b>	<b>1,26,045.09</b>	<b>15,453.70</b>	<b>94,784.12</b>	<b>13,970.32</b>	<b>31,260.97</b>	<b>1,483.38</b>

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 52 दत्तमत अनुदानों एवं छः विनियोगों में ₹ 25,822.15 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत 40 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 6,922.20 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 32,744.35 करोड़ (कुल बजट का 23.14 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 268.02 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

आगे, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल बचत ₹ 32,744.35 करोड़ में से ₹ 22,386.79 करोड़ की बचत 10<sup>1</sup> अनुदानों के अंतर्गत हुई, जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान इन अनुदानों में कुल सतत बचत ₹ 11,975.09 करोड़ से ₹ 15,625.57 करोड़ के बीच थी।

यह भी देखा गया कि लगभग सभी बचत मार्च 2024 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुनः आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा, जो बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

<sup>1</sup> 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (₹ 1,502.78 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 2,277.03 करोड़), 22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) (₹ 1,324.46 करोड़), 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 2,069.96 करोड़), 39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) (₹ 1,708.79 करोड़) 42-ग्रामीण विकास विभाग (₹ 5,167.49 करोड़), 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) (₹ 3,042.49 करोड़), 55-ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 1,999.10 करोड़), 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) (₹ 1,625.39 करोड़) एवं 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,669.30 करोड़)

### 3.1.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2019-24) के दौरान भारत एवं दत्तमत में विभाजित कुल संवितरणों को तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: 2019-20 से 2023-24 के दौरान भारत एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02
2021-22	68,196.22	10,874.17	22,206.36	309.44
2022-23	79,345.60	13,637.94	24,134.06	500.14
2023-24	94,784.12	13,970.32	31,260.97	1,483.38

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया तथा प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक बचत हुई।

### 3.1.3 बजट मार्कमैनिशिप

#### कुल बजट परिणाम

अनुमोदन से कम और अनुमोदन से अधिक दोनों के संदर्भ में, कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिस हद तक कुल बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बी.ई.)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं मूल अनुमोदित बजट में अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	84,676.00	77,491.41	-7,184.59
पूँजीगत	31,742.00	31,263.03	-478.97
<b>कुल</b>	<b>1,16,418.00</b>	<b>1,08,754.44</b>	<b>-7,663.56</b>

\*मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.48 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, पाँच अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.51 प्रतिशत था। यह 37 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 11 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में

100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

### व्यय अवयवों का परिणाम

व्यय अव्यव परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट	पुनरीक्षित (आर.ई.)	वास्तविक परिणाम	बी.ई. एवं आर.ई. में अंतर	वास्तविक एवं आर.ई. में अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	84,676.00	1,03,313.56	77,491.41	18,637.56	-25,822.15
पूँजीगत	31,742.00	38,185.23	31,263.03	6,443.23	-6,922.20
<b>कुल</b>	<b>1,16,418.00</b>	<b>1,41,498.79</b>	<b>1,08,754.44</b>	<b>25,080.79</b>	<b>-32,744.35</b>

\*संशोधित अनुमान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 24.99 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच और नौ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 18.13 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत अनुभाग के 19 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

### 3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारत और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय

प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले व्यय को भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

### 3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नए निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था। 'सेवा का नया साधन' का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय।

पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य के खातों में कोई नई सेवा या सेवा का नया साधन नहीं देखा गया, जिसे पहले राज्य विधानसभा के ध्यान में नहीं लाया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चलता है कि एक विनियोग के अंतर्गत चार मामलों में व्यय बजट प्रावधान के बिना किया गया। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान का कुल व्यय ₹ 2,450 करोड़ था। विस्तृत विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
14-ऋण की अदायगी	2,450.00	4
<b>कुल</b>	<b>2,450.00</b>	<b>4</b>

जैसा कि तालिका 3.5 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान के बिना ऋणों की अदायगी पर बहुत अधिक व्यय किया गया था। ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे आकलन तैयार करते समय वे ऐसे दायित्वों से भली-भाँति अवगत होंगे। हालाँकि, राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे।

### 3.2.2 मुख्य शीर्ष-8443 के लघुशीर्ष-800 के अंतर्गत शेष राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघु शीर्ष- 800 में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 257.58 करोड़ शेष थी। 2023-24 में, इस शीर्ष के अंतर्गत जमा राशि ₹ 0.95 करोड़ (विविध प्राप्ति से संबंधित) थी और संवितरण ₹ 19.67 करोड़ था, जिससे वर्ष के अंत में शेष राशि ₹ 238.86 करोड़ हो गई।

झारखण्ड सरकार ने महालेखाकार (लेखा व हक.) के परामर्श से निर्देश (दिसंबर 2019) दिया था कि प्रमुख शीर्ष '8443-सिविल जमा' के लघु शीर्ष '106- व्यक्तिगत जमा खाते' के तहत जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों (जि.भू.अ.पदा.) के नाम पर 24 जिला कोषागारों में भूमि अधिग्रहण के क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान के लिए पीडी खाते खोले जाएं। इसके अलावा, जि.भू.अ.पदा. द्वारा लघु शीर्ष 800 के तहत पूर्व में बुक की गई राशि को इन पीडी खातों में स्थानांतरित किया जाना था। हालाँकि, यह राशि पूरी तरह से पीडी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप मार्च 2024 तक लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत ₹ 238.86 करोड़ शेष रह गया।

### 3.2.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 57 की टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जाने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, ₹ 25,081 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से, वर्ष के दौरान 57 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) में ₹ 13,499.10 करोड़ (53.82 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ था जो खराब बजटीय प्रबंधन को इंगित करता है।

### 3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

'पुनर्विनियोजन' का अर्थ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पण आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यदि के सत्यापन के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण तरीके से सात उप-शीर्षों के अंतर्गत (परिशिष्ट 3.2) अतिरिक्त

धनराशि प्रदान की गई, जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, बचत के बावजूद, ₹ 5.36 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.73 करोड़ की बचत हुई।

### 3.2.5 अव्यवहृत राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

बढ़ा हुआ/अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

#### 3.2.5.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 32,744.35 करोड़ में से ₹ 31,578.05 करोड़ (96.44 प्रतिशत) की बचत 29 अनुदानों<sup>2</sup> में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक (परिशिष्ट 3.3) की बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का उचित कारण विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं बताया गया।

आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 15 अनुदानों तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत पाँच अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था। संबंधित विभागों द्वारा ऐसी बचत के कारण नहीं बताए गए थे। औचित्य के बिना भारी बचत अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और विभागों में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक की बचत को तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत या अधिक अनुपयोगी अनुदान/ विनियोजन

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2023-24 (₹ करोड़ में)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
<b>राजस्व</b>								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	39	65	23	61	48	4	2,316.62
2	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	50	57	48	31	7	4	907.51
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	65	65	73	49	68	5	854.00
4	42- ग्रामीण विकास विभाग	36	30	32	44	50	5	9,236.18
5	51- अनु. जनजाति, अनु.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनु. जनजाति, अनु. जा. एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	30	46	35	25	33	4	3,069.89

<sup>2</sup> इनमें से, 14 अनुदान राजस्व से, 3 पूंजीगत से और 12 दोनों से संबंधित हैं।

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2023-24 (₹ करोड़ में)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
6	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	76	47	46	27	51	4	598.55
<b>पूँजीगत</b>								
1	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	87	58	30	41	90	5	89.32
2	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	98	89	83	64	19	4	163.02


\*30 प्रतिशत या अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

उपर्युक्त अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 60 के अंतर्गत 2023-24 को छोड़कर, 2019-24 की अवधि के दौरान बचत 64 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं, पुनर्वास केंद्रों के निर्माण कार्यों, कामकाजी महिला छात्रावासों, आँगनबाड़ी केंद्रों आदि के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई उचित कारण बताए वापस कर दिया गया था। इसी प्रकार, अनुदान संख्या 26 में पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत 2019-24 की अवधि के दौरान 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास, आईटीआई और संबद्ध भवनों के निर्माण, श्रम कार्यालयों के निर्माण आदि योजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई उचित कारण बताए वापस कर दिया गया था।

### 3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण


राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह पाया गया कि ₹ 32,744.35 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 21,067.59 करोड़ (64.34 प्रतिशत) की राशि मार्च 2024 के अंत में अभ्यर्पित की गई, इससे सरकार के पास इस राशि को अन्य विकास योजनाओं पर उपयोग करने की कोई गुंजाईश नहीं बची, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

**चार्ट 3.2: वर्ष 2023-24 में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का संवितरण**



जैसा कि चार्ट 3.2 में देखा जा सकता है, 28 अनुदानों की बचत 11 से 30 प्रतिशत के बीच थी, जबकि 21 अनुदानों की बचत चालू वर्ष में 30 प्रतिशत से अधिक थी जिसके तहत आठ अनुदानों की बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी। अनुदान संख्या 42- ग्रामीण विकास विभाग और 48- नगर विकास और आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) जो लोक कल्याण से संबंधित है, में भी क्रमशः 52 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की बचत हुई थी। इसके अलावा, चार्ट 3.3 विगत पाँच वर्षों के दौरान का बजट आवंटन और इसके उपयोग के प्रतिशतता को दर्शाता है।

**चार्ट 3.3: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट उपयोगिता**



जैसा कि चार्ट 3.3 से देखा जा सकता है कि 2019-20 में कुल बजट आवंटन ₹ 94,765 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,41,499 करोड़ हो गया। हालाँकि, विगत पाँच वर्षों के दौरान आवंटित राशि का उपयोग 75 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच रहा, जो दर्शाता है कि बजटीय प्रक्रिया अपूर्ण/अवास्तविक थी।

### 3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु माँग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/विनियोग को विनियमित किया जाए।

अनुदान से अधिक संवितरण को नियमित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

#### 3.2.7.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान पर अतिरिक्त व्यय न केवल विधायी मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रावधानों के उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का भी संकेत है, जिसे इस उद्देश्य के लिए किए गए बजट प्रावधान के साथ व्यय प्रगति पर नज़र रखकर टाला जा सकता है।

जैसा कि विनियोग लेखे में देखा गया, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक विनियोग (15-पेंशन) में ₹ 268.02 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

#### 3.2.7.2 विगत वित्त वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधि के लिए अनियमित शेष अतिरिक्त व्यय कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है। वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक से संबंधित 10 अनुदानों के ₹ 3,778.41 करोड़ की अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है, जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 के दौरान कुल आधिक्य व्यय में से तीन अनुदान/विनियोग, 13-ब्याज भुगतान, 14-ऋण की अदायगी और 15-पेंशन क्रमशः ₹ 889.27 करोड़ (23.54 प्रतिशत), ₹ 983.49 करोड़ (26.03 प्रतिशत) और ₹ 1,731.55 करोड़ (45.83 प्रतिशत) को नियमित किया जाना बाकी है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार प्रतिवेदित किए जाने के बाद भी, विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को नियमित नहीं किया गया है।

### 3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में ₹ 8,549.30 करोड़ दिए गए थे। हालांकि, इस तरह के अनुदान के ₹ 4,433.60 करोड़ को खातों में पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था, जो सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

### 3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

#### 3.3.1 बजट प्रक्षेपण तथा प्राक्कलन एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा लोक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। यथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, एक अच्छा व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकास संबंधी आवश्यकताओं पर निधि का इष्टतम उपयोग करते हैं।

तालिका 3.7: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्पण
दत्तमत	राजस्व	77,120.26	17,370.50	94,490.76	69,905.10	24,585.66	सभी अभ्यर्पण मार्च माह में की गई थी।
	पूँजीगत	21,248.47	5,863.80	27,112.27	20,588.22	6,524.05	
	ऋण एवं अग्रिम	4,168.10	273.96	4,442.06	4,290.80	151.26	
	<b>कुल</b>	<b>1,02,536.83</b>	<b>23,508.26</b>	<b>1,26,045.09</b>	<b>94,784.12</b>	<b>31,260.97</b>	
भारित	राजस्व	7,555.74	1,267.06	8,822.80	7,586.31	1,236.49	सभी अभ्यर्पण मार्च माह में की गई थी।
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	लोक ऋण-पुनर्भुगतान	6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.89	
	<b>कुल</b>	<b>13,881.17</b>	<b>1,572.53</b>	<b>15,453.70</b>	<b>13,970.32</b>	<b>1,483.38</b>	
<b>सकल योग</b>		<b>1,16,418.00</b>	<b>25,080.79</b>	<b>1,41,498.79</b>	<b>1,08,754.44</b>	<b>32,744.35</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.7 से पता चलता है कि ₹ 1,41,498.79 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 1,08,754.44 करोड़ की राशि राज्य विभागों द्वारा खर्च की गई और ₹ 32,744.35 करोड़ (23.14 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त रह गए। अप्रयुक्त राशि को मार्च माह में अभ्यर्पित कर दिया गया।

तालिका 3.8: 2019-24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	85,429.00	86,370.00	91,277.00	1,01,101.00	1,16,418.00
अनुपूरक बजट	9,335.64	9,908.07	10,309.19	16,516.72	25,080.79
कुल बजट	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72	1,41,498.79
पुनरीक्षित अनुमान	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72	1,41,498.79
वास्तविक व्यय	71,093.25	74,458.59	79,070.38	92,983.52	1,08,754.44
बचत	23,671.39	21,819.49	22,515.81	24,634.20	32,744.35
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	10.93	11.47	11.29	16.34	21.54
कुल प्रावधान से कुल बचत की प्रतिशतता	24.98	22.66	22.16	20.94	23.14
पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय	23,671.39	21,819.48	22,515.81	24,634.20	32,744.35
(पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	24.98	22.66	22.16	20.94	23.14

तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 25,080.79 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 21.54 प्रतिशत था जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 16.34 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल प्रावधान से कुल बचत के प्रतिशत का उतार-चढ़ाव 20.94 प्रतिशत और 24.98 प्रतिशत के बीच रहा।

आगे, जैसा कि तालिका 3.7 एवं 3.8 से स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान के एक वृहत हिस्से का उपयोग नहीं किया गया एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित किया गया। इन बचतों के लिए कोई उपयुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गए थे। ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से बहुत अधिक थी, जो अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत थे।

### 3.3.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएँ निधि के अभाव में अधूरी रह जाती है। कम व्यय के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों के मामले, जिससे बड़ी बचत होती है, तालिका 3.9 में दिए गए हैं।

**तालिका 3.9: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अप्रयुक्त निधि
<b>राजस्व</b>						
1	42-ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60
4	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.24	1,442.18
5	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	8,996.69	7,382.24	1,614.45
6	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47
7	56-पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82
8	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	2,765.90	1,057.11	1,708.79
<b>पूँजीगत</b>						
9	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32
10	55-ग्रामीण कार्य विभाग	2,871.90	1,146.50	4,018.40	3,348.73	669.67
<b>कुल</b>		<b>40,163.73</b>	<b>8,309.09</b>	<b>48,472.82</b>	<b>30,779.18</b>	<b>17,693.15</b>

**कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता**

राज्य के विनियोग खातों की समीक्षा से पता चला कि कई योजनाओं के लिए आवंटित निधि में से लगातार बड़ी बचत हो रही थी। विगत तीन वर्षों में लगातार बड़ी बचत के कारण योजनाएँ पूरी नहीं हो सकी और अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से कुछ योजनाएँ तालिका 3.10 में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 3.10: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम/शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
<b>1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)</b>							
1	2401-00-796-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	116.22	65.54	125.34	83.83	98.22	59.31
<b>18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग</b>							
2	3456-00-789-29-बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी वितरण की योजना	70.00	35.05	83.50	43.80	83.50	50.57
3	3456-00-796-29-बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी वितरण की योजना	255.00	120.21	456.25	306.25	306.25	195.89

क्र.सं.	योजना का नाम/शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
<b>20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</b>							
4	2210-01-796-39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)- सहायता अनुदान	640.34	435.47	228.80	65.02	429.00	167.92
5	2210-02-200-27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान	55.00	27.64	133.18	31.60	132.06	97.01
<b>42- ग्रामीण विकास विभाग</b>							
6	2501-06-789-05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य	290.00	68.57	279.57	66.35	259.27	109.38
7	2501-06-796-05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य	210.00	47.80	136.53	38.73	218.40	94.11
8	2505-01-702-02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य	1,101.35	544.21	2,073.85	1,127.42	1,735.51	1,495.45
9	2505-01-789-02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य	556.17	67.83	634.85	258.59	531.28	389.73
10	2505-01-796-02- इंदिरा आवास योजना - सामान्य	1,354.75	822.28	1,523.64	1,000.26	1,275.07	1,123.95
11	2505-02-101-04-समग्र ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	655.41	185.27	637.00	194.66	617.40	240.78
12	2505-02-789-04- समग्र ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	216.27	62.58	195.00	83.46	189.00	73.71
13	2505-02-796-04- समग्र ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	473.30	133.03	468.00	200.30	453.60	176.90

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी वितरण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सामान्य वर्ग के लिए इंदिरा आवास योजना आदि के तहत योजनाओं में भारी बचत हुई थी। इससे राज्य द्वारा अपनाई गई बजटीय प्रक्रिया की प्रभावशीलता के मुद्दे पर प्रकाश डालने के अलावा, इन योजनाओं के संभावित लाभार्थियों के उनके लाभ से वंचित होने का जोखिम भी उत्पन्न होता है।

### 3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत पहल तथा बजट में सम्मिलित योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। विभागों द्वारा प्रावधानों का उपयोग न किये जाने का कारण नहीं बताया गया। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है जिनका उपयोग वे कर सकते थे। 408 मामलों में, 100 प्रतिशत प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक के प्रत्येक मामले) वाले ₹ 7,557.23 करोड़ की राशि


अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है।

### 3.4 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 बताता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह बनाए रखना अच्छे लोक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल व्यय (₹ 1,08,754 करोड़) में से ₹ 20,794 करोड़ जो 19.12 प्रतिशत था, मार्च 2024 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान माह-वार प्राप्तियाँ एवं व्यय को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय**



आगे, यह देखा गया कि 39 मुख्य शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 25,208.86 करोड़ में से, 50 प्रतिशत और उससे अधिक राशि ₹ 15,668.71 करोड़ (62.16 प्रतिशत) का व्यय, वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में बताया गया है। इसमें से, ₹ 8,603.74 करोड़ (इन मदों के तहत कुल व्यय का 34.13 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया था।

यह पाया गया कि मार्च 2024 में ए.सी. विपत्रों पर ₹ 13.32 करोड़ की निकासी की गई, जिसमें से ₹ 6.79 करोड़ की निकासी मुख्य रूप से गृह, कारा और

आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दो दिनों में की गयी थी। नियमित रिपोर्टिंग और राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के कारण वर्ष के दौरान ए.सी. विपत्रों के आहरण में उल्लेखनीय कमी आई।

### 3.5 अनुदान संख्या 19 - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

#### 3.5.1 परिचय

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड राज्य की वानिकी एवं पर्यावरण नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। इस विभाग का मुख्य कार्य राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, वन्यजीव एवं जैव विविधता आदि के संरक्षण एवं विकास के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने के उपाय करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग का बजट प्रावधान, व्यय एवं बचत का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	15.00	1,147.71	1,162.71
अनुपूरक अनुदान	20.00	637.49	657.49
<b>कुल अनुदान</b>	<b>35.00</b>	<b>1,785.20</b>	<b>1,820.20</b>
व्यय	32.72	1,127.83	1,160.55
बचत	2.28	657.37	659.65
अभ्यर्पण	0.00	584.09	584.09
व्यपगत	2.28	73.28	75.56

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

#### 3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभागीय सचिवालय तथा 15 इकाईयां<sup>3</sup> को बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा हेतु सात<sup>4</sup> चयनित जिलों में शामिल किया गया।

<sup>3</sup> (i) प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र.व.प.), लातेहार (ii) प्र.व.प., पलामू (iii) प्र.व.प., जमशेदपुर (iv) प्र.व.प., गुमला (v) प्र.व.प., दुमका (vi) प्र.व.प., गिरिडीह पूर्व (vii) प्र.व.प., गिरिडीह पश्चिम (viii) प्र.व.प., राँची (ix) प्र.व.प., सामाजिक वानिकी, लातेहार (x) प्र.व.प., सामाजिक वानिकी, दुमका (xi) प्र.व.प., सामाजिक वानिकी, राँची (xii) प्र.व.प., बफर एरिया टाइगर प्रोजेक्ट पलामू (xiii) प्र.व.प., कोर एरिया टाइगर प्रोजेक्ट पलामू (xiv) उप वनसंरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर, (xv) प्र.व.प., विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर) दुमका

<sup>4</sup> (i) लातेहार (ii) पलामू (iii) पूर्वी सिंहभूम (iv) गुमला (v) दुमका (vi) गिरिडीह (vii) राँची

## लेखापरीक्षा परिणाम

### 3.5.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान विभाग के बजट तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा में पाया गया कि उन वर्षों में विभाग के पास सतत बचत था और बजट प्राक्कलन की तुलना में बचत का प्रतिशत सभी वर्षों में बहुत अधिक था, जैसा कि तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
2020-21	राजस्व	875.10	134.48	1,009.58	725.80	283.78	28.11
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>कुल</b>	<b>875.10</b>	<b>134.48</b>	<b>1,009.58</b>	<b>725.80</b>	<b>283.78</b>	
2021-22	राजस्व	869.21	139.27	1,008.48	742.18	266.30	26.41
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>कुल</b>	<b>869.21</b>	<b>139.27</b>	<b>1,008.48</b>	<b>742.18</b>	<b>266.30</b>	
2022-23	राजस्व	1,019.95	245.42	1,265.37	1,024.81	240.56	19.01
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>कुल</b>	<b>1,019.95</b>	<b>245.42</b>	<b>1,265.37</b>	<b>1,024.81</b>	<b>240.56</b>	
2023-24	राजस्व	1,147.70	637.49	1,785.20	1,127.83	657.36	36.24
	पूँजीगत	15.00	20.00	35.00	32.72	2.28	
	<b>कुल</b>	<b>1,162.70</b>	<b>657.49</b>	<b>1,820.20</b>	<b>1,160.55</b>	<b>659.64</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-24

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान विभाग के पास 19.01 और 36.24 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी, जो न केवल निधि के उपयोग करने में विभाग की अक्षमता का सूचक था, बल्कि विधायिका द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं के पूरा नहीं होने का भी परिणाम था।

### 3.5.4 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 में कहा गया है कि व्यय की नई विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदान में संभावित अधिकता को कवर करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। ब.नि. के नियम 57 के नीचे की टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग ने 10 शीर्षों के अंतर्गत ₹ 389.10 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल ₹ 278.92 करोड़ का उपयोग किया, जिससे ₹ 110.18 करोड़ की बचत हुई। मूल प्रावधानों का उपयोग न किए जाने के

बावजूद ब.नि. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं को ₹ 83.85 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	मूल प्रावधान से व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	2406-01-004-02	5.34	4.23	0.47
2	2406-01-101-01	148.93	125.56	1.66
3	2406-01-101-02	6.54	4.97	0.06
4	2406-01-101-06	27.64	21.33	0.05
5	2406-01-101-60	20.00	17.39	1.50
6	2406-02-110-01	19.67	18.33	0.07
7	2406-04-103-02	95.59	49.19	30.82
8	2406-04-103-04	48.00	32.56	37.17
9	2406-04-103-06	7.49	0.40	5.79
10	2406-04-103-07	9.90	4.96	6.26
कुल		389.10	278.92	83.85

स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24

### 3.5.5 संपूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा आठ उप-शीर्षों के अंतर्गत किए गए ₹ 16.10 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1.	2406-01-101-56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई	0.10	0.10
2.	2406-01-101-72- झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड योजना	4.00	4.00
3.	2406-02-110-03- हाथी परियोजना (केंद्रीय योजना)	2.40	2.40
4.	2406-02-110-03- हाथी परियोजना (राज्य योजना)	1.60	1.60
5.	2406-02-110-08- पलामू बाघ परियोजना के अंतर्गत अनावर्ती व्यय (केंद्रीय योजना)	2.40	2.40
6.	2406-02-110-08- पलामू बाघ परियोजना के अंतर्गत अनावर्ती व्यय (राज्य योजना)	1.60	1.60
7.	2406-02-110-21- पलामू बाघ परियोजना (केंद्रीय योजना)	2.00	2.00
8.	2406-02-110-21- पलामू बाघ परियोजना (राज्य योजना)	2.00	2.00
कुल		16.10	16.10

स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24

### 3.5.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में निधियों का अभ्यर्पण

ब.नि. के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित

नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, तो नियंत्रक अधिकारी को सावधानीपूर्वक उस राशि का अनुमान लगाना चाहिए जिसे वह अभ्यर्पित कर सकता है।

विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में विभाग द्वारा ₹ 1,820.20 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 35.00 करोड़ एवं राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 1,785.20 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 657.36 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत) अभ्यर्पित कर दिया गया था।

इसके अलावा, नमूना-जाँच किए गए जिलों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में ₹ 9.28 करोड़ अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है। व्यय की प्रत्याशा और निधियों का विलंब से आवंटन आदि निधियों के अभ्यर्पण में विलंब का कारण था।

वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अभ्यर्पित करने से सरकार को अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर निधियों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, जो निधियों की कमी के कारण अधूरी रह सकती है।

### 3.5.7 व्यय का वेग

ब.नि. के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय ₹ 1,160.55 करोड़ में से, ₹ 638.79 करोड़ (55 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए प्रमंडलों/डीडीओ में मार्च माह में व्यय 15.48 से 58.11 प्रतिशत के बीच था, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में वर्णित है।

### 3.5.8 अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण नहीं होना

जाँच से पता चला कि, राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 657.36 करोड़ की बचत में से, ₹ 584.09 करोड़ को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि ₹ 73.27 करोड़ व्यपगत हो गई थी। अनुमानित बचत (₹ 73.27 करोड़) का समय पर अभ्यर्पण नहीं करना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

### 3.5.9 ₹ 11 लाख के बजट प्रावधान का अनुपयोग और अभ्यर्पण

बजट नियमों के नियम 57 के नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि प्रमंडल को विभिन्न स्थायी नर्सरियों के रख-रखाव एवं स्थायी नर्सरियों के आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु ₹ 75,45,928 की राशि प्राप्त (20.12.2023) हुई थी। आगे, यह भी पाया गया कि ₹ 75,45,928 में से चार स्थायी नर्सरियों के रखरखाव के लिए ₹ 44,01,570 का प्रावधान किया गया था।

यद्यपि, यह भी पाया गया कि प्रमंडल में केवल तीन स्थायी नर्सरियाँ थी, जिसके लिए प्रमंडल द्वारा ₹ 33,01,176 (प्रत्येक ₹ 11,00,393) का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा गया था। 2023-24 के दौरान स्थायी तीन नर्सरियों पर ₹ 33,01,176 का व्यय किया गया तथा ₹ 11,00,393 वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 के दौरान चार स्थायी नर्सरियों के लिए आवंटन के रूप में प्राप्त राशि ₹ 10,48,516 व्यपगत हो गई।

### 3.5.10 बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 0.94 करोड़ का अधिक व्यय

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे की जाँच के दौरान पाया गया कि अनुदान संख्या 19 के शीर्ष 2406-01-070-01- सड़क एवं पुल के अंतर्गत ₹ 26.91 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹ 27.85 करोड़ का व्यय किया गया है। अतः बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 0.94 करोड़ का अधिक व्यय किया गया है, जिसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

## 3.6 अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया

### 3.6.1 परिचय

नगर विकास एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है तथा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग को सहायता प्रदान करता है, साथ ही शहर और उसके बाहरी क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी साझा करता है। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में बारहवीं अनुसूची को शामिल करने से विभिन्न शहरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे कि शहरी नियोजन सहित नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना आदि शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आ गए हैं।

इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों के लिए संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नागरिकों और शहर की जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करना अपरिहार्य है। झारखण्ड राज्य में 50 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें नौ नगर निगम, 18 नगर परिषद, 22 नगर पंचायत और एक अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी)

शामिल हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में शहरी विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग को ₹ 4,910.33 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया। बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,867.84 करोड़ (38 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई, जिससे कुल ₹ 3,042.49 करोड़ (62 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, कुल ₹ 3,042.49 करोड़ की बचत में से ₹ 2,977.63 करोड़ अभ्यर्पित कर दिया गया तथा शेष ₹ 64.86 करोड़ को वर्ष 2023-24 के दौरान व्ययगत होने दिया गया। बजट एवं उसके उपयोग का विवरण तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दत्तमत पूँजीगत	दत्तमत राजस्व	कुल
मूल अनुदान	852.98	2,452.61	3,305.59
अनुपूरक अनुदान	6.65	1,598.09	1,604.74
<b>कुल अनुदान</b>	<b>859.63</b>	<b>4,050.70</b>	<b>4,910.33</b>
व्यय	611.61	1,256.23	1,867.84
बचत	248.02	2,794.47	3,042.49
अभ्यर्पण	247.94	2,729.69	2,977.63
व्ययगत	0.08	64.78	64.86

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

₹ 3,042.49 करोड़ (राजस्व: ₹ 2,794.47 करोड़ और पूँजीगत: ₹ 248.02 करोड़) के अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 1,604.74 करोड़ (राजस्व: ₹ 1,598.09 और पूँजीगत: ₹ 6.65 करोड़) का अनुपूरक अनुदान पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुआ और जहां आवश्यक था, उसे सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था।

### 3.6.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) का सचिवालय, एक<sup>5</sup> निदेशालय एवं 11 इकाईयाँ<sup>6</sup> को लेखापरीक्षा हेतु छह<sup>7</sup> चयनित जिलों में शामिल किया गया।

<sup>5</sup> निदेशालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण (मुडा)

<sup>6</sup> (i) झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (जुइको) लिमिटेड;  
(ii) नगर निगम (न.नि.), देवघर (iii) न.नि., धनबाद (iv) न.नि., राँची;  
(v) नगर परिषद् (न.परि.), चिरकुंडा (vi) न.परि., दुमका (vii) न.परि., जुगसलाई;  
(viii) नगर पंचायत, बासुकीनाथ (ix) नगर पंचायत, हरिहरगंज;  
(x) अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर तथा (xi) नगर आयुक्त का कार्यालय, मानगो

<sup>7</sup> (i) देवघर (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) जमशेदपुर (v) पलामू (vi) राँची

## लेखापरीक्षा परिणाम

### 3.6.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान बजट और व्यय की प्रवृत्तियों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि इन वर्षों में विभाग के पास सतत बचत था और बजट अनुमानों की तुलना में बचत का प्रतिशत बहुत अधिक रहा, जैसा कि तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16: नगर विकास और आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) में विगत चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2020-21	राजस्व	2,505.74	632.23	3,137.97	2,882.59	255.38	8
	पूँजीगत	37.00	0.00	37.00	22.91	14.09	
	कुल	2,542.74	632.23	3,174.97	2,905.50	269.47	
2021-22	राजस्व	2,796.13	158.24	2,954.37	2,440.19	514.18	18
	पूँजीगत	23.65	0.00	23.65	16.27	7.38	
	कुल	2,819.78	158.24	2,978.02	2,456.46	521.56	
2022-23	राजस्व	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41	31
	पूँजीगत	967.42	0.00	967.42	723.79	243.63	
	कुल	3,043.53	884.52	3,928.05	2,693.01	1,235.04	
2023-24	राजस्व	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	62
	पूँजीगत	852.98	6.65	859.63	611.61	248.02	
	कुल	3,305.59	1,604.74	4,910.33	1,867.84	3,042.49	

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-24

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, विभाग के पास 2020-21 से 2023-24 के दौरान आठ से 62 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी, जो न केवल विभाग की निधि का उपयोग करने में असमर्थता का संकेत था, बल्कि वर्ष के दौरान बजट में शामिल योजनाओं को पूरा न होने को भी दर्शाता है।

### 3.6.4 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए सही और ससमय बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने स्थापना व्यय और सामान्य बजट के अनुमान प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियों को बजट नियमावली में निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर के विरुद्ध संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात क्रमशः 15 दिसंबर 2022 और 06 जनवरी 2023 संशोधित (नवंबर 2022) किया।

यह देखा गया कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब.अनु.) ससमय अर्थात् 14 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि सामान्य बजट के लिए ब.अनु. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के विरुद्ध 36 दिनों की देरी से

11 फरवरी 2023 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था। विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17: बजट अनुमान प्रस्तुत करने का विवरण

क्र.सं.	बजट अनुमान	ब.अनु. जमा करने की निर्धारित तिथि	विभाग द्वारा अ.अनु अपलोड करने की तिथि	अ.अनु प्रस्तुत करने में विलंब
1	स्थापना व्यय	15.12.2022	14.12.2022	कोई विलंब नहीं
2	सामान्य बजट	06.01.2023	11.02.2023	36 दिन

### 3.6.5 आवश्यकताओं को प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार करना

ब.नि. के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रि अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं.अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/ स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि ब.नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और स्थापना व्यय और सामान्य बजट (राज्य, केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ) के लिए अनुमान बिना फील्ड डीडीओ से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना विभागीय स्तर पर तैयार किए गए थे, जो अंततः विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फील्ड डीडीओ से आवश्यकताएँ प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4,910.33 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 3,042.49 करोड़ (62 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण हो सकता है।

### 3.6.6 राजस्व प्राक्कलन का अप्रस्तुतीकरण

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राजस्व का प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर 2022 से 06 जनवरी 2023 संशोधित किया गया था। हालाँकि, विभाग द्वारा राजस्व का कोई भी प्राक्कलन तैयार करके प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 3.6.7 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 के अनुसार, व्यय की नई विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्यों को कवर करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से पूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ब.नि. के नियम 57 के नीचे की टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 115 योजनाओं में से 28 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 107.63 करोड़ के मूल प्रावधान में से, विभाग ने केवल ₹ 100.55 करोड़ का उपयोग किया था, जिससे ₹ 7.08 करोड़ की बचत हुई थी। मूल प्रावधानों के उपयोग न होने के बावजूद, ब.नि. के प्रावधानों के विरुद्ध अनुपूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं को ₹ 1,250.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी। विवरण परिशिष्ट 3.11 में दर्शाया गया है।

### 3.6.8 बचत के अभ्यर्पण न होने के कारण व्यपगत राशि

ब.नि. के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 311.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 230.15 करोड़ (74 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई, जिससे कुल ₹ 80.89 करोड़ (26 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसमें से ₹ 16.03 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई तथा शेष ₹ 64.86 करोड़ को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया, जैसा कि तालिका 3.18 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: बचत के अभ्यर्पण न होने के कारण व्यपगत राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्यपगत
1	2217-03-191-01	74.81	33.68	108.49	74.81	33.68	0.0	33.68
2	2217-80-191-34	77.00	0.00	77.00	76.63	0.37	0.00	0.37
3	2217-80-191-36	6.00	0.00	6.00	3.16	2.84	2.53	0.31
4	2217-80-191-40	13.72	0.74	14.46	12.65	1.81	1.68	0.13
5	2217-80-191-93	2.00	0.00	2.00	1.92	0.08	0.04	0.04
6	2217-80-191-A1	2.50	0.00	2.50	0.18	2.32	2.28	0.04
7	2217-80-192-40	6.20	0.42	6.62	4.21	2.41	2.38	0.03
8	2217-80-789-33	12.00	0.00	12.00	9.01	2.99	2.89	0.10
9	2217-80-789-34	19.00	0.00	19.00	18.92	0.08	0.00	0.08
10	2217-80-796-89	60.00	0.00	60.00	26.64	33.36	3.36	30.00
11	6217-60-193-03	2.01	0.96	2.97	2.02	0.95	0.87	0.08
कुल		275.24	35.80	311.04	230.15	80.89	16.03	64.86

अनुमानित बचत (₹ 64.86 करोड़) का अभ्यर्पण नहीं करना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

### 3.6.9 सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना

ब.नि. के नियम 57 के नीचे दी गई टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक राशि का कोई प्रावधान न हो।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग द्वारा भेजे गए अनुमानों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 22 उप-शीर्षों के तहत ₹ 656.70 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। हालाँकि, सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया और अभ्यर्पित/पुनर्वियोग कर दिया गया था। आगे यह पाया गया कि ₹ 656.70 करोड़ में से, ₹ 335 करोड़ (अमृत के तहत ₹ 200 करोड़ तथा 15<sup>वें</sup> वित्त आयोग अनुदान के तहत ₹ 135 करोड़) का बजट प्रावधान केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रह गया, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए प्रदान किये गए ₹ 135 करोड़ को बिना कोई विशेष कारण बताये अभ्यर्पित कर दिया गया। अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंत में किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में वर्णित है।

### 3.6.10 व्यय का वेग

ब.नि. का नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

यह देखा गया कि ₹ 1,867.84 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 824.88 करोड़ (44 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया था। जाँच से आगे पता चला कि है कि, 115 उप-शीर्षों में से 31 में, मार्च माह में व्यय वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 767.92 करोड़) का 30 से 100 प्रतिशत के बीच रहा। आगे, नमूना-जाँच किए गए डीडीओ में पाया गया कि मार्च माह में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय 36 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.13** में दर्शाया गया है।

### 3.6.11 सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार, नगर स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपने स्थायी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए स्वीकृत ऋण राशि की निकासी की तिथि से पाँच वर्ष बाद 20 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। स्वीकृत ऋण पर ब्याज 13 प्रतिशत की दर से राशि की निकासी के एक वर्ष पश्चात समय-समय पर सरकार को देय होगा।

वित्त लेखों की जाँच से पता चला कि यूएलबी ने मुख्य शीर्ष 6217 के तहत अपने स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किए गए ₹ 453.08 करोड़ चुकाया नहीं गया था। आगे, यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक ₹ 104.36 करोड़ (मूलधन ₹ 19.67 करोड़ तथा ब्याज ₹ 84.69 करोड़) चुकाना बाकी था।

### 3.6.12 व्यक्तिगत बही खातों की लेखापरीक्षा

#### 3.6.12.1 अप्रयुक्त एवं व्यक्तिगत बही खातों में निधि का अवरुद्ध रहना- ₹ 1,902.05 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) के नियम 174 के अनुसार, माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। आगे, झा.को.सं. के नियम 334 के अनुसार, जमा प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेगा। दो लगातार वित्त वर्षों के बाद अव्यवहृत धनराशि को आगे व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष, जिससे धनराशि की निकासी की गई थी, में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

नमूना-जाँच किए गए इकाईयों के दौरान, यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खातों (8448-स्थानीय निधि जमा) में ₹ 1,902.05 करोड़ की राशि अवरुद्ध था, जैसा कि तालिका 3.19 में दिखाया गया है।

तालिका 3.19: 31 मार्च 2024 तक पीएल खातों में धनराशि का अवरुद्ध रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अभिकरण/कार्यालय का नाम	दिनांक 31.03.24 को रखी हुई राशि	तीन वर्षों से अधिक समय तक अव्यवहृत राशि
1	जुडको, राँची	1,187.40	214.38
2	राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा)	3.04	उपलब्ध नहीं
3	राँची नगर निगम	268.08	79.31
4	धनबाद नगर निगम	276.67	71.62
5	चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद	8.14	1.63
6	हरिहरगंज नगर पंचायत, पलामू	2.27	उपलब्ध नहीं
7	जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर	4.63	0.32
8	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी), जमशेदपुर	69.29	9.90
9	मानगो नगर निगम, जमशेदपुर	42.17	7.16
10	देवघर नगर निगम	24.53	2.48
11	नगर परिषद, दुमका	10.10	उपलब्ध नहीं
12	नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका	5.73	उपलब्ध नहीं
कुल		1,902.05	386.80

आगे, नमूना-जाँच किए गए इकाईयों में 67 योजनाओं के परीक्षण में पाया गया कि 01 अप्रैल 2021 तक इन योजनाओं में प्रारंभिक शेष ₹ 365.07 करोड़ 01 अप्रैल 2024 तक अप्रयुक्त पड़ा था, जो संहिता प्रावधानों के विरुद्ध है। नमूना-जाँच किए गए योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3.14 में दिया गया है।

### 3.6.12.2 पी.एल. खातों के अंत शेष का मिलान प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के आँकड़ों से नहीं होना

झा.को.सं. के नियम 353 के अनुसार, कोषागार पदाधिकारी को अपने मासिक खातों के साथ सभी जमाओं और स्थानीय निधियों के लिए प्लस एवं माइनस ज्ञापन तैयार कर प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को भेजना चाहिए। उसकी पुस्तकों में वास्तविक क्रेडिट और वास्तविक डेबिट तथा प्रधान महालेखाकार द्वारा सूचित किए गए किसी भी क्रेडिट या डेबिट को उचित कॉलम में ही दर्ज किया जाना चाहिए, और फिर पिछले महीने के ज्ञापन में दिखाए गए अंत शेष को प्रारंभिक शेष के रूप में आगे ले जाना चाहिए और उसके बाद महीने का अंत शेष निकाला जाना चाहिए। यह सब स्वतंत्र रूप से और निधियों के प्रशासकों के संदर्भ के बिना किया जाना चाहिए। महालेखाकार को ज्ञापन प्रस्तुत करने से पहले, पासबुक के आँकड़ों के साथ सत्यापन किया जाना चाहिए और ज्ञापन के मुख्य भाग पर उस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। यदि इस सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उन्हें मिलान के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए और ज्ञापन पर एक टिप्पण बनाना चाहिए कि कैसे मिलान की गई है या इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

चयनित इकाइयों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इकाइयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को, अंत शेष ₹ 1,902.05 करोड़ था जबकि प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के पास उपलब्ध आँकड़ों (प्लस एवं माइनस ज्ञापन) के अनुसार अंत शेष ₹ 1,344.92 करोड़ था। इस प्रकार, इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अंत शेष और कोषागारों द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराए गए अंत शेष के बीच ₹ 557.13 करोड़ का अंतर था। विवरण तालिका 3.20 में दिया गया है।

तालिका 3.20: 31 मार्च 2024 को पी.एल. खातों के अंत शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	कार्यालय/इकाइयों का नाम	अंत शेष (सी.बी.)		
		इकाइयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	कोषागारों द्वारा प्र. म. (ले. एवं हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार	अंत शेष में अंतर
1	जुडको, राँची	1,187.40	561.66	625.74
2	राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा)	3.04	9.64	(-) 6.60
3	राँची नगर निगम	268.08	326.93	(-) 58.85
4	धनबाद नगर निगम	276.67	271.86	4.81
5	चिरकुंडा नगर परिषद्, धनबाद	8.14	16.14	(-) 8.00
6	हरिहरगंज नगर पंचायत, पलामू	2.27	2.29	(-) 0.02
7	जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर	4.63	0.03	4.60
8	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी), जमशेदपुर	69.29	75.56	(-) 6.27

क्र.स.	कार्यालय/इकाईयों का नाम	अंत शेष (सी.बी.)		
		इकाईयों के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार	कोषागारों द्वारा प्र. म. (ले. एवं हक.) कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार	अंत शेष में अंतर
9	मानगो नगर निगम, जमशेदपुर	42.17	41.97	0.20
10	देवघर नगर निगम	24.53	22.86	1.67
11	नगर परिषद, दुमका	10.10	9.92	0.18
12	नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका	5.73	6.06	(-) 0.33
<b>कुल</b>		<b>1,902.05</b>	<b>1,344.92</b>	<b>557.13</b>

स्रोत: प्र. म. ले. (ले. एवं हक.) कार्यालय के पास उपलब्ध प्लस एवं माइनस ज्ञापन तथा नमूना-जाँच किए गए इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराए गए पी.एल. खाता विवरणों।

### 3.6.13 एकल नोडल खाता/बैंक खाता में शेष राशि ₹ 596.52 करोड़

विनियोग अधिनियम के अनुसार, कोषागार से निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर ही किया जाना चाहिए।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के अभिलेखों के नमूना-जाँच के दौरान, यह पाया गया कि मार्च 2024 तक ₹ 554.37 करोड़ (स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत ₹ 231.18 करोड़ और कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत के अंतर्गत ₹ 323.19 करोड़) एकल नोडल खाता (एसएनए) में शेष था। विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है।

तालिका 3.21: एसएनए में शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	योजना का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि
1	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	231.18
2	कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	323.19
<b>कुल</b>		<b>554.37</b>

यह देखा गया कि ₹ 321.00 करोड़ सहित अमृत के अंतर्गत शेष को सुडा द्वारा नवंबर 2021 में एसएनए को हस्तान्तरित किया गया और उस पर लगाया गया ब्याज शामिल है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि मार्च 2024 तक नमामि गंगे के तहत ₹ 42.15 करोड़ (राज्यांश) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बचत बैंक खाता (380302010161313) में शेष था, जिसमें ₹ 25.35 करोड़ 2016-17 से 2020-21 से संबंधित है।

इस प्रकार, एसएनए और बचत बैंक खाता में भारी शेष जिसमें तीन वर्ष से अधिक समय के पहले प्राप्त राशि भी शामिल था, परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध रही।

### 3.6.14 अंत शेष में विसंगति

वित्त विभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी निर्देशों (06.11.2019) के अनुसार रोकड़ बही शेष का मिलान प्रत्येक माह बैंक शेष से करना चाहिए। किसी भी अंतर के मामले में, बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाना चाहिए ताकि अंतर के कारणों का पता लगाया जा सके। बैंक खाते में बिना उपयोग के पायी गई कोई भी अतिरिक्त राशि यथाशीघ्र कोषागार/निधि प्रदाता को प्रेषित कर देना चाहिए।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के अभिलेखों की नमूना-जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक, बैंक विवरणी के अनुसार अंत शेष ₹ 554.37 करोड़ था जबकि रोकड़ बही के अनुसार अंत शेष ₹ 535.03 करोड़ था। ₹ 19.34 करोड़ का अंतर, जैसा कि तालिका 3.22 में दर्शाया गया है, का मिलान (नवंबर 2024) नहीं किया गया।

#### तालिका 3.22: अंत शेष में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि	कैश बुक के अनुसार शेष राशि	अंतर
1	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	231.18	214.44	16.74
2	कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	323.19	320.59	2.60
	<b>कुल</b>	<b>554.37</b>	<b>535.03</b>	<b>19.34</b>

स्रोत: बैंक विवरणी एवं सुडा द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही।

### 3.7 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ₹ 32,744.35 करोड़ की बचत में से 10 अनुदानों के तहत ₹ 22,386.79 करोड़ की बचत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग लेखों में उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, विगत चार वर्षों के दौरान, इन अनुदानों में कुल बचत सतत ₹ 11,975.09 करोड़ से ₹ 15,625.57 करोड़ तक रही।

वर्ष के दौरान, 57 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में कुल ₹ 13,499.10 करोड़ (53.82 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक के 10 अनुदानों से संबंधित अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त संवितरण, ₹ 3,778.41 करोड़ की राशि को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित किया जाना था। आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक विनियोग (15- पेंशन) में ₹ 268.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विकास (नगर विकास प्रभाग) ने बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं

किया, जिसके कारण विभाग में बजटीय नियंत्रण की कमी हुई, परिणामस्वरूप बड़ी बचत; वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय में अधिकता इत्यादि रहा।

### 3.8 अनुशासण

- राज्य सरकार बजटीय अनुमानों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकती है, साथ ही आवंटित धन के अनुपयोग को कम करने के लिए एक कुशल नियंत्रण तंत्र भी स्थापित कर सकती है।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि व्यय विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि से अधिक न हो। विगत वर्षों के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) आवंटित निधि के अनुपयोग की घटनाओं को कम करने और प्रत्याशित बचत की पहचान एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए बजट प्रबंधन को लागू करने के लिए उचित तंत्र स्थापित कर सकते हैं।



---

## अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और  
वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

---



## अध्याय 4

### लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ उस अनुपालन की स्थिति पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

#### 4.1 ऑफ-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) द्वारा ऑफ-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान या गारंटी हैं और राज्य की आकस्मिक देनदारियां हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य पी.एस.यू./एस.पी.वी. द्वारा कोई ऑफ बजट उधार नहीं लिया गया था।

#### 4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त निधि हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया था, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में निधि हस्तांतरित कर दी थी। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजे गए थे, इसलिए वार्षिक वित्त लेखे में ऐसे निधियों के प्रवाह को शामिल नहीं किया जा सका। इस प्रकार, उस सीमा तक, राज्य की प्राप्तियाँ और व्यय तथा उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्ती कारक/मापदंड पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से देने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि वर्ष 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ से घटकर वर्ष

2014-15 में ₹ 130.92 करोड़ रह गई। हालांकि, बाद के वर्षों में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की मात्रा में वृद्धि हुई और वर्ष 2023-24 में ₹ 6,829.58 करोड़ पहुँच गयी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ₹ 6,829.58 करोड़ का केंद्र का हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित किया गया। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 87,929 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 76,676 करोड़) का क्रमशः 7.77 और 8.91 प्रतिशत था। राज्य की समेकित निधि के माध्यम से धनराशि को स्थानांतरित किए बिना कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण न केवल राज्य के बजट और व्यय को उस सीमा तक संकुचित कर दिया (₹ 6,829.58 करोड़), बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि बनाई गई परिसंपत्ति और जनता को दिए गए लाभों की लागत राज्य के खातों में परिलक्षित नहीं हुए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जिन मामलों में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि सीधे हस्तांतरित की गई, उनमें जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत आदि योजनाएँ शामिल हैं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियों का विवरण तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.1: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2023-24 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	जल जीवन मिशन	झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	2,875.35
2	मनरेगा	झारखण्ड राज्य एन.ई.एफ.एम.एस.	2,265.15
3	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग	1,471.25
4	आयुष्मान भारत	झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी	83.55
5	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी	51.16
6	एन.एफ.एस.ए. के तहत अनाज की खरीद	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम	42.77
7	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	40.35
<b>कुल</b>			<b>6,829.58</b>

स्रोत: राज्य लेखा (2023-24) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

चूँकि, ये धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से नहीं गुजरती हैं, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। ये स्थानांतरण वित्त लेखे के खंड II के परिशिष्ट VI में दिखाए जाते हैं।

### 4.3 स्थानीय निकाय निधि जमा

राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान है कि जिला परिषद (जि.प.) पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमशः जि.प. निधि, पं.स. निधि और ग्रा.पं. निधि (मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत स्थानीय निधियों की जमा - 109-पंचायत निकाय निधियों के अंतर्गत) का संधारण करेगी जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और पंचायत की गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल हैं। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष को नगरपालिका द्वारा संधारित किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन नगरपालिका निधि में प्रमुख शीर्ष '8448-स्थानीय निधियों का जमा-102-नगरपालिका निधि' के तहत रखा जाता है। विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निकाय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पंचायती राज संस्थाएँ	8448-109	प्रारंभिक शेष	364.38	338.12	351.01	332.12	452.33
		राज्य सरकार से प्राप्तियाँ	124.60	100.19	90.78	211.26	290.82
		व्यय	150.86	87.30	109.67	91.04	196.30
		<b>अंत शेष</b>	<b>338.12</b>	<b>351.01</b>	<b>332.12</b>	<b>452.33</b>	<b>546.85</b>
शहरी स्थानीय निकाय	8448-102	प्रारंभिक शेष	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14	1,257.49
		राज्य सरकार से प्राप्तियाँ	1,252.93	1,204.29	543.41	656.50	501.83
		व्यय	1,134.27	940.17	1,422.14	862.14	639.10
		<b>अंत शेष</b>	<b>2,077.75</b>	<b>2,341.87</b>	<b>1,463.14</b>	<b>1,257.49</b>	<b>1,120.22</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि तालिका 4.2 से देखा जा सकता है, प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि के बावजूद, राज्य सरकार स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती रही। 2022-23 और 2023-24 के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा व्यय सरकार से प्राप्त निधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था।

#### 4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब


झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) को प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक दिए गए अनुदान के संबंध में देय कुल ₹ 1,33,161.50 करोड़ के 47,367 उपयोगिता प्रमाण पत्र<sup>1</sup> मार्च 2024 के अंत तक बकाया थे।

आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 30,038.20 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से एक बड़ी राशि (₹ 8,549.30 करोड़) पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा हिस्सा पाँच विभागों के विरुद्ध बकाया था, जो चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र



31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या और राशि तालिका 4.3 में दर्शायी गयी हैं।

<sup>1</sup> प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेख के अनुसार समायोजन लंबित है।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण का बकाया

(₹ करोड़ में)

संवितरण वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग		समायोजन		प्रस्तुति हेतु बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	29,268	69,312.78	4,749	18,734.70	28	394.89	33,989	87,652.59
2020-21	33,989	87,652.59	5,075	15,806.55	789	1,285.72	38,275	1,02,173.42
2021-22	38,275	1,02,173.42	5,194	13,979.67	1,311	2,117.47	42,158	1,14,035.62
2022-23*	42,158	1,14,035.62	5,276	19,930.07	67	804.19	47,367	1,33,161.50

\*2022-23 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2023-24 के अवधि के लिए देय हुए।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या और राशि का वर्षवार विभाजन तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

संवितरण वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2013-14 तक	4,926	3,854.86
2014-15	2,083	5,285.27
2015-16	8,585	9,055.83
2016-17	4,461	14,173.20
2017-18	3,723	18,396.33
2018-19	4,251	16,526.39
2019-20	4,420	18,128.69
2020-21	4,561	14,840.32
2021-22	5,148	13,774.73
2022-23*	5,209	19,125.88 <sup>#</sup>
<b>कुल</b>	<b>47,367</b>	<b>1,33,161.50</b>

\*2022-23 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2023-24 के अवधि के लिए देय हुए।

# इसमें वर्ष के दौरान सहायता अनुदान विपत्रों के माध्यम से एकल नोडल एजेंसियों को हस्तांतरित ₹ 11,552.10 करोड़ शामिल हैं।

सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्राप्त न होना यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारी निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान के उपयोग को समय पर प्रस्तुत करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने से धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का जोखिम बना रहता है। विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत न करने के कारण नहीं बताए गए।

#### 4.5 अनुदान संख्या 48 में अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झा.को.सं. में वर्णित है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन के बाद अनुदान आहरण की तिथि से 12 महीने के भीतर इन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

31 मार्च 2024 तक अनुदान संख्या 48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या और राशि तालिका 4.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5: अनुदान संख्या 48 में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति हेतु बकाया

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	संवितरण का वर्ष	कुल जारी अनुदान		जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्रस्तुति हेतु बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2401	2020-21 तक	104	340.35	06	1.13	98	339.22
	2021-22	51	544.43	00	0.00	51	544.43
	2022-23	45	16.84	00	0.00	45	16.84
<b>कुल</b>		<b>200</b>	<b>901.62</b>	<b>06</b>	<b>1.13</b>	<b>194</b>	<b>900.49</b>

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) झारखण्ड का कार्यालय

जैसा कि तालिका 4.5 से देखा जा सकता है, ₹ 900.49 करोड़ की बड़ी राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि कोषागार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विपत्र आहरण के 12 महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

#### 4.5.1 राज्यांश के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे गए जबकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को नहीं

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान अमृत परियोजना में राज्यांश के रूप में ₹ 372.41 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया था। उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गए परंतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड के कार्यालय में जमा नहीं किए गए। इस प्रकार, ये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड के अभिलेखों में लंबित रहे।

#### 4.5.2 ऋण राशि के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृत या दिए गए ऋण को उपयोग उपरांत जिन उद्देश्यों के लिए दिया गया था, उसे विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना आवश्यक है।

चयनित इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सात शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 94.24 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई थी, जैसा कि तालिका 4.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: ऋण के विरुद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राँची नगर निगम	धनबाद नगर निगम	चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद	जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर	अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	दुमका नगर परिषद	बासुकीनाथ नगर परिषद	कुल
1	2002-03	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	3.30
2	2003-04	0.00	0.98	0.00	0.00	1.65	0.33	2.21	5.17
3	2004-05	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	0.90
4	2005-06	0.00	1.20	0.54	0.00	0.00	1.70	0.14	3.58
5	2006-07	0.00	0.80	0.20	0.24	0.00	0.39	0.00	1.63
6	2007-08	4.31	2.08	0.11	0.00	1.39	0.58	0.59	9.06
7	2008-09	0.00	3.99	0.11	0.00	0.00	0.78	0.62	5.50
8	2009-10	6.66	2.99	0.05	0.00	0.85	0.00	0.37	10.92
9	2010-11	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1.57
10	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2012-13	0.00	2.18	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	2.48
12	2013-14	0.00	1.31	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.51
13	2014-15	4.55	1.31	0.00	0.00	0.20	0.20	0.02	6.28
14	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36
15	2016-17	6.33	0.00	0.00	0.72	0.35	1.20	0.05	8.65
16	2017-18	6.14	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	8.43
17	2018-19	5.99	2.55	0.00	0.00	0.34	0.28	0.05	9.21
18	2019-20	6.17	2.14	0.00	0.79	0.42	0.19	0.05	9.76
19	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2021-22	3.58	1.79	0.00	0.22	0.30	0.00	0.04	5.93
<b>कुल</b>		<b>43.73</b>	<b>29.18</b>	<b>1.01</b>	<b>1.97</b>	<b>6.36</b>	<b>7.67</b>	<b>4.32</b>	<b>94.24</b>

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेख

वर्ष 2002 से, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को न तो ऋण के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र और न ही व्यय का ब्यौरा दिया गया। इतनी लंबी अवधि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का लंबित रहना न केवल विभाग की अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और खराब निगरानी का संकेत है, बल्कि इससे लोक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी है।

#### 4.5.3 गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण

झा.को.सं. के नियम 261 के अनुसार, सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान, अंशदान आदि को सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना कोषागार द्वारा संवितरण नहीं किया जाएगा, जो निकासी एवं संवितरण अधिकारी से पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व वर्ष में निकाली गई लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति आदेश जारी करेगा।

नगर विकास विभाग की नमूना-जाँच की गई इकाइयों में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि पाँच इकाइयों में वर्ष 2021-23 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत आवंटित ₹ 49.68 करोड़ में से ₹ 10.87 करोड़ खर्च किए गए और शेष ₹ 38.81 करोड़

पी.एल. खातों में जमा किए गए। हालांकि, वर्ष 2021-23 से संबंधित ₹ 49.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजे गए हैं, जबकि कुल व्यय केवल ₹ 10.87 करोड़ था, जैसा कि तालिका 4.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: अव्ययित सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	वर्ष	आवंटित अनुदान	व्यय	पी.एल. खातों में शेष राशि	विभाग को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र	अव्ययित राशि जिसके विरुद्ध उ.प्र.प. भेजे गए	घटक जिनके तहत अनुदान प्रदान किया गया था
अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	2021-22	8.17	0.00	8.17	8.17	8.17	परिवहन/ सड़क निर्माण
	2022-23	8.17	0.00	8.17	8.17	8.17	
नगर आयुक्त, मानगो	2021-22	2.66	0.00	2.66	2.66	2.66	परिवहन/ सड़क निर्माण
	2022-23	2.66	1.65	1.01	2.66	1.01	
चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद	2021-22	2.18	1.48	0.70	2.06	0.58	संचालन एवं रखरखाव, जलापूर्ति आदि
धनबाद नगर निगम	2022-23	24.38	7.04	17.34	24.38	17.34	नागरिक सुविधा
दुमका नगर परिषद	2022-23	1.46	0.70	0.76	1.46	0.76	शहरी परिवहन
<b>कुल</b>		<b>49.68</b>	<b>10.87</b>	<b>38.81</b>	<b>49.56</b>	<b>38.69</b>	

बिना वास्तविक उपयोग के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण न केवल विभाग की अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और खराब निगरानी का संकेत है, बल्कि इससे लोक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी है।

#### 4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब आकस्मिक शुल्क को कोषागार से अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर बिना किसी उप-वाउचर के निकाला जाता है, तो संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र, उप-वाउचर के साथ समर्थित और नियंत्रण अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, ए.सी. विपत्रों के आहरण की तिथि से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्ष-वार विवरण तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया ए.सी. विपत्र		जमा किए गए डी.सी. विपत्र		शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	1,331	149.96	490	84.83	841	65.13
2001-2002	5,493	506.18	3,012	322.40	2,481	183.78
2002-2003	3,846	408.07	2,462	306.79	1,384	101.28
2003-2004	7,640	619.55	5,551	506.19	2,089	113.36
2004-2005	6,664	1,171.01	5,117	1,018.91	1,547	152.11
2005-2006	6,145	1,084.18	4,969	872.95	1,176	211.23
2006-2007	6,053	1,502.66	4,793	1,222.97	1,260	279.69
2007-2008	6,862	1,796.19	5,642	1,368.67	1,220	427.52
2008-2009	4,747	2,937.18	3,560	2,412.28	1,187	524.90
2009-2010	2,087	996.69	1,134	729.25	953	267.44
2010-2011	1,891	824.63	912	596.70	979	227.93
2011-2012	1,077	1,611.15	646	1,448.70	431	162.45
2012-2013	545	924.98	365	784.46	180	140.52
2013-2014	468	666.82	271	612.40	197	54.42
2014-2015	550	721.23	307	500.79	243	220.44
2015-2016	806	1,224.90	454	954.84	352	270.07
2016-2017	459	1,267.80	219	1,060.85	240	206.95
2017-2018	335	1,209.12	137	1,097.19	198	111.92
2018-2019	243	1,061.32	97	958.55	146	102.77
2019-2020	330	2,168.00	149	2,003.84	181	164.16
2020-2021	357	1,911.16	123	1,540.55	234	370.61
2021-2022	246	2,668.28	89	2,435.69	157	232.59
2022-2023	379	638.35	48	339.46	331	298.89
2023-2024*	7	3.68	3	2.12	4	1.56
<b>कुल</b>	<b>58,561</b>	<b>28,073.10</b>	<b>40,550</b>	<b>23,181.39</b>	<b>18,011</b>	<b>4,891.72</b>

\* सितंबर 2023 तक आहरित किए गए के ए.सी. विपत्रों को लिया गया है।

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संधारित अभिलेख


वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के आठ विभागों ने 30 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर ₹ 26.22 करोड़ आहृत किए हैं। 30 ए.सी. विपत्रों में से ₹ 3.68 करोड़ की राशि के सात ए.सी. विपत्र सितंबर 2023 तक निकाले गए, जिन्हें जमा करने की अंतिम तिथि मार्च 2024 थी। इन सात ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध केवल ₹ 2.12 करोड़ की राशि के तीन डी.सी. विपत्र ही समय पर जमा किए गए और ₹ 1.56 करोड़ की राशि के चार ए.सी. विपत्र बकाया रह गए।

ऐसा आश्वासन नहीं है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1.56 करोड़ की राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। वर्ष के दौरान व्यय को इस सीमा तक बढ़ाकर भी बताया गया हो सकता है।

इस प्रकार, सितंबर 2023 तक निकाले गए ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के 18,011 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2024 तक बकाया थे। निकाले गए और हिसाब में नहीं रखे गए अग्रिमों से अपव्यय/दुरुपयोग/दुराचार आदि की संभावना बढ़ जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आहरित कुल राशि में से ₹ 13.32 करोड़ की राशि के नौ ए.सी. विपत्र मार्च 2024 में आहरित किए गए। मार्च में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से धन की निकासी से संकेत मिलता है कि ये निकासी मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिए की गई थी और इससे अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का पता चलता है। लंबित डी.सी. विपत्रों की अधिकतम राशि वाले विभागों का तुलनात्मक विवरण चार्ट 4.2 और तालिका 4.9 में दिया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र



तालिका 4.9: पाँच प्रमुख विभागों में लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		कल्याण विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	272	15.85	57	0.11	58	0.02	0	0.00	208	0.57
2001-2002	297	29.43	205	4.64	438	11.68	352	12.66	567	81.54
2002-2003	218	40.45	131	2.84	207	2.67	183	14.37	48	4.08
2003-2004	206	38.90	215	8.28	63	5.07	657	26.12	218	13.61
2004-2005	163	53.86	101	7.19	99	26.76	331	20.03	123	9.24
2005-2006	101	51.14	136	3.42	100	20.12	197	51.04	110	30.68
2006-2007	109	35.37	140	6.02	134	47.96	206	87.39	125	25.22
2007-2008	184	33.97	90	2.64	106	115.56	189	64.46	102	67.49
2008-2009	205	54.45	146	10.22	61	42.80	207	54.48	68	34.20
2009-2010	183	53.11	140	22.75	49	64.02	295	45.53	19	3.37
2010-2011	176	80.12	68	30.75	5	0.11	333	37.67	19	10.61
2011-2012	96	63.63	32	7.88	13	0.42	38	3.18	29	4.69
2012-2013	83	79.42	6	0.16	2	0.09	21	26.63	19	13.81
2013-2014	106	29.08	6	0.56	16	11.89	10	0.18	13	1.53
2014-2015	136	117.19	13	33.77	6	2.28	7	0.09	20	3.04
2015-2016	192	152.94	28	30.99	12	16.57	10	23.64	23	17.85
2016-2017	107	37.49	20	29.12	8	3.01	0	0.00	3	0.10
2017-2018	111	33.93	23	29.70	3	2.09	0	0.00	0	0.00
2018-2019	110	25.15	7	40.80	3	4.44	1	0.45	1	1.09
2019-2020	112	38.36	47	98.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2020-2021	196	52.54	15	169.65	2	79.32	1	0.15	0	0.00
2021-2022	127	99.07	1	0.00	15	7.34	2	5.74	0	0.00
2022-2023	304	258.04	3	33.08	17	3.71	0	0.00	0	0.00
2023-24	0	0.00	4	4.38	16	10.35	0	0.00	0	0.00
<b>कुल</b>	<b>3,794</b>	<b>1,473.51</b>	<b>1,634</b>	<b>577.22</b>	<b>1,433</b>	<b>478.29</b>	<b>3,040</b>	<b>473.79</b>	<b>1,715</b>	<b>322.70</b>

जैसा कि तालिका 4.9 से देखा जा सकता है, 2000-01 से आहरित ए.सी. विपत्र समाशोधन के लिए लंबित हैं। यह एक गंभीर अनियमितता है तथा सरकारी निधियों के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

#### 4.7 डी.सी. विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 186 एवं 187 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और उप-वाउचर के साथ समर्थित डी.सी. विपत्र, ए.सी. विपत्रों के निकासी से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की समाप्ति के बाद कोई आकस्मिक विपत्र पर निकासी तब तक नहीं की जा सकती जब तक विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, शीर्ष 4217, 2251, 2217 और 2215 के अंतर्गत 2021-22 तक ₹ 45.09 करोड़ की राशि के 109 ए.सी. विपत्र अनुदान संख्या 48 - नगर विकास विभाग (नगर विकास प्रभाग) द्वारा आहरित किए गए। इनमें से ₹ 6.03 करोड़ की राशि से संबंधित 47 डी.सी. विपत्र प्रस्तुत किए गए तथा शेष ₹ 39.06 करोड़ की राशि से संबंधित 62 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2024 को बकाया थे। विवरण तालिका 4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: डी.सी. विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. विपत्रों का विवरण		जमा किए गए डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र	
		ए.सी. विपत्रों की सं.	राशि	डी.सी. विपत्रों की सं.	राशि	डी.सी. विपत्रों की सं.	राशि
4217	2021-22 तक	19	2,880.04	02	35.97	17	2,844.06
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2251	2021-22 तक	29	7.89	17	5.79	12	2.10
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2217	2021-22 तक	58	1,620.86	26	561.41	32	1,059.45
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2215	2021-22 तक	03	0.41	02	0.34	01	0.07
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
<b>कुल</b>		<b>109</b>	<b>4,509.20</b>	<b>47</b>	<b>603.51</b>	<b>62</b>	<b>3,905.68</b>

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संधारित अभिलेख

#### 4.8 स्थानीय निधियों की जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वित्त लेखों और वाउचर स्तरीय कम्प्यूटीरीकरण (वी.एल.सी.) आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों के जमा के तहत लघु शीर्षों में लेन-देन से संबंधित 209 खाते 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित थे। शेष राशि का वर्षवार विवरण तालिका 4.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: स्थानीय निधियों के जमा का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85
2021-22	16,302.85	10,246.04	11,022.02	15,526.87
2022-23	15,526.87	17,023.16	14,162.63	18,387.40
2023-24	18,387.40	25,731.65	23,149.71	20,969.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 4.11 से देखा जा सकता है कि 2019-20 और 2021-22 को छोड़कर, 2019-24 की अवधि के दौरान खातों में प्राप्तियों की तुलना में व्यय कम था, जिसके कारण इन वर्षों के दौरान अंत शेष में वृद्धि हुई।

2023-24 के दौरान, संवितरण प्राप्तियों की तुलना में ₹ 2,581.94 करोड़ कम था, जिसके कारण वर्ष के अंत में शेष राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 31 मार्च 2024 को, ₹ 20,969.34 करोड़ की एक बड़ी राशि सरकार के बजटीय नियंत्रण से बाहर रही।

#### 4.9 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 328 से 330 में यह प्रावधान है कि वैयक्तिक जमा खाता (पी.डी.ए.) का उपयोग सरकारी सेवक द्वारा विशेष मामलों में किया जा सकता है, जहाँ लोकहित में व्यय में तेजी की आवश्यकता होती है, जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं है। वित्त विभाग की सहमति और महालेखाकार के प्राधिकरण के बिना कोषागार में कोई व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला जाना है। वित्त विभाग को अपने प्राधिकरण पत्र में एक तारीख निर्दिष्ट करनी है, जिसके लिए खाता चालू होना है। ऐसी तारीख की समाप्ति पर कोषागार अधिकारी द्वारा वित्त विभाग और महालेखाकार की पूर्व अनुमति के बिना खाता बंद किया जाना है। बंद करने के समय बकाया शेष राशि को कोषागार अधिकारी द्वारा संबंधित शीर्ष में खाताधारक यानी खाता प्रशासक, वित्त विभाग और महालेखाकार को सूचना देते हुए कोषागार में जमा किया जाना है।

वित्त विभाग ने दिसंबर 2019 में सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को जिला भू-अर्जन अधिकारियों के नाम पर पी.डी. खाते खोलने का निर्देश दिया था। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाते खोले गए। ये सभी खाते चालू हैं और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,368.79 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 1,187.22 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशि में से, वर्ष के दौरान ₹ 346.31 करोड़ संवितरित किए गए, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 3,209.70 करोड़ की राशि शेष रह गयी।

#### 4.10 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

‘अन्य प्राप्तियाँ’ और ‘अन्य व्यय’ से संबंधित लघु शीर्ष 800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब खातों में उचित लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

47 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 87,928.50 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से, ₹ 2,324.60 करोड़ (2.90 प्रतिशत) लघु शीर्ष “800-अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत दर्ज की गई। इसके अलावा, जैसा कि तालिका 4.12 में दर्शाया गया है, 2023-24 के दौरान, ₹ 1,112.37 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 1,092.01 करोड़ की राशि की 14 मुख्य शीर्षों में ‘800’ के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जो 52 प्रतिशत और उससे अधिक थी।

तालिका 4.12: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800 - 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	'800' में बुक किया गया	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0059	लोक निर्माण	18.52	18.52	100
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवा	186.10	179.09	96
3	0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली	3.53	3.44	97
4	0075	विविध सामान्य सेवाएँ	412.71	412.65	100
5	0210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9.75	5.06	52
6	0215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	14.28	14.21	100
7	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	79.49	79.49	100
8	0401	कृषि कर्म	7.40	5.52	75
9	0700	वृहद सिंचाई	125.08	125.08	100
10	0701	मध्यम सिंचाई	70.44	70.19	100
11	0702	लघु सिंचाई	6.21	6.21	100
12	0801	विद्युत	7.19	7.19	100
13	1054	सड़कें और पुल	58.22	51.88	89
14	1456	जन आपूर्ति	113.48	113.48	100
कुल			1,112.40	1,092.01	98

#### 4.11 उचंत एवं ऋण, जमा और प्रेषण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन लेखा के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किए जा सकते। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशियों को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में उचंत शेष राशि का असमायोजन उस वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। राज्य के उचंत शेष और प्रेषण शेष की स्थिति क्रमशः तालिका 4.13 और तालिका 4.14 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.13: उचंत शीर्ष-8658 के तहत शेष राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101- वेतन व लेखा कार्यालय उचंत	557.75	557.26	694.40	696.42	160.69	195.24
<b>निवल</b>	<b>डेबिट 0.49</b>		<b>क्रेडिट 2.02</b>		<b>क्रेडिट 34.55</b>	
102 - उचंत लेखा (सिविल)	93.21	122.57	174.66	181.52	81.55	98.07
<b>निवल</b>	<b>क्रेडिट 29.36</b>		<b>क्रेडिट 6.86</b>		<b>क्रेडिट 16.52</b>	

तालिका 4.14: प्रेषण शीर्ष-8782 के तहत शेष राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102 - पी. डब्ल्यू. प्रेषण	62,735.61	62,817.53	71,182.33	71,254.68	11,927.47	11,996.20
<b>निवल</b>	<b>क्रेडिट 81.92</b>		<b>क्रेडिट 72.35</b>		<b>क्रेडिट 68.73</b>	
103 - वन प्रेषण	3,035.51	3,078.97	4,024.04	4,039.04	1,225.23	1,209.85
<b>निवल</b>	<b>क्रेडिट 43.46</b>		<b>क्रेडिट 15.01</b>		<b>डेबिट 15.38</b>	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि के निहितार्थ नीचे दिए गए हैं:

- **वेतन व लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत**

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष राशि, केंद्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.), झारखण्ड द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाती है, जिन्हें अभी तक वसूल नहीं किया गया है। बकाया क्रेडिट शेष राशि, राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाती है, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को अभी तक समायोजित नहीं किया गया है। यह देखा गया कि निवल शेष राशि 2022-23 में ₹ 2.02 करोड़ के क्रेडिट शेष से बढ़कर 2023-24 में ₹ 34.55 करोड़ के क्रेडिट शेष हो गई। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल क्रेडिट शेष (₹ 34.55 करोड़) के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष उस सीमा तक कम हो जाएगा।

- **उचंत लेखा (सिविल)**

इस उचंत लेखा लघु शीर्ष का उपयोग प्राप्तियों (क्रेडिट) और व्यय (डेबिट) की बुकिंग के लिए किया जाता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर समाशोधित किया जाना है। इन मदों के समाशोधन का नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष राशि 2022-23 के दौरान ₹ 6.86 करोड़ के क्रेडिट से बढ़कर 2023-24 में ₹ 16.52 करोड़ क्रेडिट हो गई।

नकद प्रेषण की जाँच और लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन से पता चला कि मार्च 2024 के अंत में ₹ 53.36 करोड़ का क्रेडिट शेष पारगमन में था।

#### 4.12 विभागीय आँकड़ों का मिलान

विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने, उसे बजट अनुदान के भीतर रखने तथा अपने खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान उनके द्वारा हर महीने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के साथ किया जाना चाहिए।

बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को व्यय और प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए मासिक आधार पर विभागीय खातों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बजट नियंत्रण अधिकारियों को झारखण्ड बजट नियमावली की आवश्यकताओं को दोहराते हैं कि वे अपनी प्राप्तियों और व्यय के मासिक और त्रैमासिक आँकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से करें।

राज्य की प्राप्तियों और व्ययों का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों के साथ मिलान न किए जाने की नियमित रिपोर्टिंग के बाद परिवर्तन देखा गया, जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का 100 प्रतिशत मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों के साथ किया गया।

#### 4.13 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 86.66 करोड़ (क्रेडिट)} और आर.बी.आई. द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों {(₹ 46.16 करोड़ (डेबिट))} के बीच ₹ 40.50 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 40.50 करोड़ (निवल क्रेडिट) के अंतर के मुद्दे को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड ने आर.बी.आई, राँची के साथ मिलान और आवश्यक सुधार के लिए उठाया है।

#### 4.14 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आई.जी.ए.एस.) को अधिसूचित किया है।

तालिका 4.15: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	<b>आई.जी.ए.एस.-1:</b> सरकारी लेखांकन मानक द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल सहित) द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के संबंध में इस तरह की प्रतिभूतियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	<b>आई.जी.ए.एस.-2:</b> सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक का उद्देश्य अनुदाता और अनुदानग्राही दोनों के लिए सरकार के वित्तीय विवरणों में अनुदान-सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है। इस मानक का उद्देश्य सरकार के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण के माध्यम से अनुदान-सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों को निर्धारित करना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	सहायता अनुदान को पूंजीगत अनुभाग में दर्ज किया गया।
3.	<b>आई.जी.ए.एस.-3:</b> सरकारी ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य संघ और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों की पहचान, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए मानदंड निर्धारित करना है, ताकि पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, सुनिश्चित नहीं हो सका।

#### 4.15 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं की लेखापरीक्षा किसी कानून द्वारा या उसके अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले किसी केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे नियमों और शर्तों पर करेगा, जिन पर उसके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे उस निकाय या प्राधिकरण के बही-खातों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

#### निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

राज्य में प्रतिवेदित 11 स्वायत्त निकायों के संबंध में प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण हेतु देय लेखों की संख्या और लेखापरीक्षा की स्थिति से संबंधित विवरण, जो कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य हैं, तालिका 4.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.16: लेखा प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2023-24 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2022-23	1	2022-23	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2023-24 वार्षिक लेखा प्रतीक्षारत है।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2011-12	12	2011-12	03.03.2014	निधि नियम तथा लेखे का प्रारूप के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखे का लेखापरीक्षा रोक दिया गया।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2022-23	1	2020-21	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद, लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2020-21 अवधि के लिए 26 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10	14	2002-03 से 2009-10	सूचित नहीं किया गया	2010-11 की अवधि के लिए एनट्रस्टमेंट उपलब्ध नहीं किया गया।

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2023-24 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
5	राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस.आर. एल.), राँची	2016-17	7	2010-11 और 2016-17 की अवधि के लिए लेखाओं का एस.ए.आर. प्रक्रियाधीन है।		
6	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	2006-07 से 2010-11	18	2005-06	सूचित नहीं किया गया	बैलेंस शीट जमा नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा शुरू नहीं हो सकी।
7	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड, राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	23			अब तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
8	क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	2022-23	1			संशोधित वित्तीय विवरण के अभाव में एस.ए.आर. जारी नहीं किया गया।
9	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	8			अब तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
10	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास), राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया				अब तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
11	बाबा बैद्यनाथ धाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया				29.11.2022 को पाँच लेखांकन वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ। लेखाओं की प्रतीक्षा है।

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड कार्यालय में संधारित अभिलेख

### विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। समय पर खाते प्रस्तुत न करने पर कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों का सामना करना पड़ सकता है।

नीचे दी गई तालिका 4.17 में 31 अक्टूबर 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका 4.17: 31 अक्टूबर 2024 तक कार्यरत और अक्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यरत	अक्रियाशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	29	3	32
2	बकाया खातों वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	27	3	30
3	बकाया खातों की संख्या	105	2	107

क्र. सं.	विवरण	कार्यरत	अक्रियाशील	कुल
4(क)	पाँच वर्ष से अधिक बकाया वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	06	00	06
4(ख)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया खातों की संख्या	51	00	51
5(क)	तीन से पाँच वर्ष के बीच बकाया वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	09	00	09
5(ख)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया खातों की संख्या	39	00	39
6(क)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	15	00	15
6(ख)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया खातों की संख्या	17	00	17
7	बकाया राशि की सीमा (वर्षों में)	1 से 14	1	1 से 14

स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आँकड़ा

#### 4.16 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उनका नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 84 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 84 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने नवंबर 2024 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि आठ<sup>2</sup> निकायों/प्राधिकरणों का शुरुआत से लेखापरीक्षा नहीं किया गया है एवं 25 नए बनाए गए हैं। 51 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नवंबर 2024 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

<sup>2</sup> (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) सरकारी प्रेस (iii) वन विकास प्राधिकरण (iv) झारखण्ड खेल प्राधिकरण (v) फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी (vi) झारखण्ड कला मंदिर, होटवार (vii) छऊ नृत्य कला केंद्र, सरायकेला और (viii) मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र

#### 4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में यह प्रावधान है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य किसी कारण से नुकसान होने पर कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तत्काल रिपोर्ट की जानी चाहिए, भले ही उस नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा उसकी भरपाई कर दी गई हो। जैसे ही संदेह हो कि नुकसान हुआ है ऐसी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए और जाँच होने के क्रम में देरी नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार कार्यालय को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई।

#### 4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन को पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर संबंधित विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) कृत-कार्रवाई नोट (ए.टी.एन.) उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 में प्रतिवेदित ₹ 8,120.12 करोड़ (विगत वर्षों से संबंधित) के प्रावधानों से अधिक व्यय को लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिशों पर राज्य विधानमंडल द्वारा (13.01.2014) नियमित किया गया था। उसके बाद, प्रावधानों से अधिक व्यय को नियमित नहीं किया गया है, क्योंकि पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19 के कंडिका 2.3.5 और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 के कंडिका 3.3.8.1, अतिरिक्त व्यय के नियमितीकरण से संबंधित, पर 02.08.2022 को पी.ए.सी. में चर्चा की गई।

#### 4.19 निष्कर्ष

31 मार्च 2024 को, ₹ 1,33,161.50 करोड़ की राशि के 47,367 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

31 मार्च 2024 को, ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के 18,011 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

#### 4.20 अनुशंसाएँ

- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभागों को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वित्त विभाग यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि चूककर्ता अनुदानग्राहियों को आगे कोई और अनुदान जारी न किया जाए। सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने में चूक की है।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर सभी बकाया ए.सी. विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, और यह भी सुनिश्चित करे कि ए.सी. विपत्र केवल बजट की व्ययगतता से बचने के लिए नहीं आहरित किए जाएँ।

राँची

दिनांक: 08 अप्रैल 2025

६-३ ३०२२१२

(इन्दु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 15 अप्रैल 2025

२०२५

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



---

परिशिष्ट

---



**परिशिष्ट 1.1 भाग-क**  
(संदर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड की रूपरेखा								
क. सामान्य आँकड़े								
क्र.सं.	विवरण				आँकड़े			
1	क्षेत्रफल				79,716 वर्ग कि.मी.			
2	जनसंख्या							
	क.	2011			3.33 करोड़			
	ख.	2024			4.00 करोड़			
3	क.	जनसंख्या का घनत्व <sup>1</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.			
	ख.	जनसंख्या का घनत्व <sup>2</sup> (2023-24 के अनुमानित जनसंख्या के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			501.32 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.			
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) <sup>3</sup> (अखिल भारतीय औसत = 21.92%)				36.96 प्रतिशत			
5	साक्षरता <sup>4</sup> (अखिल भारतीय औसत = 73%)				66.40 प्रतिशत			
6	शिशु मृत्यु दर <sup>5</sup> (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)				25			
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा <sup>6</sup> (भारतीय = 70 वर्ष)				69.6 वर्ष			
8	मानव विकास सूचकांक <sup>7</sup>							
	क.	2021 (अखिल भारतीय = 0.633)			उपलब्ध नहीं			
	ख.	2022 (अखिल भारतीय = 0.644)			उपलब्ध नहीं			
9	2023-24 में चालू मूल्य (2011-12 श्रृंखला) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) <sup>8</sup>				₹ 4,61,010 करोड़			
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सी.ए.जी.आर. (2014-15 से 2023-24)		झारखण्ड		7.11 प्रतिशत			
			अखिल भारतीय		8.89 प्रतिशत			
11	जीएसडीपी सी.ए.जी.आर. (2014-15 से 2023-24)		झारखण्ड		8.65 प्रतिशत			
			अखिल भारतीय		10.06 प्रतिशत			
12	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)		झारखण्ड		15.25 प्रतिशत			
			अखिल भारतीय		11.26 प्रतिशत			
ख. वित्तीय आँकड़े								
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)					
			वृद्धि		2021-22 से 2022-23		2022-23 से 2023-24	
					सामान्य राज्य	झारखण्ड	सामान्य राज्य	झारखण्ड
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	13.41	15.09	8.19	9.57		
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	19.80	17.98	10.58	11.50		
3	ग.	गैर-कर राजस्व का	12.94	27.91	14.62	4.64		
4	घ.	कुल व्यय का	12.53	15.34	10.56	19.58		
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	18.92	68.15	19.85	36.40		
6	च.	पूँजीगत परिव्यय	14.18	49.47	26.16	46.76		
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	75.21	187.84	-28.93	1.89		
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.21	4.17	5.11	1.05		
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	0.88	7.53	10.34	4.61		
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	9.71	6.63	7.52	5.26		
11	ट.	पेंशन का	11.38	2.48	6.27	15.52		

<sup>1</sup> सेन्सस इन्फो इंडिया 2011, कुल अंतिम जनसंख्या

<sup>2</sup> राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2011-36

<sup>3</sup> सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय

<sup>4</sup> जनगणना 2011

<sup>5</sup> एसआरएस बुलेटिन (2020)

<sup>6</sup> एसआरएस अब्रिज्ड लाइफ टेबल 2016-20, भारत के महारजिस्ट्रार

<sup>7</sup> यूएनडीपी रिपोर्ट एचडीआर 2023/2024

<sup>8</sup> आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

**परिशिष्ट 1.1 भाग-ख**  
**सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप**  
**(सन्दर्भ: कंडिका 1.3)**

<b>सरकारी लेखाओं की संरचना:</b> राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा।	
<b>भाग-I: समेकित निधि:</b> राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि का निर्माण करेगी।	
<b>भाग-II: आकस्मिक निधि:</b> संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और समेकित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिक निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
<b>भाग-III: लोक लेखा:</b> कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
<b>भाग-ग: वित्त लेखे का अभिन्यास</b>	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं. 16	वर्ष 2023-24 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2024 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिक निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	रक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

**परिशिष्ट 2.1**  
**वर्ष 2023-24 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.2)**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केन्द्रीय योजना	कुल	
80,245.22	I. राजस्व प्राप्तियाँ		87,928.50	66,681.64	I. राजस्व व्यय	36,536.69	40,139.73	76,676.42	76,676.42
25,117.51	कर राजस्व	28,004.77		23,261.05	सामान्य सेवाएँ	25,032.31	558.03	25,590.34	
				27,640.00	सामाजिक सेवाएँ	9,277.09	19,431.61	28,708.70	
12,830.05	गैर-कर राजस्व	13,425.12		11,653.54	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	6,638.53	5,188.10	11,826.63	
				4,660.51	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,487.64	3,387.83	4,875.47	
31,404.12	संघीय करों में राज्य के हिस्से	37,352.35		2,282.40	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	340.87	1,241.55	1,582.42	
1,826.59	वित्त आयोग अनुदान	2,378.28		212.48	सूचना एवं प्रसारण	168.77	178.42	347.19	
2,195.16	राज्य को अन्य अनुदान	501.27		2,447.64	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	146.99	1,885.41	2,032.40	
6,871.79	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,266.71		515.00	श्रम एवं श्रम कल्याण	58.90	767.77	826.67	
				5,843.08	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	397.23	6,782.53	7,179.76	
				25.35	अन्य	38.16	0.00	38.16	
				15,780.59	आर्थिक सेवाएँ	2,227.29	20,150.09	22,377.38	
				2,758.00	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	554.71	2,284.73	2,839.44	
				6,238.85	ग्रामीण विकास	579.25	6,142.37	6,721.62	
				377.99	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	396.94	-0.04	396.90	
				3,531.08	उर्जा	-4.81	9,554.10	9,549.29	
				309.53	उद्योग एवं खनिज	36.82	292.52	329.34	
				549.05	परिवहन	484.13	113.66	597.79	
				2,016.09	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	180.25	1,762.75	1,943.00	
				0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				66,681.64	कुल	36,536.69	40,139.73	76,676.42	
	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			13,563.58	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				11,252.08
80,245.22	कुल		87,928.50	80,245.22	कुल				87,928.50
<b>भाग- ख</b>									
5,572.70	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी		6,682.68	0.00	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का				0.00

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24			
	अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित				आरंभिक शेष				
0.00	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0.00	14,015.59	IV. पूँजीगत परिव्यय	287.32	20,282.37	20,569.69	20,569.69
				872.98	सामान्य सेवाएँ	-0.73	969.52	968.79	
				5,220.99	सामाजिक सेवाएँ	0.31	6,613.85	6,614.16	
				1,011.79	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.56	746.72	747.28	
				624.50	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-0.25	650.72	650.47	
				2,668.59	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.00	4,196.17	4,196.17	
				0.05	सूचना एवं प्रसारण	0.00	5.67	5.67	
				848.33	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	877.72	877.72	
				42.60	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	131.43	131.43	
				25.13	अन्य	0.00	5.42	5.42	
				7,921.62	आर्थिक सेवाएँ	287.74	12,699.00	12,986.74	
				654.48	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	-1.29	908.62	907.33	
				2,219.59	ग्रामीण विकास	287.73	3,226.36	3,514.09	
				1,373.71	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,506.66	1,506.66	
				153.96	ऊर्जा	0.00	1,605.78	1,605.78	
				3.00	उद्योग और खनिज	0.00	163.42	163.42	
				3,437.50	परिवहन	0.00	5,259.56	5,259.56	
				79.38	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.30	28.60	29.90	
46.41	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		7,276.70	4,211.14	V. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	63.10	4,227.75	4,290.85	4,290.85
0.00	ऊर्जा परियोजनाओं से	7,230.80		4,057.71	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0.00	4,227.75	4,227.75	
46.22	सरकारी सेवकों से	44.87		40.55	सरकारी सेवकों को	32.56	0.00	32.56	
0.19	अन्य से	1.03		112.88	अन्य को	30.54	0.00	30.54	
13,563.59	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		11,252.08		VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				0.00
9,142.30	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		8,247.13	6,729.46	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान			6,384.02	6,384.02
0.00	वाह्य ऋण	0.00		0.00	वाह्य ऋण			0.00	
5,515.20	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	3,120.45		6,473.08	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			6,042.06	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल	0.00		0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल			0.00	

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	लेनदेन				लेनदेन		
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00		0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		0.00
3,627.10	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	5,126.68		256.38	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान		341.96
0.00	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोग		0.00	0.00	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोग		0.00
0.00	IX. आकस्मिक निधि को अंतरित राशि		0.00	0.00	IX. आकस्मिक निधि से व्यय		0.00
33,446.29	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		51,123.39	30,132.42	X. लोक लेखा संवितरण		42,601.81 42,601.81
1,397.48	लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,988.30		1,381.69	लघु बचत एवं भविष्य निधि		1,447.85
361.56	रक्षित निधि	3,113.86		1,170.25	रक्षित निधि		249.99
500.00	कर्णाकित निधियों में निवेश	1,267.08					
519.39	उचंत एवं विविध	635.81		224.34	उचंत एवं विविध		667.66
9,397.23	प्रेषण	13,118.70		9,433.32	प्रेषण		13,147.16
21,270.63	जमा एवं अग्रिम	30,999.64		17,922.82	जमा एवं अग्रिम		27,089.15
0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन	0.00		0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन		0.00
0.00	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0.00	6,682.68	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		10,735.61 10,735.61
				0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00
				91.07	रिजर्व बैंक में जमा		-86.66
				38.33	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		37.06
				1,403.87	कर्णाकित निधि का निवेश		2,670.95
				5,149.41	रोकड़ शेष का निवेश		8,114.26
1,42,016.51	कुल	1,72,510.48		1,42,016.51	कुल		1,72,510.48

**परिशिष्ट 2.2**  
**राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 एवं 2.4)**

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>भाग - क. प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>58,417</b>	<b>56,150</b>	<b>69,722</b>	<b>80,245</b>	<b>87,929</b>
(i) स्वयं कर राजस्व	16,771	16,880	21,290	25,118	28,005
वस्तु एवं सेवा कर	8,418	7,931	9,557	11,375	12,348
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,996	4,301	5,213	6,271	6,949
राज्य उत्पाद	2,009	1,821	1,807	2,057	2,376
वाहनों पर कर	1,129	976	1,263	1,574	1,756
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	560	708	987	1,108	1,468
भू-राजस्व	338	873	1,621	1,557	1,666
विद्युत् पर कर एवं शुल्क	236	195	792	1,132	1,395
अन्य कर	85	75	49	44	46
(ii) कर भिन्न राजस्व	8,750	7,564	10,031	12,830	13,425
(iii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	20,593	19,712	27,735	31,404	37,352
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,303	11,993	10,667	10,894	9,146
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49	49	1,292	46	7,277
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	58,466	56,199	71,014	80,292	95,205
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,593	13,547	9,840	9,142	8,247
आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,167	10,958	6,594	5,515	3,120
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	426	2,588	3,246	3,627	5,127
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	68,059	69,745	80,853	89,434	1,03,452
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	63
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,243	28,511	24,644	33,446	51,123
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,01,302	98,256	1,05,497	1,22,880	1,54,639
<b>भाग - ख. व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>56,457</b>	<b>59,264</b>	<b>62,778</b>	<b>66,682</b>	<b>76,676</b>
राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	27,627	28,370	32,160	32,353	40,140
स्थापना	28,830	30,894	30,618	34,329	36,536
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	18,714	19,903	21,555	23,261	25,590
सामाजिक सेवाएँ	21,448	23,347	24,639	27,640	28,709
आर्थिक सेवाएँ	16,294	16,014	16,583	15,781	22,377
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1	0	0	0	0
11. पूँजीगत परिव्यय	9,879	8,466	9,377	14,016	20,570
राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	9,832	8,401	9,377	14,016	20,282

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्थापना	47	65	0	0	287
सामान्य सेवाएँ	1,239	771	734	873	969
सामाजिक सेवाएँ	1,431	1,492	1,595	5,221	6,614
आर्थिक सेवाएँ	7,209	6,203	7,047	7,922	12,987
<b>12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण</b>	<b>165</b>	<b>3,380</b>	<b>1,463</b>	<b>4,211</b>	<b>4,291</b>
<b>13. कुल व्यय (10+11+12)</b>	<b>66,501</b>	<b>71,109</b>	<b>73,618</b>	<b>84,908</b>	<b>1,01,537</b>
<b>14. लोक ऋण की अदायगी</b>	<b>4,231</b>	<b>2,745</b>	<b>4,247</b>	<b>6,729</b>	<b>6,384</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,058	2,547	4,013	6,473	6,042
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	173	198	234	256	342
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>70,732</b>	<b>73,854</b>	<b>77,865</b>	<b>91,638</b>	<b>1,07,984</b>
17. आकस्मिक निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	27,903	24,146	25,780	6,729	42,602
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	98,635	98,000	1,03,645	98,367	1,50,586
<b>भाग-ग घाटे</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	1,960	-3,114	6,944	13,564	11,252
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	-8,035	-14,911	-2,604	-4,617	-6,332
22. प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (21-23)	-2,727	-9,120	3,682	1,622	507
<b>भाग-घ अन्य आँकड़े</b>					
23. प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्त -प्राथमिक राजस्व व्यय)	7,317	2,725	14,522	19,848	25,368
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	5,308	5,790	6,286	6,238	6,839
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	19,191	20,078	19,630	22,194	30,038
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	16	0	16	0	0
उपभोगित अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	16	0	16	0	0
उपभोगित ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
27. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	4	0	46	0	0
28 (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) <sup>@</sup>	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
28. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) <sup>@</sup>	2,31,755	2,19,483	2,45,856	2,65,121	2,85,070
29. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	94,407	1,09,185	1,13,483	1,18,448	1,27,609
30. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	607	607	607	4,998	4,998

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
31. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	450	607	607	4,998	4,998
32. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	378	374	274	209	168
33. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	3,828	4,669	4,040	3,292	3,137
<b>भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
<b>I संसाधन संग्रहण</b>					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	5.40	5.69	5.66	6.02	6.07
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	7.24	7.69	8.66	9.47	9.82
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	2.82	2.55	2.67	3.07	2.91
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	3.78	3.45	4.08	4.84	4.71
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	6.64	6.64	7.37	7.52	8.10
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	5.31	5.46	4.34	4.11	3.21
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	21.43	23.97	19.57	20.34	22.02
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	28.69	32.40	29.94	32.03	35.62
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	113.84	126.64	105.59	105.81	115.48
राजस्व व्यय/कुल व्यय	84.90	83.34	85.28	78.53	75.52
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	34.44	34.96	35.66	38.70	34.81
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	35.48	35.96	34.02	32.82	39.00
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.86	11.91	12.74	16.51	20.26
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.99	10.82	11.74	15.48	19.30
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	0.63	-1.05	1.85	3.25	2.44
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	0.85	-1.42	2.82	5.12	3.95
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-2.59	-5.03	-0.69	-1.11	-1.37
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	-3.47	-6.79	-1.06	-1.74	-2.22
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-0.88	-3.07	0.98	0.39	0.11
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	-1.18	-4.16	1.50	0.61	0.18
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-24	21	-267	-294	-178

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	2.36	0.92	3.86	4.76	5.50
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	3.16	1.24	5.91	7.49	8.90
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	30.42	36.80	30.17	28.38	27.68
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	40.74	49.75	46.16	44.68	44.76
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	161.61	194.45	162.76	147.61	145.13
ऋण स्थिरीकरण (प्राथमिक शेष + क्वांटम प्रसार)	-7,292.46	-18,931.44	20,886.44	5,312.47	3,604.93
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
निवेश पर आय	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	117.66	112.40	117.97	128.38	134.73
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारी को ऋण एवं अग्रिम	52.51	4.46	31.68	40.55	32.56
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	24.00	22.91	16.27	2.14	27.12
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	89.00	3,352.40	1,415.03	4,168.45	4,231.17
परिसंपत्तियाँ	1,11,869	1,23,935	1,35,335	1,54,624	1,76,243
दायित्व	95,080	1,10,260	1,14,717	1,20,441	1,30,808

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

## परिशिष्ट 2.3

31.03.2024 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2023 को	दायित्व	31.03.2024 को
73,580.43	आंतरिक ऋण	70,658.82
55,812.65	ब्याज सहित बाजार ऋण	53,862.67
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
4,447.39	मुआवजा और अन्य बांड	3,892.05
8,066.85	अन्य संस्थाओं से ऋण	8,420.06
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
5,247.91	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	4,478.43
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00
11,363.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	16,148.68
0.00	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.00
8.80	गैर योजना ऋण	7.09
1,316.17	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	1,178.95
10,038.98	राज्य के लिए अन्य ऋण	14,962.64
500.00	आकस्मिक निधि	500.00
1,016.98	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,557.43
26,955.09	जमा	30,847.92
6,535.66	रक्षित निधि	10,666.62
76.55	अंतरण शेष	48.08
412.70	उचत एवं विविध शेष	380.83
34,182.37	व्यय से अधिक समेकित आधिक्य की प्राप्ति	45,434.45
1,54,623.73	कुल	1,76,242.83
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>		
1,19,410.18	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	1,39,979.87
2,363.84	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	4,023.12
1,17,046.34	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,35,956.75
0.00	अन्तरीज्यीय समायोजन	0.00
28,513.21	ऋण एवं अग्रिम	25,527.35
27,518.55	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	24,515.50
1,030.49	अन्य विकास ऋण	1,059.99
-35.83	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-48.14
17.66	अग्रिम	0.00
0.00	उचत एवं विविध शेष	0.00
6,682.68	नकद	10,735.61
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
91.07	रिजर्व बैंक में जमा	-86.66
1,403.87	जमा निधि का निवेश	2,670.95
38.33	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	37.06
5,149.41	नकद शेष निवेश	8,114.26
0.00	प्रेषण शेष	0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा	0.00
	(i) वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में समेकित घाटा/आधिक्य	
1,54,623.73	कुल	1,76,242.83

## परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए  
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	1,213.58	1,103.04
2.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	493.81	7.14	318.16	182.79
3.	3- भवन निर्माण विभाग	135.74	3.17	97.36	41.55
4.	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	74.30	0.58	41.49	33.39
5.	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	292.44	11.96	174.93	129.47
6.	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	38.83	1.15	33.49	6.49
7.	12- वित्त विभाग	56.72	13.82	43.63	26.91
8.	16- वित्त अंकेक्षण	2.67	0.50	2.15	1.02
9.	17- वाणिज्य कर विभाग	111.18	3.32	91.59	22.91
10.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	1,775.24	1,442.18
11.	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,147.70	637.49	1,127.83	657.36
12.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	4,902.85	1,344.60
13.	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,876.65	88.93	1,474.21	491.37
14.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,819.84	581.85	6,534.50	867.19
15.	23- उद्योग विभाग	461.39	23.36	321.23	163.52
16.	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	896.53	10.98	842.59	64.92
17.	27- विधि विभाग	790.65	266.35	573.47	483.53
18.	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	4.01	1.01	2.23	2.79
19.	32- विधान सभा	143.42	2.63	127.70	18.35
20.	35- योजना एवं विकास विभाग	341.49	11.16	329.38	23.27
21.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	323.24	530.76	277.37	576.63
22.	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	28.35	5.00	23.05	10.30
23.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	1,057.11	1,708.79
24.	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	678.41	55.77	632.69	101.49
25.	41- पथ निर्माण विभाग	556.79	24.48	480.73	100.54

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों की नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
26.	42- ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	4,627.88	4,608.30
27.	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	266.29	62.65	257.11	71.83
28.	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	302.10	6.40	115.71	192.79
29.	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	112.20	0.66	87.12	25.74
30.	47- परिवहन विभाग	180.32	30.05	118.46	91.91
31.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1,598.09	1,256.23	2,794.47
32.	49- जल संसाधन विभाग	384.29	2.27	332.70	53.86
33.	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,231.49	838.40	2,039.14	1,030.75
34.	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	168.93	8.00	136.35	40.58
35.	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	410.74	187.81	292.50	306.05
36.	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,421.67	360.98	453.22	1,329.43
37.	56- पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	1,748.18	914.82
38.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,872.19	16.52	2,567.10	321.61
39.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	7,382.24	1,614.45
40.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,041.64	805.95	6,209.87	1,637.72
<b>कुल</b>		<b>63,908.88</b>	<b>10,852.20</b>	<b>50,122.37</b>	<b>24,638.71</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
41.	5- राज्यपाल का सचिवालय	15.05	1.30	12.32	4.03
42.	14- ऋण की अदायगी	567.00	300.00	567.00	300.00
43.	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	148.22	10.90	149.78	9.34
<b>कुल</b>		<b>730.27</b>	<b>312.20</b>	<b>729.10</b>	<b>313.37</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
44.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	514.00	8.32	472.02	50.30
45.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	20.00	9.25	9.24	20.01
46.	3- भवन निर्माण विभाग	567.00	50.00	485.11	131.89
47.	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	401.00	41.70	379.45	63.25
48.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	60.00	0.83	0.24	60.59
49.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,054.28	528.93	650.78	932.43

क्र. सं.	अनुदानों की नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
50.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	737.07	323.28	603.08	457.27
51.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	3,467.14	1,493.32
52.	41- सड़क निर्माण विभाग	5,300.00	415.00	5,214.11	500.89
53.	42- ग्रामीण विकास विभाग	724.61	1.00	166.42	559.19
54.	47- परिवहन विभाग	88.99	5.00	23.30	70.69
55.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	852.98	6.65	611.61	248.02
56.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	248.45	32.00	22.60	257.85
57.	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	60.10	1.25	58.49	2.86
<b>कुल</b>		<b>14,677.45</b>	<b>2,334.70</b>	<b>12,163.59</b>	<b>4,848.56</b>
<b>कुल योग</b>		<b>79,316.60</b>	<b>13,499.10</b>	<b>63,015.06</b>	<b>29,800.64</b>

**परिशिष्ट 3.2**  
**अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	प्रावधान			प्रत्यर्पण	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग				
1	12	2070-00-800-08- विविध एवं आकस्मिक व्यय	0.00	8.85	(+)1.15	शून्य	10.00	3.05	6.95
2	39	2245-02-101-05- घायल व्यक्ति को मुआवज़ा की अदायगी	0.05	0.00	(+)0.14	शून्य	0.19	0.00	0.19
3		2245-80-102-11- बिजली गिरने से प्रभावित लोगों को सहायता अनुदान	15.00	0.00	(+)3.18	शून्य	18.18	9.55	8.63
4	40	2029-00-104-18- राजकोष में जमा राशि की वापसी	3.00	2.01	(+)0.41	शून्य	5.42	4.83	0.59
5	41	3054-80-001-02- कार्यान्वयन	105.89	0.17	(+)0.40	शून्य	106.46	82.63	23.83
6		3054-80-001-08- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना विंग-कार्य निष्पादन	23.53	0.04	(+)0.07	शून्य	23.64	18.27	5.37
7	56	3451-00-090-17- पंचायती राज एन.आर.ई.पी.	2.14	0.13	(+)0.01	शून्य	2.28	2.11	0.17
<b>कुल</b>			<b>149.61</b>	<b>11.20</b>	<b>(+)5.36</b>	<b>शून्य</b>	<b>166.17</b>	<b>120.44</b>	<b>45.73</b>

## परिशिष्ट 3.3

वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04	728.20
2	2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	493.81	7.14	500.95	318.16	182.79	113.73
3	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	292.44	11.96	304.40	174.93	129.47	119.56
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.23	1,442.19	1,093.03
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,147.70	637.49	1,785.19	1,127.83	657.36	584.09
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	947.83
7	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,876.65	88.93	1,965.58	1,474.21	491.37	419.30
8	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,819.84	581.85	7,401.69	6,534.50	867.19	272.97
9	23- उद्योग विभाग	461.40	23.35	484.75	321.23	163.52	22.46
10	27- विधि विभाग	790.66	266.35	1,057.01	573.47	483.54	0.00
11	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	323.24	530.76	854.00	277.37	576.63	572.73
12	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	2,765.90	1,057.11	1,708.79	1.74
13	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	678.41	55.77	734.18	632.69	101.49	5.50
14	41- पथ निर्माण विभाग	556.79	24.48	581.27	480.73	100.54	0.00
15	42- ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30	4,555.87

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
16	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	302.10	6.40	308.50	115.70	192.80	192.80
17	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	2729.69
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,231.49	838.40	3,069.89	2,039.14	1,030.75	0.00
19	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	410.74	187.81	598.55	292.50	306.05	306.39
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,421.67	360.98	1,782.65	453.22	1,329.43	1,313.57
21	56- पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82	38.61
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,872.19	16.53	2,888.72	2,567.10	321.62	0.00
23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	8,996.69	7,382.24	1,614.45	0.00
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,041.64	805.95	7,847.59	6,209.87	1,637.72	1,239.07
<b>कुल</b>		<b>60,963.63</b>	<b>10,695.25</b>	<b>71,658.88</b>	<b>47,555.95</b>	<b>24,102.93</b>	<b>15,257.14</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>							
25	13- ब्याज अदायगी	6,787.09	954.81	7,741.90	6,838.95	902.95	0.00
26	14- ऋण की अदायगी	567.00	300.00	867.00	567.00	300.00	0.00
<b>कुल</b>		<b>7,354.09</b>	<b>1,254.81</b>	<b>8,608.90</b>	<b>7,405.95</b>	<b>1,202.95</b>	<b>0.00</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>							
27	3- भवन निर्माण विभाग	567.00	50.00	617.00	485.11	131.89	0.00
28	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	170.02	0.00	170.02	29.46	140.56	140.56
29	10- ऊर्जा विभाग	4,141.02	1,801.31	5,942.33	5,833.53	108.80	108.80
30	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,054.28	528.93	1,583.21	650.78	932.43	926.06

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
31	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	737.07	323.28	1,060.35	603.08	457.27	221.90
32	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	316.87	151.00	467.87	331.71	136.16	0.00
33	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32	1,478.25
34	41- पथ निर्माण विभाग	5,300.00	415.00	5,715.00	5,214.11	500.89	403.62
35	42 - ग्रामीण विकास विभाग	724.61	1.00	725.61	166.42	559.19	558.61
36	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	852.98	6.65	859.63	611.61	248.02	247.94
37	49- जल संसाधन विभाग	1,249.55	250.00	1,499.55	1,284.08	215.47	208.60
38	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	459.27	234.76	694.03	546.02	148.01	0.00
39	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2,871.90	1,146.5	4,018.40	3,348.73	669.67	619.68
40	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	788.19	0.00	788.19	504.60	283.59	0.00
<b>कुल</b>		<b>23,281.73</b>	<b>5,819.92</b>	<b>29,101.65</b>	<b>23,076.38</b>	<b>6,025.27</b>	<b>4,914.02</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>							
41	14- ऋण की अदायगी	6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.90	179.46
<b>कुल</b>		<b>6,325.43</b>	<b>305.47</b>	<b>6,630.90</b>	<b>6,384.01</b>	<b>246.90</b>	<b>179.46</b>
<b>कुल योग</b>		<b>97,924.88</b>	<b>18,075.45</b>	<b>1,16,000.33</b>	<b>84,422.29</b>	<b>31,578.05</b>	<b>20,350.62</b>

**परिशिष्ट 3.4**

**वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)**

**(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04	728.20
2	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.23	1,442.19	1,093.03
3	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,147.70	637.49	1,785.19	1,127.83	657.36	584.09
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	947.83
5	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,819.84	581.85	7,401.69	6,534.50	867.19	272.97
6	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	323.24	530.76	854.00	277.37	576.63	572.73
7	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	2,765.90	1,057.11	1,709.79	1.74
8	42 - ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30	4,555.87
9	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	2,729.69
10	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,231.49	838.40	3,069.89	2,039.14	1,030.75	0.00
11	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,421.67	360.98	1,782.65	453.22	1,329.43	1,313.57
12	56- पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82	38.61

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
13	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	8,996.69	7,382.24	1,614.45	0.00
14	60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,041.64	805.95	7,847.59	6,209.87	1,637.72	1,239.07
<b>कुल</b>		<b>52,228.44</b>	<b>10,006.53</b>	<b>62,234.97</b>	<b>40,605.23</b>	<b>21,630.74</b>	<b>14,077.40</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>							
15	13-ब्याज अदायगी	6,787.09	954.81	7,741.90	6,838.95	902.95	0.00
<b>कुल</b>		<b>6,787.09</b>	<b>954.81</b>	<b>7,741.90</b>	<b>6,838.95</b>	<b>902.95</b>	<b>0.00</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत्त)</b>							
16	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,054.28	528.93	1583.21	650.78	932.43	926.06
17	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32	1,478.25
18	41- सड़क निर्माण विभाग	5,300.00	415.00	5,715.00	5,214.11	500.89	403.62
19	42 - ग्रामीण विकास विभाग	724.61	1.00	725.61	166.42	559.19	558.61
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2,871.90	1,146.50	4,018.40	3,348.73	669.67	619.68
<b>कुल</b>		<b>13,999.76</b>	<b>3,002.92</b>	<b>17,002.68</b>	<b>12,847.18</b>	<b>4,155.50</b>	<b>3,986.22</b>
<b>कुल योग</b>		<b>73,015.29</b>	<b>13,964.26</b>	<b>86,979.55</b>	<b>60,291.36</b>	<b>26,689.19</b>	<b>18,063.62</b>

## परिशिष्ट 3.5

मार्च 2024 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की प्रत्यर्पित राशि

(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रत्यर्पित राशि
<b>राजस्व</b>							
1	1	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04	728.20
2	2	493.81	7.14	500.95	318.16	182.79	113.73
3	8	74.30	0.58	74.88	41.49	33.39	30.89
4	9	292.44	11.96	304.40	174.93	129.47	119.56
5	10	3,628.08	6,065.07	9,693.15	9,641.70	51.45	45.23
6	18	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.24	1,442.18	1,093.03
7	19	1,147.71	637.49	1,785.20	1,127.83	657.37	584.09
8	20	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	947.83
9	21	1,876.65	88.93	1,965.58	1,474.21	491.37	419.30
10	22	6,819.84	581.85	7,401.69	6,534.50	867.19	272.97
11	23	461.40	23.36	484.76	321.23	163.53	22.46
12	26	896.53	10.98	907.51	842.59	64.92	41.22
13	29	69.36	0.27	69.63	37.97	31.66	11.07
14	32	143.42	2.63	146.05	127.70	18.35	18.34
15	34	37.67	0.00	37.67	17.76	19.91	19.91
16	36	323.24	530.76	854.00	277.37	576.63	572.73
17	42	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30	4,555.87
18	43	266.29	62.65	328.94	257.11	71.83	40.20
19	45	302.10	6.40	308.50	115.70	192.80	192.80
20	46	112.20	0.66	112.86	87.12	25.74	10.28
21	47	180.32	30.05	210.37	118.46	91.91	30.00
22	48	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	2,729.69
23	49	384.29	2.27	386.56	332.70	53.86	18.51
24	52	134.91	50.89	185.80	145.08	40.72	22.79
25	53	168.93	8.00	176.93	136.35	40.58	22.41
26	54	410.74	187.81	598.55	292.50	306.05	306.39
27	55	1,421.67	360.98	1,782.65	453.22	1,329.43	1,313.57
28	56	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82	38.61
29	60	7,041.64	805.95	7,847.59	6,209.87	1,637.72	1,239.07
<b>कुल</b>		<b>49,510.11</b>	<b>14,385.48</b>	<b>63,895.59</b>	<b>44,609.51</b>	<b>19,286.08</b>	<b>15,560.75</b>
<b>पूँजीगत</b>							
30	8	170.02	0.00	170.02	29.46	140.56	140.56
31	9	401.00	41.70	442.70	379.45	63.25	63.16
32	10	4,141.02	1,801.31	5,942.33	5,833.53	108.80	108.80
33	14	6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.89	179.46
34	18	60.00	0.83	60.83	0.24	60.59	39.76
35	20	1,054.28	528.94	1,583.22	650.79	932.43	926.06
36	22	737.07	323.28	1,060.35	603.08	457.27	221.90

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रत्यर्पित राशि
37	26	89.32	0.00	89.32	9.05	80.27	80.19
38	36	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32	1,478.25
39	40	32.00	0.00	32.00	14.50	17.50	17.50
40	41	5,300.00	415.00	5,715.00	5,214.11	500.89	403.62
41	42	724.61	1.00	725.61	166.42	559.19	558.61
42	43	211.60	0.00	211.60	135.14	76.46	76.46
43	47	88.99	5.00	93.99	23.30	70.69	50.00
44	48	852.98	6.65	859.63	611.61	248.02	247.94
45	49	1,249.55	250.00	1,499.55	1,284.08	215.47	208.60
46	50	248.45	32.00	280.45	222.60	57.85	47.04
47	53	33.87	0.00	33.87	14.98	18.89	12.12
48	55	2,871.90	1,146.50	4,018.40	3,348.73	669.67	619.68
49	60	130.03	32.98	163.01	131.43	31.58	27.13
कुल		28,771.09	5,802.15	34,573.24	28,523.65	6,049.59	5,506.84
कुल योग		78,281.20	20,187.63	98,468.83	73,133.16	25,335.67	21,067.59

## परिशिष्ट 3.6

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन  
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)

वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विनियोजन/ विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज भुगतान	144.95
2021-22	13	ब्याज भुगतान	98.89
2021-22	15	पेंशन	189.97
2022-23	14	ऋण की अदायगी	15.92
<b>कुल</b>			<b>3,778.41</b>

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

\*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था

## परिशिष्ट 3.7

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था  
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1		2401-00-102-AO (सी.एस.)	1.80	
2		2401-00-102-AO (एस. एस.)	1.20	
3		2401-00-102-BI (एस. एस.)	90.00	
4		2401-00-102-BW (एस. एस.)	1.20	
5		2401-00-102-BX (एस. एस.)	3.00	
6		2401-00-102-C7 (एस. एस.)	15.00	
7		2401-00-102-C8 (एस. एस.)	9.69	
8		2401-00-109-28 (सी.एस.)	18.00	
9		2401-00-109-28 (एस. एस.)	12.00	
10		2401-00-113-AT (सी.एस.)	13.40	
11		2401-00-113-AT (एस. एस.)	8.93	
12		2401-00-131-C6 (एस. एस.)	1.50	
13		2401-00-195-B3 (एस. एस.)	7.50	
14		2401-00-789-28 (सी.एस.)	6.00	
15		2401-00-789-28 (एस. एस.)	4.00	
16		2401-00-789-AT (सी.एस.)	4.47	
17	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	2401-00-789-AT (एस. एस.)	2.98	
18	(कृषि प्रभाग)	2401-00-789-B3 (एस. एस.)	2.50	
19		2401-00-789-C8 (एस. एस.)	3.23	
20		2401-00-789-BX (एस. एस.)	1.00	
21		2401-00-789-C7 (एस. एस.)	5.00	
22		2401-00-796-28 (सी.एस.)	36.00	
23		2401-00-796-28 (एस. एस.)	24.00	
24		2401-00-796-AO (सी.एस.)	3.60	
25		2401-00-796-AO (एस. एस.)	2.40	
26		2401-00-796-AT (सी.एस.)	26.80	
27		2401-00-796-AT (एस. एस.)	17.87	
28		2401-00-796-BI (एस. एस.)	180.00	
29		2401-00-796-BW (एस. एस.)	2.40	
30		2401-00-796-BX (एस. एस.)	6.00	
31		2401-00-796-C6 (एस. एस.)	3.00	
32		2401-00-796-C7 (एस. एस.)	30.00	
33		2401-00-796-C8 (एस. एस.)	19.38	
34		4401-00-789-12 (एस. एस.)	1.40	
35	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	2403-00-101-27 (सी.एस.)	13.80	
36	(पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-27 (एस. एस.)	9.20	
37		2403-00-101-A5 (एस. एस.)	1.50	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
38		2403-00-101-AG (सी.एस.)	3.30	
39		2403-00-101-AG (एस. एस.)	2.20	
40		2403-00-102-33 (एस. एस.)	1.00	
41		2403-00-103-97 (एस. एस.)	2.40	
42		2403-00-789-27 (सी.एस.)	8.40	
43		2403-00-789-27 (एस. एस.)	5.60	
44		2403-00-789-97 (सी.एस.)	2.40	
45		2403-00-789-97 (एस. एस.)	1.60	
46		2403-00-789-AG (सी.एस.)	1.80	
47		2403-00-789-AG (एस. एस.)	1.20	
48		2403-00-796-27 (सी.एस.)	5.40	
49		2403-00-796-27 (एस. एस.)	3.60	
50		2403-00-796-A5 (एस. एस.)	1.50	
51		2403-00-796-AA (एस. एस.)	6.00	
52		4403-00-109-23 (एस. एस.)	1.00	
53		4403-00-796-28 (एस. एस.)	1.00	
54	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39 (सी.एस.)	50.00	
55		4059-01-796-39 (एस. एस.)	33.00	
56	8-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	3053-80-796-07 (एस. एस.)	5.00	
57		5053-02-102-11 (एस. एस.)	1.00	
58		5053-02-796-01 (एस. एस.)	25.00	
59		5053-02-796-10 (एस. एस.)	80.00	
60	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-107-27 (एस. एस.)	15.00	
61		2425-00-108-60 (एस. एस.)	1.50	3.15
62		2425-00-108-75 (सी.एस.)	4.50	
63		2425-00-108-75 (एस. एस.)	3.00	
64		2425-00-789-27 (एस. एस.)	10.00	
65		2425-00-789-60 (एस. एस.)	1.00	2.10
66		2425-00-789-75 (सी.एस.)	3.00	
67		2425-00-789-75 (एस. एस.)	2.00	
68		2425-00-796-10 (एस. एस.)	0.00	1.50
69		2425-00-796-27 (एस. एस.)	25.00	
70		2425-00-796-60 (एस. एस.)	2.50	5.25
71	2425-00-796-75 (सी.एस.)	7.50		
72	2425-00-796-75 (एस. एस.)	5.00		
73	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-052-11 (एस. एस.)	0.56	14.47
74		2801-06-789-11 (एस. एस.)	0.11	2.80
75		2801-06-796-11 (एस. एस.)	0.23	6.07
76		2801-80-101-02 (स्थापना व्यय)	5.73	
77		6801-00-190-49 (एस. एस.)	25.00	
78	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-039-01 (एस. एस.)	2.00	
79	12-वित्त विभाग	2075-00-791-02 (स्थापना व्यय)	5.50	
80		4070-00-003-86 (एस. एस.)	3.20	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
81		7610-00-201-02 (स्थापना व्यय)	5.00	
82		7610-00-202-02 (स्थापना व्यय)	1.00	
83		7610-00-202-04 (स्थापना व्यय)	6.00	
84	13-ब्याज संदाय	2049-01-115-01 (स्थापना व्यय)	5.00	
85		2049-60-701-01 (स्थापना व्यय)	1.00	
86	14-ऋण की अदायगी	6003-00-101-92 (स्थापना व्यय)	300.00	
87		6003-00-101-95 (स्थापना व्यय)	500.00	
88		6003-00-101-96 (स्थापना व्यय)	450.00	
89		6003-00-101-97 (स्थापना व्यय)	700.00	
90		6003-00-101-98 (स्थापना व्यय)	500.00	
91	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-73 (एस. एस.)	1.23	
92		3456-00-102-80 (एस. एस.)	70.00	
93		3456-00-789-76 (एस. एस.)	1.00	
94		3456-00-789-80 (एस. एस.)	26.00	
95		3456-00-796-43 (एस. एस.)	1.00	
96		3456-00-796-80 (एस. एस.)	104.00	
97		4408-02-101-01 (एस. एस.)	21.00	
98		4408-02-789-01 (एस. एस.)	9.00	
99	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-72 (एस. एस.)	4.00	
100		2406-02-110-03 (सी.एस.)	2.40	
101		2406-02-110-03 (एस. एस.)	1.60	
102		2406-02-110-08 (सी.एस.)	2.40	
103		2406-02-110-08 (एस. एस.)	1.60	
104		2406-02-110-21 (सी.एस.)	2.00	
105		2406-02-110-21 (एस. एस.)	2.00	
106	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-92 (एस. एस.)	7.40	
107		2210-01-001-93 (एस. एस.)	11.10	
108		2210-01-001-97 (एस. एस.)	18.50	
109		2210-01-001-99 (एस. एस.)	11.10	
110		2210-01-001-A5 (एस. एस.)	11.10	
111		2210-01-001-A6 (एस. एस.)	7.40	
112		2210-01-796-64 (एस. एस.)	3.90	
113		2210-01-796-92 (एस. एस.)	2.60	
114		2210-01-796-93 (एस. एस.)	3.90	
115		2210-01-796-95 (एस. एस.)	7.80	
116		2210-01-796-96 (एस. एस.)	9.10	
117		2210-01-796-97 (एस. एस.)	6.50	
118		2210-01-796-99 (एस. एस.)	3.90	
119		2210-01-796-A5 (एस. एस.)	3.90	
120		2210-01-796-A6 (एस. एस.)	2.60	
121		2210-05-105-40 (सी.एस.)	0.00	6.00
122		2010-05-105-40 (एस. एस.)	0.00	4.00
123		2210-05-796-40 (सी.एस.)	0.00	6.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
124		2210-05-796-40 (एस. एस.)	0.00	2.67
125		4210-01-109-51 (एस. एस.)	13.32	
126		4210-01-110-31 (एस. एस.)	10.00	
127		4210-01-110-49 (सी.एस.)	25.92	
128		4210-01-110-49 (एस. एस.)	17.05	
129		4210-01-200-47- (एस. एस.)	7.40	
130		4210-01-789-49 (सी.एस.)	5.02	
131		4210-01-789-49 (एस. एस.)	3.30	
132		4210-01-796-49 (सी.एस.)	10.87	
133		4210-01-796-49 (एस. एस.)	7.15	
134		2202-03-101-BM (एस. एस.)	15.00	
135		2202-03-102-BR (एस. एस.)	2.50	
136	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-796-79 (सी.एस.)	3.75	4.35
137		2202-03-796-BQ (एस. एस.)	9.99	
138		2202-03-796-BR (एस. एस.)	2.50	
139		2070-00-107-18 (स्थापना व्यय)		1.18
140		4055-00-207-45 (एस. एस.)	7.91	
141		4055-00-207-80 (सी. एस. एस.)	2.69	
142		4055-00-207-81 (सी. एस. एस.)	2.00	
143	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-82 (सी. एस. एस.)	3.33	
144		4055-00-796-83 (एस. एस.)	22.00	
145		4070-00-796-63 (सी.एस.)	1.84	
146		4070-00-796-77 (एस. एस.)	15.00	
147		4070-00-796-83 (एस. एस.)	2.36	
148		4070-00-800-65 (एस. एस.)	2.44	
149		2852-80-102-10 (एस. एस.)	10.00	30.00
150		2852-80-102-93 (एस. एस.)	2.00	
151		2852-80-102-95 (एस. एस.)	3.00	
152	23- उद्योग विभाग	2852-80-796-10 (एस. एस.)	25.00	
153		2852-80-796-93 (एस. एस.)	8.00	
154		2852-80-796-95 (एस. एस.)	3.00	
155		4885-60-190-01 (एस. एस.)	13.00	
156	24- सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-01-796-03 (एस. एस.)	1.00	
157		2230-02-101-36 (सी.एस.)	2.10	
158		2230-02-796-36 (सी.एस.)	2.06	
159		2230-03-796-26 (एस. एस.)	1.10	
160	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	4059-01-796-55 (एस. एस.)	10.25	
161		4250-00-203-04 (सी.एस.)	7.24	
162		4250-00-203-04 (एस. एस.)	2.41	
163		4250-00-789-01 (एस. एस.)	15.00	
164		4250-00-796-04 (सी.एस.)	9.53	
165		4250-00-796-04 (एस. एस.)	3.18	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
166	27-विधि विभाग	2014-00-103-01 (सी.एस.)	0.00	12.78
167		2014-00-103-01 (एस. एस.)	0.00	8.52
168	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	2225-04-277-02 (एस. एस.)	1.00	
169		2225-04-796-02 (एस. एस.)	1.00	
170		4225-04-277-01 (एस. एस.)	1.00	
171		4225-04-796-01 (एस. एस.)	1.00	
172		4225-80-277-12 (सी.एस.)	10.00	
173		4225-80-277-12 (एस. एस.)	6.00	
174		4225-80-277-23 (एस. एस.)	24.00	
175		4225-80-796-12 (सी.एस.)	20.00	
176		4225-80-796-12 (एस. एस.)	14.00	
177		4225-80-796-21 (सी.एस.)	1.00	
178	4225-80-796-23 (एस. एस.)	48.00		
179	35- योजना एवं विकास विभाग	3454-02-796-16 (एस. एस.)	1.00	
180	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-10 (सी.एस.)	481.33	
181		4215-01-789-10 (सी.एस.)	164.84	
182		4215-01-796-10 (सी.एस.)	302.83	
183	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02 (एस. एस.)	1.00	
184	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2235-01-001-02 (एस. एस.)	8.40	8.41
185		2245-01-101-02 (एस. एस.)	3.00	
186		2245-01-101-06 (एस. एस.)	5.00	
187		2245-01-101-07 (एस. एस.)	100.00	
188		2245-01-102-02 (एस. एस.)	10.00	
189		2245-01-102-04 (एस. एस.)	1.00	
190		2245-01-104-01 (एस. एस.)	1.00	
191		2245-02-101-02 (एस. एस.)	20.00	
192		2245-02-102-02 (एस. एस.)	1.00	
193		2245-02-104-01 (एस. एस.)	1.00	
194		2245-02-106-01 (एस. एस.)	2.00	
195		2245-02-107-01 (एस. एस.)	1.00	
196		2245-02-109-02 (एस. एस.)	1.00	
197		2245-02-112-01 (एस. एस.)	1.00	
198		2245-08-796-01 (सी.एस.)	0.00	113.60
199		2245-08-796-01 (एस. एस.)	0.00	37.80
200	2245-80-001-22 (सी.एस.)	1.60		
201	2245-80-102-02 (एस. एस.)	20.00		
202	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-03 (एस. एस.)	1.25	
203		3454-01-001-01 (सी.एस.)	1.00	
204		3454-01-101-05 (सी.एस.)	1.00	
205	41- पथ निर्माण विभाग	2075-00-791-01 (स्थापना व्यय)	5.00	
206		5054-03-052-06 (एस. एस.)	1.75	
207		5054-03-337-08 (एस. एस.)	50.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
208		5054-03-796-06 (एस. एस.)	1.87	
209		5054-03-796-08 (एस. एस.)	50.00	
210	42- ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-101-08 (एस. एस.)	2.94	
211		2505-02-101-11 (एस. एस.)	5.00	
212		2505-02-101-13 (सी.एस.)	1.00	
213		2505-02-796-08 (एस. एस.)	2.16	
214		2515-00-789-48 (सी.एस.)	1.00	
215		2515-00-796-17 (एस. एस.)	1.13	
216		4515-00-789-40 (एस. एस.)	49.20	
217		4515-00-796-49 (एस. एस.)	1.00	
218		43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	4202-02-105-76 (सी.एस.)	51.60
219	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नन्स विभाग	2203-00-001-89 (एस. एस.)	3.00	
220		2203-00-001-AL (एस. एस.)	0.01	3.85
221		2203-00-796-85 (एस. एस.)	2.00	
222		2203-00-796-89 (एस. एस.)	3.00	
223		2203-00-796-92 (एस. एस.)	15.80	
224		2203-00-796-A३ (एस. एस.)	0.01	2.57
225		4202-02-105-70 (एस. एस.)	1.00	
226		4202-02-105-79 (एस. एस.)	1.00	
227		47- परिवहन विभाग	3055-00-101-05 (एस. एस.)	6.00
228	3055-00-796-02 (एस. एस.)		5.00	
229	3055-00-796-05 (एस. एस.)		9.00	
230	3075-60-101-07 (एस. एस.)		2.00	
231	3075-60-101-08 (एस. एस.)		10.00	
232	3075-60-796-07 (एस. एस.)		3.00	
233	3075-60-796-08 (एस. एस.)		15.00	
234	5055-00-190-12 (एस. एस.)		0.40	2.00
235	5055-00-190-23 (एस. एस.)		10.00	
236	5055-00-190-29 (एस. एस.)		6.00	
237	5055-00-796-12 (एस. एस.)		0.60	3.00
238	5055-00-796-19 (एस. एस.)		10.00	
239	5055-00-796-23 (एस. एस.)		15.00	
240	5055-00-796-25 (एस. एस.)		1.00	
241	5055-00-796-29 (एस. एस.)		9.00	
242	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)		2217-80-191-73 (सी.एस.)	20.00
243		2217-80-191-76 (एस. एस.)	120.00	
244		2217-80-191-A5 (सी.एस.)	10.00	
245		2217-80-191-A5 (एस. एस.)	5.00	
246		2217-80-191-A7 (सी.एस.)	0.00	4.80
247		2217-80-191-A7 (एस. एस.)	0.00	3.20
248		2217-80-191-A8 (सी.एस.)	0.00	8.40
249		2217-80-191-A8 (एस. एस.)	0.00	5.60

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
250		2217-80-191-AA (सी.एस.)	0.00	2.00
251		2217-80-191-AA (एस. एस.)	0.00	2.00
252		2217-80-191-AB (सी.एस.)	0.00	22.80
253		2217-80-191-AB (एस. एस.)	0.00	21.20
254		2217-80-191-AC (सी.एस.)	0.00	397.64
255		2217-80-191-AC (एस. एस.)	0.00	240.00
256		2217-80-191-AE (सी.एस.)	0.00	6.00
257		2217-80-789-60 (सी.एस.)	10.00	
258		2217-80-789-60 (एस. एस.)	4.00	
259		2217-80-789-99 (सी.एस.)	135.00	
260		2217-80-789-A5 (सी.एस.)	5.00	
261		2217-80-789-A5 (एस. एस.)	5.00	
262		2217-80-796-60 (सी.एस.)	19.00	
263		2217-80-796-60 (एस. एस.)	8.00	
264		2217-80-796-73 (सी.एस.)	18.00	
265		2217-80-796-76 (एस. एस.)	80.00	
266		2217-80-796-A1 (एस. एस.)	2.50	
267		2217-80-796-A5 (सी.एस.)	5.00	
268		2217-80-796-A5 (एस. एस.)	20.00	
269		2217-80-796-A7 (सी.एस.)	0.00	4.80
270		2217-80-796-A7 (एस. एस.)	0.00	3.20
271		2217-80-796-A8 (सी.एस.)	0.00	8.40
272		2217-80-796-A8 (एस. एस.)	0.00	5.60
273		2217-80-796-AA (सी.एस.)	0.00	2.00
274		2217-80-796-AA (एस. एस.)	0.00	2.00
275		2217-80-796-AB (सी.एस.)	0.00	18.80
276		2217-80-796-AB (एस. एस.)	0.00	17.20
277		2217-80-796-AC (सी.एस.)	0.00	276.06
278		2217-80-796-AC (एस. एस.)	0.00	160.00
279		2217-80-796-AE (सी.एस.)	0.00	4.00
280		4217-60-789-53 (एस. एस.)	5.00	
281		4217-60-796-50 (एस. एस.)	135.00	
282		4217-60-796-54 (एस. एस.)	50.00	
283		4700-80-796-11 (एस. एस.)	1.00	
284	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12 (सी.एस.)	63.55	
285		4700-80-796-12 (एस. एस.)	15.85	
286		2702-01-796-02 (एस. एस.)	2.00	
287	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-37 (सी.एस.)	3.00	
288		4702-00-796-25 (एस. एस.)	1.00	
289		4702-00-796-37 (सी.एस.)	2.00	
290	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,	2225-01-789-10 (सी.एस.)	2.00	
291	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-01-789-10 (एस. एस.)	2.00	
292	विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित	2225-01-789-AO (सी.एस.)	30.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
293	जाति, एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-A2 (एस. एस.)	4.00	
294		2225-01-789-A3 (सी.एस.)	16.50	
295		2225-01-789-A4 (सी.एस.)	45.00	
296		2225-02-277-01 (सी.एस.)	5.00	
297		2225-02-277-98 (एस. एस.)	2.00	
298		2225-02-277-A3 (सी.एस.)	10.00	
299		2225-02-277-A8 (एस. एस.)	4.00	
300		2225-02-277-AE (एस. एस.)	2.00	
301		2225-02-277-AH (एस. एस.)	2.00	
302		2225-02-796-01 (सी.एस.)	77.00	
303		2225-02-796-A3 (सी.एस.)	80.80	
304		2225-02-796-A7 (सी.एस.)	1.00	
305		2225-02-796-AE (एस. एस.)	10.00	
306		2225-02-796-AH (एस. एस.)	8.00	
307		2225-03-277-93 (एस. एस.)	1.50	
308		4225-01-789-22 (एस. एस.)	4.00	
309		4225-01-789-23 (एस. एस.)	4.00	
310		4225-02-277-43 (एस. एस.)	1.00	
311		4225-02-277-49 (एस. एस.)	30.00	
312		4225-02-277-50 (एस. एस.)	2.00	
313	4225-02-796-43 (एस. एस.)	4.00		
314	4225-02-796-48 (एस. एस.)	1.30		
315	4225-02-796-49 (एस. एस.)	30.00		
316	4225-02-796-50 (सी.एस.)	10.00		
317	4225-03-277-08 (एस. एस.)	1.50		
318	4225-03-277-09 (एस. एस.)	1.50		
319	4225-03-796-09 (एस. एस.)	1.50		
320	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-102-05 (एस. एस.)	1.10	
321	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-101-77 (सी.एस.)	4.80	
322		4405-00-101-77 (एस. एस.)	3.20	
323		4405-00-796-77 (सी.एस.)	4.80	
324		4405-00-796-77 (एस. एस.)	3.20	
325	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74 (सी.एस.)	1.32	
326		2404-00-102-76 (सी.एस.)	1.00	
327		2404-00-102-76 (एस. एस.)	1.00	
328	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2515-00-001-85 (एस. एस.)	4.00	
329		2515-00-001-88 (एस. एस.)	0.00	1.50
330		2515-00-102-81 (एस. एस.)	5.00	
331		2515-00-789-81 (एस. एस.)	1.00	
332		2515-00-789-83 (एस. एस.)	80.00	
333		2515-00-796-81 (एस. एस.)	5.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय	
334		2515-00-796-85 (एस. एस.)	4.00		
335		2515-00-796-88 (एस. एस.)	0.00	1.50	
336		4515-00-103-18 (एस. एस.)	1.00		
337		4515-00-103-48 (एस. एस.)	0.00	1.50	
338		4515-00-796-18 (एस. एस.)	1.00		
339		4515-00-796-48 (एस. एस.)	0.00	1.50	
340		2515-00-001-42 (एस. एस.)	3.00		
341		2515-00-001-74 (एस. एस.)	1.00		
342		2515-00-001-75 (एस. एस.)	7.00		
343	56- पंचायती राज विभाग	2515-00-789-42 (एस. एस.)	2.00		
344		2515-00-789-75 (एस. एस.)	5.00		
345		2515-00-796-42 (एस. एस.)	5.00		
346		2515-00-796-74 (एस. एस.)	2.00		
347		2515-00-796-75 (एस. एस.)	13.00		
348			2202-02-109-81 (एस. एस.)	3.00	
349			2202-02-789-73 (एस. एस.)	32.50	
350		2202-05-200-05 (सी.एस.)	2.10		
351	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-05-200-05 (एस. एस.)	1.40		
352		2202-05-796-05 (सी.एस.)	1.40		
353		4202-01-202-51 (एस. एस.)	17.50		
354		4202-01-789-51 (एस. एस.)	5.95		
355		4202-01-789-54 (एस. एस.)	43.50		
356		4202-01-796-51 (एस. एस.)	11.55		
357			2202-01-101-63 (एस. एस.)	5.70	
358		2202-01-105-61 (सी.एस.)	3.42		
359		2202-01-105-61 (एस. एस.)	2.28		
360		2202-01-112-72 (सी.एस.)	0.00	16.27	
361	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-789-63 (एस. एस.)	1.50		
362		2202-01-789-72 (सी.एस.)	0.00	4.28	
363		2202-01-796-61 (सी.एस.)	1.68		
364		2202-01-796-61 (एस. एस.)	1.12		
365		2202-01-796-63 (एस. एस.)	2.80		
366		2202-01-796-72 (सी.एस.)	0.00	7.99	
367			2235-02-102-47 (सी.एस.)	1.61	
368		2235-02-102-47 (एस. एस.)	1.08		
369		2235-02-102-48 (सी.एस.)	3.33		
370		2235-02-102-48 (एस. एस.)	2.22		
371	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-53 (सी.एस.)	1.55		
372		2235-02-102-53 (एस. एस.)	1.03		
373		2235-02-102-B6 (सी.एस.)	10.18		
374		2235-02-102-B6 (एस. एस.)	30.54		
375		2235-02-102-BC (सी.एस.)	0.00	6.11	
376		2235-02-102-BC (एस. एस.)	0.00	4.07	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
377		2235-02-102-BE (सी.एस.)	0.00	2.95
378		2235-02-103-85 (सी.एस.)	14.40	
379		2235-02-103-85 (एस. एस.)	9.60	
380		2235-02-103-AH (सी.एस.)	1.22	
381		2235-02-103-B5 (सी.एस.)	0.00	24.00
382		2235-02-103-B5 (एस. एस.)	16.00	
383		2235-02-103-BB (एस. एस.)	91.00	
384		2235-02-106-A4 (एस. एस.)	2.88	
385		2235-02-789-B5 (सी.एस.)	0.00	4.80
386		2235-02-789-B5 (एस. एस.)	3.20	
387		2235-02-796-47 (सी.एस.)	1.75	
388		2235-02-796-47 (एस. एस.)	1.16	
389		2235-02-796-48 (सी.एस.)	3.59	
390		2235-02-796-48 (एस. एस.)	2.39	
391		2235-02-796-53 (सी.एस.)	1.67	
392		2235-02-796-53 (एस. एस.)	1.12	
393		2235-02-796-85 (सी.एस.)	15.60	
394		2235-02-796-85 (एस. एस.)	10.40	
395		2235-02-796-AH (सी.एस.)	1.67	
396		2235-02-796-AH (एस. एस.)	1.11	
397		2235-02-796-AP (एस. एस.)	1.90	
398		2235-02-796-AV (सी.एस.)	1.00	
399		2235-02-796-B5 (सी.एस.)	0.00	26.40
400		2235-02-796-B5 (एस. एस.)	17.60	
401		2235-02-796-B6 (सी.एस.)	10.57	
402		2235-02-796-B6 (एस. एस.)	31.71	
403		2235-02-796-BB (एस. एस.)	99.00	
404		2235-02-796-BC (सी.एस.)	0.00	6.61
405		2235-02-796-BC (एस. एस.)	0.00	4.41
406		2235-02-796-BE (सी.एस.)	0.00	3.20
407		4235-02-106-74 (एस. एस.)	2.40	
408		4235-02-796-78 (सी.एस.)	23.99	
<b>कुल</b>			<b>7,557.23</b>	<b>1,598.59</b>

**परिशिष्ट 3.8**  
**व्यय का वेग**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.4)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4 <sup>थी</sup> तिमाही का योग	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च के व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	4 <sup>थी</sup> तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	3055	0.28	0.28	0.28	100.00	100.00
2	4851	162.92	162.92	162.92	100.00	100.00
3	4853	0.50	0.50	0.50	100.00	100.00
4	2062	0.95	1.08	1.08	87.80	100.00
5	4250	4.30	5.42	5.42	79.36	100.00
7	5053	26.36	29.18	29.46	89.48	99.05
8	4405	7.35	14.56	14.92	49.24	97.57
9	4406	31.85	31.85	32.72	97.34	97.34
10	4402	361.46	443.30	458.84	78.78	96.61
11	4425	15.03	364.47	379.45	3.96	96.05
12	4401	7.16	7.93	8.50	84.26	93.23
13	4403	7.94	8.43	9.24	85.99	91.29
14	2216	43.51	47.88	53.04	82.02	90.26
15	2404	27.45	256.37	292.20	9.39	87.74
16	2406	606.94	748.13	913.15	66.47	81.93
17	2401	318.71	584.04	753.53	42.30	77.51
18	4235	101.16	101.16	131.43	76.97	76.97
19	4225	538.84	646.75	877.73	61.39	73.68
20	3452	34.16	61.98	84.15	40.59	73.66
21	5055	9.32	13.02	18.30	50.91	71.13
22	2403	80.58	183.79	261.25	30.84	70.35
23	4515	1,147.31	2,322.83	3,514.10	32.65	66.10
24	2852	90.37	129.40	199.55	45.29	64.85
25	2810	358.60	358.60	553.79	64.75	64.75
26	2015	43.24	162.61	251.21	17.21	64.73
27	2225	938.71	1,288.67	2,032.40	46.19	63.41
28	4217	300.17	369.42	584.49	51.36	63.20
29	5452	7.74	18.08	29.89	25.90	60.48
30	2204	47.61	74.44	127.11	37.46	58.57
31	5054	1,461.14	2,851.71	5,206.80	28.06	54.77
32	3456	561.68	960.76	1,766.33	31.80	54.39
33	4055	59.62	313.84	577.43	10.32	54.35
34	3054	124.45	259.39	477.64	26.06	54.31
35	4701	306.76	513.12	968.31	31.68	52.99
36	2053	136.34	261.33	494.09	27.59	52.89
37	2515	568.23	1,927.92	3,660.14	15.52	52.67
38	2203	63.86	140.70	271.81	23.49	51.76
39	4220	1.14	2.86	5.67	20.17	50.46
<b>कुल</b>	<b>8,603.74</b>	<b>15,668.71</b>	<b>25,208.86</b>			

**परिशिष्ट 3.9**  
**मार्च 2024 के अंत में निधियों का अभ्यर्पण**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.5.6)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण/ व्यपगत
1	प्रमंडलीय वन अधिकारी, दुमका	कैम्पा	9.17	8.95	0.22
		योजना	15.63	15.58	0.05
		गैर-योजना	7.15	6.97	0.18
2	प्रमंडलीय वन अधिकारी, जमशेदपुर	कैम्पा	5.69	5.64	0.05
		योजना	67.70	67.63	0.07
		गैर-योजना	10.95	10.63	0.32
3	प्रमंडलीय वन अधिकारी, लातेहार	कैम्पा	6.49	6.17	0.32
		योजना	10.69	9.87	0.82
		गैर-योजना	5.85	5.72	0.13
4	प्रमंडलीय वन अधिकारी, पलामू	कैम्पा	2.76	2.47	0.29
		योजना	15.54	15.45	0.09
		गैर-योजना	6.04	6.03	0.01
5	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर	कैम्पा	10.28	8.53	1.75
		गैर-योजना	3.08	2.67	0.41
6	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह (पूर्व)	कैम्पा	7.33	6.98	0.35
		योजना	14.47	12.87	1.60
		गैर-योजना	6.37	6.34	0.03
7	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गुमला	कैम्पा	4.71	4.62	0.09
		योजना	14.59	14.57	0.02
		गैर-योजना	4.95	4.94	0.01
8	प्रमंडलीय वन अधिकारी, बफर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	4.79	4.78	0.01
9	प्रमंडलीय वन अधिकारी, कोर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	7.33	7.30	0.03
10	प्रमंडलीय वन अधिकारी, राँची	कैम्पा	6.72	6.21	0.51
		योजना	35.15	35.05	0.10
		गैर-योजना	9.21	9.06	0.15
11	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, राँची	कैम्पा	10.12	9.99	0.13
		गैर-योजना	2.52	2.39	0.13
12	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, लातेहार	कैम्पा	0.44	0.35	0.09
		योजना	6.86	6.80	0.06
		गैर-योजना	2.48	2.27	0.21
13	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, दुमका	कैम्पा	1.21	1.10	0.11
		योजना	30.36	30.26	0.10
		गैर-योजना	1.93	1.55	0.38
14	प्रमंडलीय वन अधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, (तसर), दुमका	गैर-योजना	0.97	0.92	0.05
15	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह (पश्चिम)	कैम्पा	3.67	3.63	0.04
		योजना	17.61	17.54	0.07
		गैर-योजना	5.46	5.16	0.30
<b>कुल</b>			<b>376.27</b>	<b>366.99</b>	<b>9.28</b>

## परिशिष्ट 3.10

व्यय का वेग (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1.	लातेहार	प्रमंडलीय वन अधिकारी, लातेहार	गैर-योजना	571.72	49.99	8.74
			योजना	987.24	585.16	59.27
			कैम्पा	617.25	309.58	50.15
			<b>कुल</b>	<b>2,176.21</b>	<b>1,001.46</b>	<b>46.02</b>
2.	लातेहार	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, लातेहार	गैर-योजना	227.46	19.62	8.63
			योजना	679.79	125.73	18.50
			कैम्पा	34.72	0.50	1.44
			<b>कुल</b>	<b>941.97</b>	<b>145.85</b>	<b>15.48</b>
3.	पलामू	प्रमंडलीय वन अधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू	गैर-योजना	1,545.22	727.49	47.08
			योजना	602.61	66.50	11.04
			कैम्पा	247.36	44.64	18.05
			<b>कुल</b>	<b>2,395.19</b>	<b>838.63</b>	<b>35.01</b>
4.	पलामू	प्रमंडलीय वन अधिकारी, बफर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	633.70	132.99	20.98
			योजना	3,372.67	2,200.84	65.26
			<b>कुल</b>	<b>4,006.37</b>	<b>2,333.83</b>	<b>58.25</b>
5.	पलामू	प्रमंडलीय वन अधिकारी, कोर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	729.99	157.64	21.59
			योजना	1,789.71	924.58	51.66
			<b>कुल</b>	<b>2,519.70</b>	<b>1,082.22</b>	<b>42.95</b>
6.	पूर्वी सिंहभूम	प्रमंडलीय वन अधिकारी, जमशेदपुर	गैर-योजना	1063.49	119.84	11.27
			योजना	6,762.61	2,722.57	40.26
			कैम्पा	563.56	180.47	32.02
			<b>कुल</b>	<b>8,389.66</b>	<b>3,022.88</b>	<b>36.03</b>
7.	पूर्वी सिंहभूम	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर	गैर-योजना	266.97	48.21	18.06
			योजना	1,611.01	679.88	42.20
			<b>कुल</b>	<b>1,877.98</b>	<b>728.19</b>	<b>38.78</b>
8.	गुमला	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गुमला	गैर-योजना	493.59	94.96	19.24
			योजना	1,457.24	988.14	67.81
			कैम्पा	462.48	311.77	67.41
			<b>कुल</b>	<b>2,413.31</b>	<b>1,394.87</b>	<b>57.80</b>
9.	दुमका	प्रमंडलीय वन अधिकारी, दुमका	गैर-योजना	697.25	87.64	12.57
			योजना	1,557.69	462.98	29.72
			कैम्पा	895.45	348.52	38.92
			<b>कुल</b>	<b>3,150.39</b>	<b>899.14</b>	<b>28.54</b>
10.	दुमका	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, दुमका	गैर-योजना	154.71	15.92	10.29
			योजना	3,025.80	1,215.29	40.16
			कैम्पा	110.36	4.55	4.12
			<b>कुल</b>	<b>3,290.87</b>	<b>1,235.76</b>	<b>37.55</b>

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
11.		प्रमंडलीय वन अधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, (तसर), दुमका	गैर-योजना	92.10	7.78	8.45
			योजना	256.90	170.82	66.49
			<b>कुल</b>	<b>349.00</b>	<b>178.60</b>	<b>51.17</b>
12.	गिरीडीह	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह पूर्व	गैर-योजना	634.41	59.62	9.40
			योजना	1,287.18	627.87	48.78
			कैम्पा	697.86	208.32	29.85
			<b>कुल</b>	<b>2,619.45</b>	<b>895.81</b>	<b>34.20</b>
13.	गिरीडीह	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह पश्चिम	गैर-योजना	515.84	29.35	5.69
			योजना	1,753.70	1,139.01	64.95
			कैम्पा	363.28	140.71	38.73
			<b>कुल</b>	<b>2,632.82</b>	<b>1,309.07</b>	<b>49.72</b>
14.	राँची	प्रमंडलीय वन अधिकारी, राँची	गैर-योजना	906.28	122.08	13.47
			योजना	3,515.05	1,314.99	37.41
			कैम्पा	597.40	211.23	35.36
			<b>कुल</b>	<b>5,018.73</b>	<b>1,648.30</b>	<b>32.84</b>
15.	राँची	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, राँची	गैर-योजना	239.00	22.50	9.41
			योजना	998.78	571.45	57.21
			कैम्पा	97.53	56.64	58.07
			<b>कुल</b>	<b>1,335.31</b>	<b>650.59</b>	<b>48.72</b>

**परिशिष्ट 3.11**  
**परिहार्य अनुपूरक प्रावधान**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.6.7)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल व्यय	बचत
1	2217-80-191-A7	0.00	4.80	0.00	0.00
2	2217-80-191-A8	0.00	8.40	0.00	0.00
3	2217-80-191-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
4	2217-80-191-AB	0.00	22.80	0.00	0.00
5	2217-80-191-AC	0.00	397.64	0.00	0.00
6	2217-80-796-A7	0.00	4.80	0.00	0.00
7	2217-80-796-A8	0.00	8.40	0.00	0.00
8	2217-80-796-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
9	2217-80-796-AB	0.00	18.80	0.00	0.00
10	2217-80-796-AC	0.00	276.06	0.00	0.00
11	2217-80-191-A7	0.00	3.20	0.00	0.00
12	2217-80-191-A8	0.00	5.60	0.00	0.00
13	2217-80-191-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
14	2217-80-191-AB	0.00	21.20	0.00	0.00
15	2217-80-191-AC	0.00	240.00	0.00	0.00
16	2217-80-796-A7	0.00	3.20	0.00	0.00
17	2217-80-796-A8	0.00	5.60	0.00	0.00
18	2217-80-796-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
19	2217-80-796-AB	0.00	17.20	0.00	0.00
20	2217-80-796-AC	0.00	160.00	0.00	0.00
21	2217-80-191-AE	0.00	6.00	0.00	0.00
22	2217-80-796-AE	0.00	4.00	0.00	0.00
23	2217-03-191-01	74.81	33.67	74.81	0.00
24	2217-80-001-03	0.85	0.01	0.61	0.24
25	2217-80-191-40	13.72	0.74	12.65	1.07
26	2217-80-192-40	6.20	0.42	4.21	1.99
27	2217-80-193-40	4.54	0.24	4.05	0.49
28	2251-00-090-05	7.51	0.02	4.22	3.29
<b>कुल</b>		<b>107.63</b>	<b>1,250.80</b>	<b>100.55</b>	<b>7.08</b>

**परिशिष्ट 3.12**  
**सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न किया जाना**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.6.9)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटन	अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोजन
1	2217-80-191-73	एसबीएम	20.00	20.00
2	2217-80-191-76	शहरी नवीकरण मिशन, अमृत	120.00	120.00
3	2217-80-191-80	पीपीपी परियोजनाओं का क्रियान्वयन	0.05	0.05
4	2217-80-191-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	10.00	10.00
5	2217-80-191-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
6	2217-80-789-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	10.00	10.00
7	2217-80-789-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	4.00	4.00
8	2217-80-789-99	15वीं वित्त आयोग के अनुशंसा अंतर्गत अनुदान	135.00	135.00
9	2217-80-789-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
10	2217-80-789-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
11	2217-80-796-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	19.00	19.00
12	2217-80-796-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	8.00	8.00
13	2217-80-796-73	एसडब्ल्यूएम सहित एसबीएम (केन्द्रांश)	18.00	18.00
14	2217-80-796-76	शहरी नवीकरण मिशन (केन्द्रांश)	80.00	80.00
15	2217-80-796-80	पीपीपी परियोजनाओं का क्रियान्वयन	0.05	0.05
16	2217-80-796-A1	मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए अनुदान	2.50	2.50
17	2217-80-796-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
18	2217-80-796-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	20.00	20.00
19	4217-60-190-49	शेयर पूँजी के लिए संस्थाओं को अनुदान	0.10	0.10
20	4217-60-789-53	शहरी भू-प्रबंधन और अधिग्रहण	5.00	5.00
21	4217-60-796-50	सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन का निर्माण	135.00	135.00
22	4217-60-796-54	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	50.00	50.00
<b>कुल</b>			<b>656.70</b>	<b>656.70</b>

## परिशिष्ट: 3.13

व्यय का वेग (नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग))

(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1	राँची	उप सचिव, नगर विकास विभाग	4217-60-051-51	107.86	32.86	30
			2217-80-193-07	1.66	0.59	35
			6217-60-193-03	2.02	0.81	40
			2217-80-789-94	14.75	5.94	40
			2217-80-191-AD	1.49	1.02	68
			2217-80-789-93	1.00	0.77	77
			2217-80-191-34	76.63	65.84	86
			2217-80-191-A1	0.18	0.15	86
			2217-80-191-36	3.16	2.75	87
			4217-60-789-51	40.00	34.96	87
			2217-80-191-89	90.00	86.35	96
			2217-80-191-89	40.22	38.78	96
			2217-80-191-93	1.92	1.88	98
			2217-80-191-38	5.99	5.99	100
			2217-80-191-73	15.00	15.00	100
			2217-80-191-86	30.00	30.00	100
			2217-80-191-A9	27.42	27.42	100
			2217-80-191-A9	17.73	17.73	100
			2217-80-192-87	1.00	1.00	100
			2217-80-193-88	1.00	1.00	100
			2217-80-789-89	27.59	27.59	100
			2217-80-789-89	13.80	13.80	100
			2217-80-796-38	12.00	12.00	100
			2217-80-796-73	10.00	10.00	100
			2217-80-796-89	44.49	44.49	100
			2217-80-796-89	26.64	26.64	100
			2217-80-796-A9	19.07	19.07	100
			2217-80-796-A9	12.95	12.95	100
			2217-80-796-AD	0.53	0.53	100
			4217-60-051-52	135.00	135.00	100
			4217-60-796-52	95.00	95.00	100
			<b>कुल</b>			
<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>						
राँची नगर निगम	84480010200830679	2.89	1.15	40		
	84480010200830101	0.42	0.30	72		
	84480010240000108	0.03	0.03	100		
	84480010200830646	31.28	31.28	100		
	<b>कुल</b>				<b>34.62</b>	<b>32.76</b>

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
		जुड़को	84480012000790102	1.95	0.78	40
			84480012051010545	10.48	4.35	41
			84480012051010545	7.82	3.26	42
			84480012049010679	2.51	1.08	43
			84480012051000545	20.64	10.10	49
			84480012000940679	2.12	1.07	50
			84480012000800679	0.28	0.15	54
			84480012051000545	5.66	3.58	63
			84480012051000545	1.22	1.17	96
			84480012051010545	0.92	0.89	97
			84480012000790679	1.91	1.88	98
			84480012000340679	0.15	0.15	100
			84480012000790102	0.62	0.62	100
			84480012038000679	1.01	1.01	100
			84480012051000545	4.46	4.46	100
			84480012051010545	2.89	2.89	100
			84480012051010545	0.39	0.39	100
			84480012051010545	0.55	0.55	100
			84480012051010545	4.24	4.24	100
			84480012052010545	0.06	0.06	100
			84480012093000679	0.11	0.11	100
		<b>कुल</b>	<b>69.99</b>	<b>42.79</b>		
2	धनबाद	धनबाद नगर निगम	84480010200120679	0.04	0.01	36
			84480010203000763	1.47	0.79	54
			<b>कुल</b>	<b>1.51</b>	<b>0.80</b>	
		चिरकुंडा नगर परिषद	84480010203000763	0.03	0.02	56
			84480010287000679	1.58	1.58	100
			<b>कुल</b>	<b>1.61</b>	<b>1.60</b>	
3	जमशेदपुर	जुगसलाई नगर परिषद	84480010203000763	0.02	0.01	50
			84480010206000679	0.03	0.02	50
			<b>कुल</b>	<b>0.05</b>	<b>0.03</b>	
		अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	844800102A1010679	0.16	0.06	37
			84480010234010679	9.04	3.61	40
			84480010202000763	0.38	0.16	42
			84480010200790679	0.04	0.02	50
			<b>कुल</b>	<b>9.62</b>	<b>3.85</b>	
		नगर आयुक्त, मानगो	84480010286000679	1.53	0.62	41
			84480010233010679	0.95	0.64	67
<b>कुल</b>	<b>2.48</b>		<b>1.26</b>			

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
4	दुमका	नगर परिषद, दुमका	84480010200330101	0.03	0.02	67
			84480010200060101	0.01	0.01	100
			<b>कुल</b>	<b>0.04</b>	<b>0.03</b>	
5	देवघर	नगर निगम, देवघर	84480010238010679	0.05	0.02	47
			84480010286000679	2.19	2.19	100
			<b>कुल</b>	<b>2.24</b>	<b>2.21</b>	
<b>कुल योग</b>				<b>998.26</b>	<b>852.50</b>	

## परिशिष्ट 3.14

तीन वर्ष से अधिक समय तक पी.एल. खातों में रखी गई राशि (नमूना-जाँच की गई योजनाओं में)

(संदर्भ: कंडिका 3.6.12.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नमूना जाँच की गई योजनाओं के नाम	1 अप्रैल 2021 को अवशेष	31 मार्च 2022 को अवशेष	31 मार्च 2023 को अवशेष	31 मार्च 2024 को अवशेष
<b>झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड (जुड़को), राँची</b>					
1	राजभवन से बूटी मोड सड़क	25.59	25.59	25.59	25.59
2	राजभवन से काँटाटोली सड़क	59.92	59.92	59.92	59.92
3	पीएमयू सेल का निर्माण	0.32	0.32	0.32	0.32
4	स्मार्ट सिटी स्टाफ आवासीय क्वार्टर	5.00	5.00	5.00	5.00
5	बिरसा चौक से राजभवन सड़क	99.20	99.20	99.20	99.20
6	नूक्लीअस मॉल एफओबी	3.50	3.50	3.50	3.50
7	वे लीव पर्मिशन आरडब्ल्यूएसएस पी-2बी	0.77	0.77	0.77	0.77
8	किशोरगंज चौक एफओबी	4.93	4.93	4.93	4.93
9	जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स एफओबी	2.97	2.97	2.97	2.97
10	कालीरेखा कुष्ठ आश्रम	0.36	0.36	0.36	0.36
	<b>कुल</b>	<b>202.56</b>	<b>202.56</b>	<b>202.56</b>	<b>202.56</b>
<b>राँची नगर निगम, राँची</b>					
11	पुराना शीर्ष	14.06	14.06	14.06	14.06
12	कार्यालय वेतन	0.05	0.05	0.05	0.05
13	आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान	0.43	0.43	0.43	0.43
14	13वीं वित्त आयोग	3.45	3.45	3.45	3.45
15	एसबीएम आयएचएचएल	1.49	1.49	1.49	1.49
16	13वीं वित्त आयोग	42.53	42.53	42.53	42.53
17	कौशल विकास	3.56	3.56	3.56	3.56
18	13वीं वित्त आयोग	4.83	4.83	4.83	4.83
19	सामान्य व्यय	0.90	0.90	0.90	0.90
20	13वीं वित्त आयोग	2.60	2.60	2.60	2.60
	<b>कुल</b>	<b>73.90</b>	<b>73.90</b>	<b>73.90</b>	<b>73.90</b>
<b>धनबाद नगर निगम, धनबाद</b>					
21	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन	3.15	3.15	3.15	3.15
22	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन	17.82	17.82	17.82	17.82
23	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन	0.33	0.33	0.33	0.33
24	सामुदायिक शौचालय सह कौशल विकास केंद्र	0.73	0.73	0.73	0.73
25	14वें वित्त आयोग सामान्य बुनियादी अनुदान	1.38	1.38	1.38	1.38
26	14वें वित्त आयोग निष्पादन अनुदान (एन)	2.61	2.61	2.61	2.61

क्र. सं.	नमूना जाँच की गई योजनाओं के नाम	1 अप्रैल 2021 को अवशेष	31 मार्च 2022 को अवशेष	31 मार्च 2023 को अवशेष	31 मार्च 2024 को अवशेष
27	14वें वित्त आयोग निष्पादन अनुदान (एन)	18.27	18.27	18.27	18.27
28	14वें वित्त आयोग निष्पादन अनुदान (सी)	19.66	19.66	19.66	19.66
<b>कुल</b>		<b>63.95</b>	<b>63.95</b>	<b>63.95</b>	<b>63.95</b>
<b>चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद</b>					
29	उपलब्ध नहीं	0.34	0.34	0.34	0.34
30	13वीं वित्त आयोग	0.05	0.05	0.05	0.05
31	सामुदायिक भवन-सह-कौशल विकास केंद्र का निर्माण	0.22	0.22	0.22	0.22
32	14वीं वित्त आयोग	0.74	0.74	0.74	0.74
<b>कुल</b>		<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>
<b>जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर</b>					
33	सीवरेज जल निकासी	0.02	0.02	0.02	0.02
34	पुराना (सामान्य)	0.10	0.10	0.10	0.10
35	शहरी परिवहन	0.03	0.03	0.03	0.03
36	सड़क	0.02	0.02	0.02	0.02
37	नागरिक सुविधा	0.02	0.02	0.02	0.02
38	रिक्शा/सिलाई मशीन	0.06	0.06	0.06	0.06
39	शौचालय सह कौशल विकास केंद्र	0.03	0.03	0.03	0.03
40	आइजीएनओएपीएस (पेन)	0.02	0.02	0.02	0.02
41	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.03	0.03	0.03	0.03
42	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल)	0.03	0.03	0.03	0.03
<b>कुल</b>		<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>
<b>अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर</b>					
43	शौचालय	0.14	0.14	0.14	0.14
44	शौचालय	2.22	2.22	2.22	2.22
45	स्वच्छता उपकरणों का क्रय	0.85	0.85	0.85	0.85
46	डीपीआर की तैयारी	1.86	1.86	1.86	1.86
47	रिक्शा/सिलाई मशीन	2.60	2.60	2.60	2.60
48	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	0.09	0.09	0.09	0.09
49	एसडीआरएफ	1.50	1.50	1.50	1.50
50	बिरसानगर में जलापूर्ति योजना	2.17	2.17	2.17	2.17
51	एलईडी स्ट्रीट लाइट	0.14	0.14	0.14	0.14
52	बिजली बिल	0.11	0.11	0.11	0.11
53	एसबीएम (आईईसी)	0.78	0.78	0.78	0.78
<b>कुल</b>		<b>12.46</b>	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>
<b>मानगो नगर निगम, जमशेदपुर</b>					
54	सामान्य शीर्ष	1.02	1.02	1.02	1.02
55	मानगो जल आपूर्ति	4.96	4.96	4.96	4.96
56	डीसी शीर्ष	0.18	0.18	0.18	0.18
57	डीसी शीर्ष 2	0.08	0.08	0.08	0.08

क्र. सं.	नमूना जाँच की गई योजनाओं के नाम	1 अप्रैल 2021 को अवशेष	31 मार्च 2022 को अवशेष	31 मार्च 2023 को अवशेष	31 मार्च 2024 को अवशेष
58	शौचालय निर्माण	0.17	0.17	0.17	0.17
59	नागरिक सुविधा	0.13	0.13	0.13	0.13
60	कौशल विकास	0.13	0.13	0.13	0.13
61	गरीबी उन्मूलन	1.25	1.25	1.25	1.25
62	एमएमएसवाई नया	0.36	0.36	0.36	0.36
	<b>कुल</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>
<b>देवघर नगर निगम, देवघर</b>					
63	कौशल विकास केंद्र	0.24	0.24	0.24	0.24
64	डे एनयूएलएम/ई-रिक्शा	0.51	0.51	0.51	0.51
65	एसबीएम-व्यक्तिगत शौचालय (सी)	0.51	0.51	0.51	0.51
66	एसबीएम-व्यक्तिगत शौचालय (पी)	0.89	0.89	0.89	0.89
67	अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भूमि अधिग्रहण	0.06	0.06	0.06	0.06
	<b>कुल</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>365.07</b>	<b>365.07</b>	<b>365.07</b>	<b>365.07</b>

## परिशिष्ट 4.1

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची  
(संदर्भ: कंडिका 4.16)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	दिसम्बर 2019
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2014-15
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूंटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	अक्टूबर 2016
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2015-16
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2009-10
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	जेएसएचएमआरएस	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2018-19
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2022-23
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2020-21
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	फरवरी 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
29	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	देवघर	*
30	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	लातेहार	*
31	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	हजारीबाग	*
32	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	गिरिडीह	*
33	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	गढ़वा	*
34	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	राँची	*
35	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	*
36	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	रामगढ़	*

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	*
38	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	सिमडेगा	*
39	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	कोडरमा	*
40	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	दुमका	*
41	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	गोड्डा	*
42	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	पाकुड़	*
43	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	सरायकेला	*
44	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	लोहरदगा	*
45	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	बोकारो	*
46	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	चतरा	*
47	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	धनबाद	*
48	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	गुमला	*
49	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	पलामू	*
50	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	साहेबगंज	*
51	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	जामताड़ा	*
52	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिर्सेस पर्सन	खूंटी	*
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	जुलाई 2024
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जैप-आई.टी.)	राँची	जुलाई 2024 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	वन	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	दिसंबर 2016
59	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2021-22
60	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2022-23
61	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2021-22
62	वन	लाह ट्रीटमेंट प्लांट, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	जुलाई 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
65	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
67	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य हिन्दु धार्मिक ट्रस्ट परिषद	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
68	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड खेल प्राधिकरण (एसएजे एचए)	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
69	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
70	पर्यटन, कला संस्कृति	झारखण्ड कला मंदिर, होटवार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
	एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग			
71	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	छऊ नृत्य कला केंद्र	सराईकेला	लेखापरीक्षित नहीं
72	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र	सिल्ली	लेखापरीक्षित नहीं
73	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2022-23
74	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2019-20
75	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2004-05
76	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
77	वन	वन विकास प्राधिकरण	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
78	सूचना एवं जन संपर्क	सरकारी प्रेस	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
79	शिक्षा	निदेशक, आर.के मिशन आश्रम, मोरावादी	राँची	2007-08
80	वन	झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क)	राँची	2023-24
81	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड	राँची	मार्च 2020
82	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	सीईओ, झारखण्ड कौशल विकास मिशन	राँची	मार्च 2024
83	ग्रामीण विकास	झारखण्ड सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी	राँची	*
84	ग्रामीण कार्य	झारखण्ड ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	राँची	-

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के कार्यालय में संधारित अभिलेख

\*ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार डीआरडीए को जिला परिषद में विलय कर दिया गया है। झारखण्ड सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी, राँची और जिला स्तर पर इसकी 24 सहायक इकाइयों को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के नाम से ऑडिट यूनिवर्स में शामिल किया गया है।

## प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2]*100$
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति घाटा सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-जीएसडीपी अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात अंततः गिरेगा।
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्ति के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
आकस्मिक निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिक निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्रहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. विपत्र	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>

